2020] 5 एस. सी. आर. 516

एक ईसाई मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2012 का हस्तांतरित मामला (सिविल) सं. 98)

29 अप्रैल, 2020

[अरुण मिश्रा, वाइन सरन और एम. आर. शाह, जे. जे।]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान-राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (एन. ई. ई. टी.) यदि गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है सी _ यू/आर्ट्स। 19 (1) (छ), 25,26,29 (1) और 30-चिकित्सा द्वारा जारी अधिसूचनाएँ काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई)-एनईईटी एमबीबीएस पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शुरू किया गया, बी. डी. एस., एम. डी. एस.-शुरू में अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था-हालांकि, उक्त निर्णय को बाद में वापस ले लिया गया-याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, एस. 10 डी, 1956 अधिनियम के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा का प्रावधान डी. स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर लागू हो गया है - s.10D, 1948 समान प्रावधान वाला अधिनियम जिसमें समान प्रवेश के लिए समान प्रावधान हैं जाँच भी सम्मिलित की गई है-आयोजितः अधिसूचनाओं पर सवाल उठाए गए और एस में किया गया संशोधन। 10 डी, जैसा कि 1956 के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था और एम. सी. आई. द्वारा संशोधित विनियम और इसी तरह के प्रावधान जोड़े गए ई. 1948 के अधिनियम और विनियमों को अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। संस्थानों के प्रशासन के लिए गैर-सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों का यू/आर्ट्स। 19 (1) (छ) और 30 आर/डब्ल्यू आर्ट्स। 25 , 26 & 29 (1) स्नातक में प्रवेश के लिए एन. ई. ई. टी. की समान परीक्षा निर्धारित करके और चिकित्सा के साथ-साथ दंत चिकित्सा के स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अधिनियम और विनियमन के विज्ञान प्रावधानों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है एफ. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन-ए में आयोजित ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पेशेवरों में प्रवेश को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। भ्रष्टाचार और विभिन्न बुराइयों को मिटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज जी. प्रणाली से कोई छूट नहीं हो सकती है, अन्यथा, वहाँ इस तरह के दावों और कई परीक्षाओं का कोई अंत नहीं होगा-अल्पसंख्यक और निजी संस्थानों को योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देना पड़ता है अनुमेय श्रेणी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एन. ई. ई. टी. के आधार पर अधिनियम और विनियमों के तहत-अधिकार यू/Art.19 (1) (जी) नहीं हैं एच. पूर्ण और योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता की मान्यता और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं-समान प्रवेश परीक्षा परीक्षा को योग्य बनाती है। आनुपातिकता और उचित है-भारत का संविधान-कला। 14 , 19 (1) (छ), 19 (6), 25,26 और 29 (1), 30,46,47,51 ए (जे)-भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 - s.10D-स्नातक पर विनियमन चिकित्सा शिक्षा, 1997-दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948। 10 डी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा

विनियम, 2000-स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम (संशोधन) 2010 (भाग II)-स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2010 (भाग II)-स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम (संशोधन) 2017-महाराष्ट्र गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (प्रवेश और शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2015।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 अधिसूचनाएँ, जिन पर सवाल उठाए जाते हैं 1956 के अधिनियम और एमसीआई द्वारा संशोधित विनियमों में धारा 10 डी में किए गए संशोधन और दंत चिकित्सक अधिनियम और विनियमों में जोड़े गए समान प्रावधानों को गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों या निजी संस्थानों के किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने के अधिकारों को छीनना नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर नियामक तंत्र प्रदान करने की अनुमति है और प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान पर भी लागू होती है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में आयोजित ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियामक तंत्र प्रदान करने के लिए यह खुला है कि शैक्षणिक मानकों के हित में योग्यता और पात्रता की शर्तें प्रदान की जा सकती हैं, और नियामक हो सकते हैं। शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने और व्यावसायिक संस्थान के मामले में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए उपाय। इस प्रकार, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में 11-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिया गया निर्णय याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए निवेदन के बराबर है। पी. ए. इनामदार में, न्यायालय ने एक मेले के ट्रिपल टेस्ट को निर्धारित किया, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी तंत्र और यदि प्रवेश निजी संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सभी को संतुष्ट नहीं करती है या ट्रिपल परीक्षणों में से किसी में भी, यह माना गया कि प्रवेश प्रक्रिया को राज्य द्वारा अपनी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करके लिया जा सकता है। यह पहलू कैपिटेशन [2020] 5 एस. सी. आर. की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए एक व्यापक परिप्रेक्षय में मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में इसका आकलन किया गया था। शुल्क और शिक्षा बिक्री योग्य वस्तु बन रही है। पेशेवर महाविद्यालयों में प्रवेश को राष्ट्रीय आधार पर विनियमित करने का निर्णय लिया गया है ताकि व्यवस्था से भ्रष्टाचार और विभिन्न बुराइयों का सफाया किया जा सके। यहां तक कि एन. ई. ई. टी. को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों पर भी लागू किया गया है विज्ञान (एम्स) और कई अन्य। यह निर्णय समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, कोई छूट नहीं दी जा सकती, अन्यथा इस तरह के दावों का कोई अंत नहीं होगा और कई परीक्षण। बुराइयों को मिटाना संभव नहीं होगा। समग्र रूप से अपमानजनक स्थिति जो पहले प्रचलित थी एन. ई. ई. टी. की शुरुआत को बहाल नहीं किया जा सकता है। फिर भी, प्रवेश प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना है। केंद्रीकृत परामर्श समिति द्वारा प्रायोजित छात्रों को प्रवेश नहीं देने के लिए निजी कॉलेजों द्वारा अनैतिक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक और निजी संस्थानों को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एन. ई. ई. टी. के आधार पर अनुमेय श्रेणी में योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देना होता है और नियम। [पारस 35,37 और 38] [610-जी-एच; 611-ए-एफ]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 587; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2005) 6 एस. सी. सी. 537 [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 603; आधुनिक दंत महाविद्यालय

और अनुसंधान केंद्र और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2016) 7 एस. सी. सी. 353 [2016] 3 एस. सी. आर. 579-इसके बाद आया।

1.2 जारी की गई अधिसूचनाएं, 1956 के अधिनियम की धारा 10 डी में किया गया संशोधन और एम. सी. आई. द्वारा बनाए गए विनियम और एन. ई. ई. टी. प्रदान करने वाले दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए इसी तरह के प्रावधानों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला नहीं कहा जा सकता है और डी. सी. आई. अधिनियम और विनियमों में 1956 के अधिनियम के तहत एम. सी. आई. द्वारा बनाए गए अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों का प्रत्येक संस्थान द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। अधिनियम/विनियमों के तहत विनियामक उपायों को ऐसे संस्थानों के हित के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है और ऐसे उचित उपायों को तैयार किया जा सकता है। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 25 और 30 के तहत गारंटीकृत संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस बात का कोई कारण नहीं है कि छात्रों के कल्याण के लिए ई

और शिक्षकों को नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी कानून या नियम या विनियमन जो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को दूसरों द्वारा संचालित संस्थानों की तुलना में नुकसान में डाल देगा, उसे रद्द करना होगा। देश के कानून में ऐसे नियम और विनियम शामिल हैं जो बहुसंख्यक के साथ-साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थानों को होना चाहिए गैर-अल्पसंख्यकों को जो करने की अनुमति है, उसे करने की अनुमति है। उन्हें मान्यता की शर्तों का पालन करना होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत अधिकार को कम करने जैसा नहीं हो सकता है। [पारस 41,42] [614-बी-सी, एफ-एच]

1.3 एन. ई. ई. टी. को विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित में निर्धारित किया गया है। मान्यता/संबद्धता की उचित शर्तों के रूप में पाए जाने वाले प्रावधान ऐसे सभी संस्थानों के अस्तित्व के लिए बाध्यकारी हैं, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसा न करने पर वे मौजूद नहीं हो सकते हैं और शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। शर्तें उचित हैं और इन्हें अल्पसंख्यकों के किसी भी संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है। संस्थान, वे उचित, निष्पक्ष हैं और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा में पारदर्शिता लाने का इरादा रखते हैं। संस्थाएं। वे सभी संस्थानों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, अल्पसंख्यकों को एक नुकसानदेह मंच पर नहीं रखा जाता है। सीमित सरकार और न्यूनतम हस्तक्षेप की अवधारणा के बारे में कोई संदेह नहीं है इसका स्वागत किया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में और किस हद तक व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के साथ संतुलन की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वायत्तता, अधिकार और दायित्व आधिकारिक हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए, सिवाय इसके कि घुसपैठ का तर्कसंगत आधार मौजूद हो। संविधान जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों में हस्तक्षेप करने की राज्य की शक्ति पर एक सीमा प्रदान करता है, हालांकि, सीमित सरकार की अवधारणा को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब यह राष्ट्रीय हित को पराजित करता है। इस देश में व्यावसायिक शिक्षा जिन विकृतियों से ग्रस्त है, वे बहुत बड़ी हैं। नियामक एम. सी. आई./डी. सी. आई. द्वारा बनाया गया ढांचा शर्तों, संबद्धता और मान्यता के अनुरूप है और एन. ई. ई. टी. के रूप में केंद्रीय परीक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। नियामक ढांचा प्रतिबंधात्मक नहीं है, लेकिन अधिकारों के प्रभावी आनंद को पूरा करता है। उपरोक्त प्रावधानों के

तहत प्रदान किया गया। प्रावधान योग्य हैं आधुनिक दंत चिकित्सा में माना जाने वाला आनुपातिकता का सिद्धांत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र। राज्य के लिए इसमें क्या आयोजित किया गया है। स्तर की परीक्षा एन. ई. ई. टी. के लिए भी अच्छी होती है। एन. ई. ई. टी. का प्रिस्क्रिप्शन निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ है, इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में निहित राज्य के कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम है। भारत का संविधान। इसी तरह, अनुच्छेद 46 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग। एन. ई. ई. टी. की एक समतुल्यता परीक्षा के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, उनकी योग्यता का ब्याज इसे समान रूप से संरक्षित किया गया है और इसका उद्देश्य विभिन्न कदाचारों को रोकना है, जो व्यवस्था में आ जाते हैं और ऐसी सीटें बेचकर आर्थिक शोषण को रोकते हैं जिनसे व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को नुकसान होता है। अनुच्छेद 51 ए (जे) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य से संबंधित है ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। उस उद्देश्य के लिए, योग्यता की मान्यता आवश्यक है, और व्यक्ति को अपने लक्षय की प्राप्ति के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। एन. ई. ई. टी. का निर्देश किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 51 ए (जे) के तहत निहित अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए समान अवसर और समान मंच प्रदान करना है। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है जैसा कि तर्क दिया गया है। अपीलार्थियों द्वारा, बल्कि कार्रवाई अनुच्छेद 51 ए (जे) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उद्देश्यों और निर्देशों को आगे बढ़ाने में है और यह राष्ट्रीय हित में है। [पारस 46-48] [618-C-G; 619-A-E]

1.4 टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्धारित कानून को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एन. ई. ई. टी./सामान्य प्रवेश परीक्षा एक उपाय है विभिन्न प्रकारों के बीच मानकीकरण और संगणना समानता योग्यताएँ। यह गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि यह मेधावी छात्रों के अधिकारों का अपमान करते हुए सीटों को वस्तुतः बेचकर अवैध प्रवेश देने के कदाचार को देखते हुए राष्ट्रीय हित में लगाया गया है। शिक्षा की धर्मार्थ गतिविधि एक बिक्री योग्य वस्तु बन गई और अमीर व्यक्तियों का विशेषाधिकार बन गया और गरीब छात्रों को बैंकों से वित्त पोषित शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनके लिए ब्याज के अस्थायी सप्तक से बाहर आना मुश्किल हो गया। फूल में खिलने से पहले इनका उपयोग किया जाता है। एमसीआई द्वारा विकसित खराब प्रतिष्ठा ने अपनी पूरी संरचना को बदलने के लिए मजबूर किया। द. राष्ट्रीय हित के लिए ईसाई मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन की प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है। व्यवस्था से बुराइयों को मिटा दें। स्थिति अभी भी गंभीर है और दृढ़ हाथ और दृढ़ संकल्प के साथ निपटा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जिन प्रावधानों पर विचार किया गया है, चिकित्सा/दंत शिक्षा से संबंधित अधिनियम में शामिल, सरकार, एमसीआई और डीसीआई को मौलिक अधिकारों का आक्रमण नहीं कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य चयन में निष्पक्षता, योग्यता की मान्यता और छात्रों के हितों को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय हित में, शैक्षणिक संस्थान मूल रूप से धर्मार्थ उद्देश्य के लिए होते हैं। कुल मिलाकर, वर्तमान में शिक्षा दान के अपने वास्तविक चरित्र से रहित है, यह एक वस्तु बन गई है। प्रणाली से बुराइयों को दूर करने के लिए, जो प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता को खा रहे थे, बिना किसी साधन के आम पदधारी की योग्यता और आकांक्षा को पराजित कर रहे थे, राज्य को निर्देश द्वारा अनिवार्य सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक/निजी संस्थानों के लिए नियामक व्यवस्था तैयार करने का

अधिकार है। संविधान के सिद्धांत, अनुच्छेद 14 और 21। व्यवस्था से बुराइयों को दूर करने के लिए पहला कदम उठाया गया है और समग्र परिदृश्य को देखते हुए पीछे हटना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। अगर पुरानी व्यवस्था को वापस कर दिया जाता है, तो भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। फिर भी, शिकायतों की भरमार है कि निजी संस्थानों द्वारा योग्यता की अनदेखी की जा रही है; अभी भी मुकदमेबाजी की बाढ़ है। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में नियामकों द्वारा अनियंत्रित उपाय, अनैतिक तरीके और कदाचार अभी भी अपनाए जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण शिक्षा का मुख्य पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें संभालना पड़ता है पहले राष्ट्रीय हित, फिर उनका हित, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के मामले में, जब मान्यता के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह कुछ संस्थानों के लिए योग्यता के उच्च मानकों को लागू करने के लिए खुला है। सबसे पहले, संबद्धता की शर्तें इसके अलावा बाध्यकारी हैं, यह पाया जाता है कि जब राष्ट्रीय मानकों और एन. ई. ई. टी. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की बात आती है, तो संचालन करना। कुछ संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत परीक्षाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती है। व्यवस्था अभी तक बेईमान उपकरणों के चंगुल से बाहर नहीं हुई है और योग्यता को हराने के लिए संदिग्ध साधनों को अपनाया जाता है, शिक्षा के हित को और नुकसान होगा और केंद्रीकृत शिक्षा का उद्देश्य ही होगा। परीक्षा पराजित होगी। एन. ई. ई. टी. के ऊपर और आगे की परीक्षा निर्धारित करना संभव नहीं है जिसे व्यवहार्य नहीं कहा जा सकता है, एन. ई. ई. टी. से कोई छूट नहीं दी जा सकती है, समान प्रवेश परीक्षा को अनुचित नियामक ढांचा नहीं कहा जा सकता है। पेशेवर चिकित्सा और ऐसे अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता और मान्यता के लिए नियमों और शर्तों पर विचार करना बाध्यकारी है और इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है। शर्तों में अनुमति। [पैरा 53,55 और 57] [621-सी-ई; जी-एच; 622-ए-डी, एफ-एच; 623-ए]

1.5 अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार जिन्हें अनुच्छेद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन v के साथ पढ़ा जाता है। 25 , 26 और भारत के संविधान का 29 (1) पारदर्शिता और गुणों की मान्यता प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आता है प्रवेश का मामला। यह अध्ययन के पाठ्यक्रम, शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए योग्यताओं को विनियमित करने के लिए खुला है। यह राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए खुला है। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता की मान्यता और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। समान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता की परीक्षा को योग्य बनाती है और उचित होती है। इसी का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में आने वाली कई बीमारियों की जांच करना, योग्यता में कम छात्रों को प्रवेश देकर कैपिटेशन शुल्क को रोकना और शोषण, मुनाफाखोरी को रोकना है। राष्ट्रीय हित के लिए अपमानजनक शिक्षा का दुरुपयोग करें। राष्ट्रीय हित को कम करने के लिए चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य है और योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) को ध्यान में रखते हुए सरकार को राष्ट्रीय हित में नियामक उपाय प्रदान करने का अधिकार है। धार्मिक या भाषाई अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष में नहीं हैं। अधिकारों को संतुलित करना राष्ट्रीय और अधिक व्यापक सार्वजनिक हित में संवैधानिक इरादा है। विनियामक उपायों को सीमित शासन की अवधारणा से परे नहीं कहा जा सकता है। विचाराधीन नियामक उपाय इसके लिए हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और यह अनुच्छेद 47 और 51 (ए) (जे) में निहित निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम है और व्यक्ति को अनुसरण में पूर्ण अवसर प्रदान करके सक्षम बनाता है। अपनी खोज में

उत्कृष्टता प्राप्त करने का उनका उद्देश्य। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी संस्थान को प्रशासित करने का अधिकार कानून और अन्य संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर नहीं है। तर्कसंगत। शिक्षा का स्तर बनाए रखा जाता है और कुप्रशासन की सीमा तक प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में कम नहीं होता है। निर्धारित करके विनियामक उपाय एन. ई. ई. टी. शिक्षा को दान के दायरे में लाने के लिए है कि उसने कौन सा चरित्र खो दिया है। इसका उद्देश्य व्यवस्था से बुराइयों और विभिन्न कदाचारों को दूर करना है जिन्होंने व्यवस्था को नष्ट कर दिया। द.

विनियामक उपाय किसी भी तरह से अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संस्था का प्रशासन। नतीजतन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 के साथ अनुच्छेद 25,26 और 29 (1) के तहत संस्थानों को प्रशासित करने के लिए गैर-सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। चिकित्सा के साथ-साथ दंत विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश। अधिनियम और विनियमन के प्रावधानों को अधिकार से बाहर या अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को छीनने वाला नहीं कहा जा सकता है।

30 (1) अनुच्छेद 19 (1) (छ), 14,25,26 और 29 (1) के साथ पढ़ें। [पारस 58-60] [623-B-H; 624-A-F]

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और अन्र। वी. गुजरात राज्य और अन्र। (1974) 1 एससीसी 717: [1975] 1 एस. सी. आर. 173; सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558: [1991] 3 पूरक। एस. सी. आर. 121-अनुसरण किया गया।

[2020] 5 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन वी. भारत संघ और अन्य (1986) 4 एस. सी. सी. 707: [1987] 1 एससीआर 238; बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,

पटना बनाम. मदरसा हनफिया अरबी महाविद्यालय, जमालिया और अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 428: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 399; ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2004) 6 एससीसी 224: [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 214; सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और अन्र। वी. मुख्य सचिव,

संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्र। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2016) 7 एस. सी. सी. 487; गोविंद बनाम। मध्य प्रदेश और अन्र राज्य। (1975) 2 एससीसी 148: [1975] 3 एससीआर 946; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर

569; इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2003) 6 एससीसी 697: [2003] 2 पूरक। एससीआर 474; क्रिश्चियन मेडिकल

कॉलेज वेल्लोर बनाम। भारत संघ (2014) 2 एससीसी 305: [2013] 7 एस. सी. आर. 908; मध्य प्रदेश राज्य बनाम जैनारायण चौकसे और ओआरएस। (2016) 9 एस. सी. सी. 412; महाराष्ट्र राज्य बनाम डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ और अन्य। (2016) 9 एस. सी. सी. 401; दार-यूएस-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट और अन्य। वी. भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य। (2017) 6 स्केल 320; यतिन कुमार जसुभाई पटेल और अन्य। वी. गुजरात राज्य और अन्य। (2019) 10 एससीसी 1: [2019] 12 एस. सी. आर. 848; पुनः केरल शिक्षा विधेयक 1957 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956 [1959] एस. सी. आर. 995; रेव. सिद्धजभाई भाई और अन्य। वी. बॉम्बे और अन्र राज्य। [1963] 3 एससीआर 837; रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1969 एस. सी 465: [1969] 2 एस. सी. आर. 73; गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज, शाहजहांपुर बनाम। आगरा विश्वविद्यालय और अन्र। (1975) 2 एससीसी 283 [1975] 3 एससीआर 810; एसके। मो. रफीक वी. प्रबंध समिति, कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा और अन्य। (2020) 1 स्केल 345;

चंदना दास (मालाकार) बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और

ओआरएस। (2015) 12 एससीसी 140: [2014] 13 एस. सी. आर. 796; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संकाय संघ बनाम।

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन v. भारत और अन्य का संघ

भारत संघ और ओआरएस। (2013) 11 एससीसी 246 [2014] 14 एस. सी. आर. 1634; डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्र। वी. की स्थिति

एम. पी. और अन्य। (1999) 7 एससीसी 120: [1999] 1 पूरक। एससीआर

249 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2016) 7 एस. सी. सी. 487

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2016] 3 एससीआर 579

पीछा किया।

पैरा 15

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

पीछा किया।

पैरा 15

[1975] 3 एससीआर 946

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2017] 10 एससीआर 569

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2003] 2 पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[2005] 2 पूरक। एससीआर 603

पीछा किया।

पैरा 15

(2016) 7 एस. सी. सी. 487

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2013] 7 एससीआर 908

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(2016) 9 एस. सी. सी. 412

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

(2016) 9 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(2017) 6 स्केल 320

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2019] 12 एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1959] एससीआर 995

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1963] 3 एससीआर 837

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1969] 2 एससीआर 73

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1975] 1 एससीआर 173

पीछा किया।

पैरा 22

[1975] 3 एससीआर 810

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 238

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[1989] 2 पूरक। एससीआर 399

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[1991] 3 पूरक। एससीआर 121

पैरा 26

पीछा किया।

(2020) 1 स्केल 345

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

[2004] 2 पूरक। एससीआर 214

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2010] 8 एससीआर 81

उस पर भरोसा करें

पैरा 30 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014] 13 एससीआर 796

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

[2014] 14 एससीआर 1634

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 पूरक। एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2017] 10 एससीआर 569

पैरा 45

संदर्भित किया गया है

[2006] 9 पूरक। एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: हस्तांतरित मामला (दीवानी)

2012 का सं. 98।

इस माननीय के 10.10.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

न्यायालय ने 2012 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 365 में पारित किया।

के साथ

हस्तांतरित मामला (सिविल) सं। 102 , 99 , 104 , 105 , 107 , 108 , 119 ,

120 , 125-127 , 110 , 111 , 112 , 113-114 , 115-116 , 117-118 , 123-124 , 128 130 , 131 , 132-134 , 138-139 , 142 , 144 , 145 2012 के 5,2,3,4,7,8,9,10,11,12-13,16,14-15,23-24,19,20,21-22,17,18,25,28-29,48,49,39,40,42,41,43,44,46,45,47,37-38,30,31-32,33-36,59,60,61,62,63-65,66-69,70-71,72,73,75,76,108 ऑफ 2013,25 ऑफ 2019, रिट पिटीशन। (सिविल) सं। 443 , 750 2016 की विशेष अनुमति याचिका। ((ग) 2016 की सं. 28223।

विकास सिंह, आर. वेंकटरमानी, जयंत मुथराज, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौरव

राजेन्द्रन, सुश्री उमा प्रसुन बाचू, रोहित राठी, सुश्री शीना ताकी, सुश्री बीना गुप्ता, क्षितिज वैभव, के. एस. टी. थंबी पिल्लई, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, सुश्री मिरिया जैस्मिन, सम्राट शिंदे, सचिन पाटिल, अनिल कुमार मिश्रा, इदरीश मोहम्मद, सुपांता सिन्हा, ए. के. मिश्रा,

जी. एन. रेड्डी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, ए. पी. मयी, ए. राजाराजन, रुपेश कुमार, श्रीमती पंखुड़ी श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, मो. अपजल अंसारी, अमोल चितले, सुश्री प्रज्ञा बघेल, पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी. पी., बिनेश के., मुकुंद पी. उन्नी, अश्विनी कुमार सिंह, मेसर्स। इंडिया लॉ, महेश ठाकुर, सुश्री शेफाली चौधरी, श्रीमती विपाशा सिंह, डॉ. सुशील बलवाड़ा, रमेश अल्लांकी, सैयद अहमद नकवी, सुश्री सविता देवी, N.V.R.S.S.S. वारा प्रसाद, सुश्री अरुणा गुप्ता, गन्नी कृष्ण, आर. राधा कृष्ण, सुश्री शिल्प गुप्ता, सी. एस. एन. मोहन राव, अनिल कुमार मिश्रा-I, शिवाजी एम. जाधव, ऐश्वर्या सिन्हा, रवींद्र केशवराव अदसुरे, श्रीमती बीना गुप्ता, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन v.

भारत और अन्य का संघ

धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, रमेश बाबू एम. आर., राकेश के. शर्मा, दुष्यंत पाराशर, लक्ष्मी रमन सिंह, सुश्री उदिता सिंह, विवेक सिंह, ए. वेनायगम बालन, आलोक शुक्ला, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, ई. आर. कुमार, कृष्ण श्रीनिवासन, सुश्री गीती आरा, उदयादित्य बनर्जी, सुदिप्तो सरकार, भाव रताब, सुश्री तान्या चौधरी, राघव बंसल, सुश्री नितिका पांडे, मैसर्स। पारेख एंड कंपनी, अंभोज कुमार सिन्हा, अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, के. के. सिंह, सुश्री मैरी मिट्जी, सुश्री ई. आर. सुमती, मैसर्स। लॉयर्स निट एंड कंपनी, के. के. मणि, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वाई. राजा गोपाल राव, विपिन कुमार जय, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री रेखा पांडे, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री सुरुची अग्रवाल, M.Y.Deshmukh, अमित कुमार, Ms.Sushma सूरी, टी. सी. शर्मा, प्रशांत भूषण, श्रीमती वैजयंती गिरीश, सुश्री प्रगति नीखरा, निशांत

रमाकांतराव कटनेश्वरकर, के. वी. विजयकुमार, बी. बालाजी, गोपाल सिंह,

कौशिक पोद्दार, आर. चंद्रचूड़, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री आस्था त्यागी, सुश्री फराह फातिमा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अरुण मिश्रा, जे।

1. अधिकांश मामलों में एक चेकर इतिहास होता है। शुरू में, याचिकाकर्ताओं ने चार अधिसूचनाओं पर सवाल उठाए हैं-दो अधिसूचनाएँ दिनांकित 21.12.2010 भारतीय चिकित्सा परिषद (संक्षेप में, 'एमसीआई') द्वारा जारी की गई और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (संक्षेप में, 'डीसीआई') द्वारा जारी की गई अन्य दो अधिसूचनाएँ। एम. सी. आई. ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्नातक चिकित्सा शिक्षा

(संशोधन) 2010, (भाग II) पर विनियमों के आधार पर स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमों में संशोधन किया।

1997.इसी तरह, एम. सी. आई. द्वारा जारी अन्य अधिसूचना जिसे "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमन, 2010 (भाग-II)" कहा जाता है, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन के लिए है। नियमावलियाँ।

आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन पर लागू हुआ। डी. सी. आई. द्वारा जारी अन्य दो अधिसूचनाएं बी. डी. एस. और एम. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित थीं।

2. एमसीआई ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, '1956 का अधिनियम') की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचनाएं जारी कीं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमन, 1997 में संशोधन किए गए थे। विनियमों के अध्याय II में खंड 5 में परिवर्तन किया गया था। खंड 5 में चयन की प्रक्रिया के लिए इस प्रकार प्रावधान किया गया है:

" 6. अध्याय 2 में, खंड 5 को "एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी" शीर्षक के तहत प्रतिस्थापित किया जाएगा: (i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ही पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी, जिसका नाम होगा, 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा'। समग्र रूप से

राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारतीय चिकित्सा परिषद के पास निहित होगा। हालांकि, भारतीय चिकित्सा परिषद, पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार, एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' आयोजित करने के लिए संगठनों का चयन करेगी।

बेशक।

बशर्ते कि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या संबंधित श्रेणियां किसी भी शैक्षणिक वर्ष में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहती हैं

एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श से अपने विवेकाधिकार पर संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस तरह कम किए गए अंक केवल उक्त वर्ष के लिए लागू होंगे।

(iii) चिकित्सा महाविद्यालयों में संबंधित के लिए सीटों का आरक्षण।

श्रेणियां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कानूनों के अनुसार होंगी। अखिल भारतीय योग्यता सूची के साथ-साथ योग्य उम्मीदवारों की राज्यवार योग्यता सूची राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संघ में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

और उम्मीदवारों को उक्त से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा

केवल सूची।

((iv) कोई भी उम्मीदवार जो न्यूनतम पात्रता प्राप्त करने में विफल रहा हो। उपरोक्त उपखंड (ii) में निर्धारित अंकों को स्वीकार किया जाएगा -

उक्त शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस पाठ्यक्रम।

केवल राष्ट्रीय पात्रता में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा सह-प्रवेश परीक्षा "।

(जोर दिया गया)

3. इसी तरह, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में संशोधन

दान, 2000 बनाए गए थे। संशोधनों का प्रासंगिक भाग

इन्हें नीचे निकाला गया है:

" नहीं। एमसीआई। 18 (1) /2010-Med./49070। -शक्तियों के प्रयोग में

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त

(102 1956), भारतीय चिकित्सा परिषद पूर्ववर्ती के साथ

केंद्र सरकार की मंजूरी इसके द्वारा निम्नलिखित करती है -

'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा' में और संशोधन के लिए विनियम

विनियम, 2000 ', अर्थात्:

1. ((i)। इन नियमों को 'स्नातकोत्तर चिकित्सा' कहा जा सकता है।

शिक्षा (संशोधन) विनियम, 2010 (भाग II) '।

((ii) वे अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

आधिकारिक राजपत्र में। 2. 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000' में,

निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोपन/प्रतिस्थापन,

जैसा कि उसमें बताया गया है:

3. खंड 9 'चयन' शीर्षक के तहत

पोस्टग्रेजुएट छात्रों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

" 9. स्नातकोत्तर के लिए उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया

(i) एक ही पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात्, प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम। द.

राष्ट्रीय निकायों का समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा चिकित्सा परिषद [2020] 5 एस. सी. आर. के पास निहित होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश का संचालन करने के लिए संगठन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा "।

4. इसी तरह की अधिसूचनाएं डी. सी. आई. द्वारा प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जारी की गई थीं।

एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए और बी. डी. एस. और MDS.Thus के लिए भी, एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में, 'एन. ई. ई. टी.') और इसी तरह बी. डी. एस. और एम. डी. एस. के लिए परिचय कराया। अब 1956 के अधिनियम की धारा 10डी के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा का प्रावधान करने वाले वैधानिक प्रावधान जो 24.5.2016 पर लागू हुए। धारा 10डी को नीचे निकाला गया है:

" 10D.Uniform स्नातक और स्नातक के लिए प्रवेश परीक्षा

सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा इस तरह के माध्यम से स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर

हिंदी, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में नामित प्राधिकारी

और ऐसी रीति से जो विहित की जाए और निर्दिष्ट किया जाए प्राधिकरण समान प्रवेश परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त तरीके से:

बशर्ते कि किसी भी निर्णय या आदेश के बावजूद

न्यायालय, इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे, के संबंध में

स्नातक स्तर पर एक समान प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2016-17 किसी के अनुसार आयोजित किया जाता है

राज्य के संबंध में इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम सरकारी सीटें (चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज में हों या सरकारी मेडिकल कॉलेज में)

एक निजी मेडिकल कॉलेज) जहां ऐसे राज्य ने चयन नहीं किया है ऐसी जाँच "।

(जोर दिया गया)

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10 डी, जिसमें समान प्रावधान हैं।

समान प्रवेश परीक्षा के संबंध में भी सम्मिलित किया गया है, इसे नीचे निकाला गया है:

सभी दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा इस तरह के रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन के माध्यम से स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर

. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

प्राधिकरण समान प्रवेश परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेगा। उपरोक्त तरीके से:

बशर्ते कि किसी भी निर्णय या आदेश के बावजूद

न्यायालय, इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे, के संबंध में

स्नातक स्तर पर एक समान प्रवेश परीक्षा किसी के अनुसार आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2016-17

राज्य के संबंध में इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम सरकारी सीटें (चाहे सरकारी डेंटल कॉलेज में हों या सरकारी डेंटल कॉलेज में)

एक निजी दंत महाविद्यालय) जहां ऐसे राज्य ने इसका विकल्प नहीं चुना है।

ऐसी जाँच "।

5. स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियम, 1997

स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमों द्वारा संशोधित किया गया

2017)। चिकित्सा पाठ्यक्रम पात्रता मानदंड में प्रवेश

संशोधित खंड 4 द्वारा विहित। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया गया है:

" 3. खंड 4 में, चिकित्सा में प्रवेश शीर्षक के तहत

पाठ्यक्रम-पात्रता मानदंड, और उपखंड 4 (1) और (1ए) में,

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

4. चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश-पात्रता मानदंड: नहीं।

उम्मीदवार को चिकित्सा पाठ्यक्रम में भर्ती होने की अनुमति दी जाएगी

प्रथम बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी

जब तक वह राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पाठ्यक्रम

परीक्षण, और उसे राष्ट्रीय परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी

पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा जब तक: (1) वह 17 वर्ष की आयु या उससे पहले पूरी करेगा।

31 एमबीबीएस में प्रवेश के वर्ष का दिसंबर।

(1ए) उसने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। अध्याय के खंड 5 में निर्धारित पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा

II "।

(जोर दिया गया)

अध्याय II में, खंड 5 "के लिए प्रक्रिया" शीर्षक के तहत

एम. सी. आई. द्वारा 2017 में एम. बी. बी. एस. को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए चयन इस प्रकार होगा " निम्नानुसार:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी जिसका नाम 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' होगा और यह समग्र रूप से इसके अंतर्गत आयोजित की जाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पर्यवेक्षण।

(3) 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' आयोजित करने की भाषा और तरीका चिकित्सा परिषद के परामर्श से 'नामित प्राधिकारी' द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

(4) एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता-सह' में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के संबंध में न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे। उपरोक्त खंड 4 (3) के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 45 वें प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वें प्रतिशत पर होंगे। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि संबंधित में उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या हो एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में श्रेणियां विफल रहती हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ परामर्श अपने विवेकाधिकार पर क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन कर सकता है। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम करें

संबंधित श्रेणियों और अंकों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए

केंद्र सरकार द्वारा कम की गई राशि इसके लिए लागू होगी

केवल शैक्षणिक वर्ष कहा। (5) चिकित्सा महाविद्यालयों में संबंधित के लिए सीटों का आरक्षण

केंद्र शासित प्रदेश। अखिल भारतीय योग्यता सूची के साथ-साथ राज्य/संघ पात्र उम्मीदवारों की क्षेत्रवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश में प्राप्त अंकों के आधार पर

परीक्षा और उम्मीदवारों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा

केवल सूची कहा गया है।

(6) कोई भी उम्मीदवार जो न्यूनतम पात्रता प्राप्त करने में विफल रहा हो

उपरोक्त उपखंड (4) में निर्धारित अंकों को स्वीकार किया जाएगा -

उक्त शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस पाठ्यक्रम।

(7) कोई भी प्राधिकरण/संस्थान किसी भी उम्मीदवार को एमबीबीएस में प्रवेश नहीं देगा।

द्वारा निर्धारित मानदंड/प्रक्रिया के उल्लंघन में पाठ्यक्रम

इन विनियमों और/या द्वारा पारित निर्णयों के उल्लंघन में प्रवेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी उम्मीदवार

उपरोक्त के उल्लंघन/उल्लंघन में स्वीकार किए जाने पर उसे आरोपमुक्त कर दिया जाएगा।

परिषद द्वारा तुरंत। प्राधिकरण/संस्था जो अनुदान देती है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विनियम और/या निर्णय न्यायालय भी ऐसी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित की जाए।

बाद के शैक्षणिक वर्ष/वर्ष। (8) संबंधित श्रेणियों के भीतर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सभी प्रवेश

केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अंकों पर आधारित होगा

पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा "।

(जोर दिया गया)

6. शुरू में, 2012-2013 में दायर मामलों की सुनवाई एक पीठ द्वारा की गई थी

न्यायाधीश, और मामलों का निर्णय निर्णय और आदेश के माध्यम से किया गया था

18.7.2013 . बहुमत की राय के अनुसार, याचिकाओं को अनुमति दी गई थी।

एन. ई. ई. टी. के लिए एम. सी. आई. और डी. सी. आई. द्वारा जारी अधिसूचनाएँ थींहे। हालाँकि, जो प्रवेश किए गए थे, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया था

पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर की गईं, जिन पर विचार किया गया और

11.4.2016 पर अनुमति दी गई, और निर्णय दिनांकित 18.7.2013 था

नेतृत्व किया।

[2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. 2016 की रिट याचिका (सी) No.443 में, याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है-अनुच्छेदों के तहत गारंटीकृत संस्थान।

14 , 15 , 25 , 26 और भारत के संविधान का 30. 2016 की रिट याचिका (सी) No.750 में, उत्तरदाताओं को पूरे देश में सभी स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत परामर्श आयोजित करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है। 2019 के हस्तांतरित मामले (सी) No.25 में, यह कहा गया है कि महाराष्ट्र गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थान (प्रवेश और शुल्क का विनियमन) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अधिकार हैं, जो उन्हें गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक पेशेवरों पर लागू करते हैं।

शैक्षणिक संस्थान कानून की दृष्टि से खराब हैं। एसएलपी में (ग) 2016 के No.28223 प्रावधानों पर इस आधार पर सवाल उठाए गए हैं कि वे नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को हटा दें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26 और 29 (1)।

8. शुरू में, ऐसे सवाल उठाए गए थे जो एमसीआई और डीसीआई नहीं उठा सके

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटी के अनुसार अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान। इस प्रकार, अधीनस्थ विधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26,29 (1) और 30 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर प्रबल प्रभाव नहीं डाल सकता है। अब किया गया संशोधन अल्पसंख्यकों के उपरोक्त अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकता था। छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है, इसलिए एन. ई. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को आरोपित नहीं किया जा सकता था।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि विवादित अधिसूचनाएं एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के साथ पठित अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित "अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन" के लिए संस्थान, जिसमें अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार शामिल है। सीमित सरकार का सिद्धांत प्रदान करता है कि एक नागरिक की स्वतंत्रता और स्वायत्तता भारत के संविधान की केंद्रीय धारणा है।

और छात्रों के प्रवेश के मामलों में राज्य की भागीदारी पर एक अंतर्निहित सीमा है। एन. ई. ई. टी. संस्थान के लिए कोई विकल्प निर्धारित नहीं करता है, जो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के मौलिक अधिकारों को बाधित करता है। 10. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि राज्य के पास एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान को छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है।

एन. ई. ई. टी. जैसी एकल केंद्रीकृत राष्ट्रीय परीक्षा।

गैर-सहायता प्राप्त ईसाई मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन v. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अल्पसंख्यक पेशेवर कॉलेजों को अपने छात्रों को प्रवेश देने के तरीके और तरीके को चुनने का मौलिक अधिकार है, बशर्ते कि वे संतोषजनक हों।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 30 (1) के तहत संस्थान के कार्यों का संचालन और प्रबंधन करने के लिए मौलिक अधिकार। जबकि राज्य उचित प्रतिबंधों को लागू करना, योग्यता की सीमा मानदंड तय कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक योग्यता के किसी भी अतिरिक्त मानदंड से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। प्रतिबंध आनुपातिकता के परीक्षण का उल्लंघन करता है।

12. याचिकाकर्ताओं ने मौजूदा का भी उल्लेख किया है

भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना मजबूरी नहीं हो सकती है, यह स्वेच्छा से होनी चाहिए। उन्होंने विधि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सी. एल. ए. टी.)-परीक्षा की एक प्रणाली पर भरोसा किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. टी.) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई. आई. एम.) में अपनाई जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। एन. ई. ई. टी. भारत और विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला संस्थान है, जहां सभी संस्थानों को एक ही प्रवेश का पालन करने के लिए राज्य द्वारा मजबूर किया जाता है।

प्रक्रिया। कुछ संस्थानों का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। वे गुरुकुल परंपरा का पालन करते हैं। 2016-17 में एन. ई. ई. टी. की शुरुआत के साथ, संस्थान अपने तरीके के बजाय एन. ई. ई. टी. के माध्यम से छात्रों को

प्रवेश देने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनमें से कुछ के पास अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। उनके पास एमबीबीएस के साथ-साथ स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश की अपनी अनूठी प्रक्रिया है। कुछ संस्थानों की परीक्षा प्रणाली है -

अखिल भारतीय आधार पर व्यापक रूप से, और वे सामान्य क्षमता का भी परीक्षण करते हैं, जबकि एन. ई. ई. टी. में, मूल्यांकन तीन विषयों, अर्थात्, भौतिकी, जीव विज्ञान, पर आधारित होता है।

और रसायन विज्ञान। उनके पास मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रक्रिया है, और वे केवल अपने सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर छात्रों को प्रवेश नहीं देते हैं। इनमें से कुछ देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा शिक्षण संस्थान हैं। कुछ [2020] 5 एस. सी. आर. के खिलाफ कुप्रशासन का एक भी आरोप नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए किसी विशेष क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना एक महत्वपूर्ण कारक है। 13. एन. ई. ई. टी. की शुरुआत के बाद स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए दिए गए प्रवेश के अनुसार विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। अब, कुछ विशेष संस्थानों में, उन्हें रोगियों की देखभाल करने के लिए अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, उदाहरण के लिए, ऑन्कोलॉजी विभाग में। कुछ उम्मीदवार बोझ उठाने में सक्षम नहीं हैं

प्रक्रिया और बहुत बीमार के साथ जाने में असमर्थता व्यक्त की है मरीज। उनमें से कुछ संक्रमण से बचने के लिए निर्जंतुक तरीके से प्रक्रियाएं करने में सक्षम नहीं थे। अन्य सुपर-स्पेशियलिटी विभागों में भी यही स्थिति है। नैदानिक क्षमता की कमी की शिकायतें हैं

सामान्य चिकित्सा जैसे विशेष पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

14. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का मौलिक अधिकार है।

संविधान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया

वे ट्रिपल टेस्ट, यानी निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी में उत्तीर्ण होते हैं। इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1993,1994,1995 और 1998 में पारित अंतरिम आदेशों से स्पष्ट रूप से अपनी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देते समय अलग-अलग संस्थानों में अपनाई गई निष्पक्ष पद्धति को मान्यता देते हुए विभिन्न आदेश पारित किए गए थे।

15. इस अदालत ने 28.4.2016 पर संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और ए. एन. आर. में एक आदेश पारित किया। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2016 की रिट याचिका (सी) No.261), जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त मामले में पारित आदेश याचिकाओं की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगा। इस

न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश को वापस लेने के बाद अधिकांश याचिकाएं लंबित रहीं। अपीलार्थियों के अनुसार, आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अनुपात और

कुछ संस्थान निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषक हैं। रिलायंस को टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और ओआरएस पर रखा गया है। वी. की स्थिति कर्नाटक और ओआरएस। , (2002) 8 एस. सी. सी. 481 का तर्क है कि राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम है और यदि संभव हो, तो केवल शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों में से एक है।

मॉडर्न डेंटल कॉलेज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन में चुनौती v. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

और अनुसंधान केंद्र (उपरोक्त) राज्य स्तर की परीक्षा, यानी सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी. ई. टी.) के लिए था। एन. ई. ई. टी. का आयोजन देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के शैक्षणिक मानक के हित में नहीं होगा। छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव के परिणामस्वरूप संस्थान में बनाए गए शिक्षा में उत्कृष्टता के वर्तमान मानकों में तेज गिरावट आएगी, जो जनहित में नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया एन. ई. ई. टी. से ऊपर है। गोबिंद बनाम में निर्णयों का उल्लेख करके सीमित सरकार की अवधारणा पर भी भरोसा किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य

16. यह तर्क दिया गया था कि एम. सी. आई. और डी. सी. आई. अधिनियमों और विनियमों के प्रावधान जिन्हें लंबित रहने के दौरान संशोधित किया गया है। याचिकाएँ संस्थानों के उन्हें स्वीकार करने के अधिकार को नहीं छीन सकती हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत छात्र। इस प्रकार, एन. ई. ई. टी. के प्रिस्क्रिप्शन को संबंधित संस्थानों के लिए अनुमेय नहीं कहा जा सकता है।

17. उत्तरदाताओं की ओर से संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और ए. एन. आर. पर निर्भरता रखी गई है। वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2016) 7 एससीसी

(2014) 2 एस. सी. सी. 305, जो निर्णय वापस ले लिया गया है, वह यह था कि एक समान सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शुरू नहीं की जा सकती थी अधीनस्थ विधान और 1956 के अधिनियम और एम. सी. आई. के तहत उक्त परीक्षा आयोजित करने की कोई शक्ति नहीं थी। धारा 10 डी के लागू होने के बाद उक्त दोनों कमियों को दूर कर दिया गया है। एन. ई. ई. टी. की शुरुआत संवैधानिक रूप से वैध है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में, न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा अपने कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए परीक्षा आयोजित करने के प्रश्न पर विचार किया। मध्य प्रदेश राज्य में v.

जैनारायण चौकसे और ओआरएस। , (2016) 9 एस. सी. सी. 412, अवमानना याचिका का निर्णय करते समय यह देखा गया कि मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर [2020] 5 एस. सी. आर. के मामले में 2.5.2016 दिनांकित निर्णय पारित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(उपर्युक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि प्रवेश राज्य सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने फिर से महाराष्ट्र राज्य बनाम. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ और अन्य। , (2016) 9 एस. सी. सी. 401, ने <आई. डी. 1 पर निर्णय लिया कि मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में निर्णय यह स्पष्ट करता है कि केंद्रीकृत परामर्श एक सहायक और समान सामान्य प्रवेश परीक्षा का हिस्सा है। अधिसूचनाओं को अल्पसंख्यक संस्थानों, मानित विश्वविद्यालयों और अन्य निजी संस्थानों द्वारा भी इस न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। दार-यू. एस.-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट एंड ओ. आर. एस. में दिनांकित 9.5.2017 निर्णय में न्यायालय। वी. भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य। , (2017 की रिट याचिका (सी) No.267) में कहा गया है कि सामान्य परामर्श किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों के अपने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार, अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने का उनका अधिकार पूरी तरह से संरक्षित था। द. संस्थान अपने-अपने मेडिकल कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे के छात्रों को भरने के हकदार थे। एन. ई. ई. टी. योग्यता निर्धारित करने और निष्पक्ष प्रक्रिया और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक योग्यता परीक्षा है जिससे अधिकांश मेधावी उम्मीदवारों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। यतिनकुमार-जसुभाई पटेल और अन्य पर निर्भरता रखी गई है। वी. गुजरात राज्य और अन्य। , (2019) 10 एस. सी. सी. 1, जिसमें न्यायालय ने एन. ई. ई. टी. की शुरुआत के बाद संस्थागत वरीयता/आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया और कहा कि एन. ई. ई. टी. की शुरुआत ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों को प्रभावित नहीं किया। इसे संस्थागत आरक्षण के आधार पर भरा जा सकता है।

18. प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम और विनियमों में किए गए प्रावधानों के आधार पर एमबीबीएस, पीजी, बीडीएस और एम. डी. एस. में प्रवेश के लिए केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली-एन. ई. ई. टी. प्रदान करके

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी), 25,26,29 (1) और 30 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 19. हम सबसे पहले इस बात पर ध्यान देने के लिए विज्ञापन देते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णय।

20. केरल शिक्षा विधेयक, 1957, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956 में सरकार के निर्धारित करने के अधिकार के बारे में सवाल उठाया गया था।

सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पदधारियों के पास योग्यता होनी चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार दिया गया था।

विशिष्ट शिक्षकों और उचित मानकों के बिना किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए सहायता या मान्यता की मांग करना। चुनाव जरूरी नहीं हैउचित विनियमों पर जोर देने के राज्य के दावे के खिलाफ सहायता या मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थानों की उत्कृष्टता है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" (29) उनकी शिकायतें इस प्रकार बताई गई हैं: एक विद्यालय के प्रशासन के अधिकार का सार शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण और बर्खास्तगी की शक्ति है। लेकिन उक्त विधेयक के तहत प्रबंधन की ऐसी शक्ति व्यावहारिक रूप से छीन ली जाती है। इस प्रकार यह प्रबंधक को वार्षिक विवरण (सी. एल.) प्रस्तुत करना होगा। 5)। सहायता प्राप्त विद्यालयों की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और इसके अलावा उनसे निपटा नहीं जा सकता है।

अधिकृत अधिकारी की अनुमति से (सी. एल. 6)। सहायता प्राप्त विद्यालय की कोई भी शैक्षिक एजेंसी अपनी पसंद के प्रबंधक की नियुक्ति नहीं कर सकती है।

और प्रबंधक पूरी तरह से अधिकृत के नियंत्रण में है

स्कूल खातों को अधिकृत अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए (सी1। 7)। एकत्र किए गए सभी शुल्क आदि को जमा करना होगा।

सरकार (सी. 8 (3)) . सरकार शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों (सी. एल.) को वेतन देने का काम करेगी। 9)। सरकार शिक्षकों की योग्यता (सी1) निर्धारित करेगी। 10)। इस स्कूल

अधिकारी अपनी पसंद के एक भी शिक्षक को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोक सेवा द्वारा तय किए गए पैनल से व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा

आयोग (सी. 11)। स्कूल अधिकारियों को शिक्षकों को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी शिक्षक को बर्खास्त, हटाया, कम या निलंबित भी नहीं किया जा सकता है।

(सी. एल. 12)। .....

(31) इस प्रकार हम काफी जटिलता की समस्या का सामना कर रहे हैं जिसका समाधान करना स्पष्ट रूप से कठिन है। एक तरफ, कला के तहत अल्पसंख्यक अधिकार हैं। 30 (1) शिक्षा की स्थापना और प्रशासन करना

अपनी पसंद की संस्थाएं और सरकार का कर्तव्य

दूसरी ओर, कला के तहत शिक्षा को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व है। 45 नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने का प्रयास करना। हमें इन दोनों परस्पर विरोधी बातों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

हित और यदि संभव हो तो दोनों को प्रभावी बनाना और दोनों के बीच एक संश्लेषण लाना। निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज या ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। हम पहले ही [2020] 5 एस. सी. आर. देख चुके हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस कला को। 30 (1) अल्पसंख्यकों को दो अधिकार देता है, (1) अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और (2) उनका प्रशासन करने के लिए। प्रशासन के अधिकार में स्पष्ट रूप से अधिकार शामिल नहीं हो सकता है

अस्वास्थ्यकर परिवेश में उनके द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान के लिए, बिना किसी सक्षम शिक्षक के, जिसकी कोई झलक नहीं है योग्यता, और जो एक उचित मानक भी बनाए नहीं रखता है

शिक्षण या जो विद्वानों के कल्याण के प्रतिकूल मामलों को सिखाता है। अत: यह तर्कसंगत है कि उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।

उदाहरण के लिए, 7,10,11 (1), 12 (1) (2) (3) और (5) को आसानी से सहायता प्रदान करने के लिए उचित विनियमों या शर्तों के रूप में माना जा सकता है। खंड 9 , 11 (2) और 12 (4) को, हालांकि, अनुमेय सीमा से बहुत अधिक जाने पर आपत्ति है। कहा जाता है कि संग्रह को अपने हाथ में लेकर

प्रबंधन का स्पष्ट मद, क्योंकि प्रबंधक किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकता है लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले पैनल को छोड़कर शिक्षक, जो अपनी शक्ति के सवाल के अलावा

अनुसूचित जातियाँ जिन्हें अपने धर्म के सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है और शायद अन्यथा शैक्षिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। बर्खास्तगी, हटाने, रैंक में कमी, या निलंबन की शक्ति प्रबंधन के अधिकार का एक सूचकांक है, और जिसे सी. एल. द्वारा छीन लिया जाता है। 12 (4) . इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये प्रशासन के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण हैं और खतरनाक रूप से उस अधिकार का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। लेकिन विचार करें। कि वे प्रावधान सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होते हैं- रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

राष्ट्र की सेवा करने और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने में, हम तैयार हैं, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, इन खंड 9 पर विचार करने के लिए,

11 (2) और 12 (4) अनुमेय विनियमों के रूप में जो राज्य कर सकता है

अल्पसंख्यकों को सहायता देने की शर्त के रूप में उन पर अधिरोपित करना

शैक्षणिक संस्थान। हालाँकि, हम इसका समर्थन करना असंभव पाते हैं। सीएलएस। 14 और उक्त विधेयक का 15 मात्र विनियमों के रूप में। प्रावधान

उन खंडों में से निम्नलिखित अधिकारों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी हो सकते हैं।

कला. 30 (1) . यह सच है कि सहायता का अधिकार कला में निहित नहीं है। 30 (1)

लेकिन उन खंडों के प्रावधान, यदि प्रस्तुत किए जाते हैं

सहायता की शर्त के रूप में उनकी तथ्यात्मक मजबूरी आसानी से उल्लंघनकारी हो सकती है

कला की। 30 (1) संविधान से। राज्य के लिए विद्वान वकील केरल का यह मानता है कि सी. एल. एस. 14 और विधेयक का 15 समाप्त हो सकता है।

अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार

उनकी पसंद का लेकिन प्रस्तुत करता है कि उन खंडों की वैधता नहीं है

प्रश्न 2 का विषय। लेकिन, जैसा कि पहले ही समझाया गया है, सभी नए

विधेयक के अन्य खंडों की वैधता प्रासंगिक हो जाती है, एक अलग वस्तु के रूप में नहीं बल्कि वैधता निर्धारित करने में

सी. एल. के प्रावधानों का। 3 (5) . हमारी राय में, उप-क्ल। 3 सी. एल. 8 और

सीएलएस। 9 , 10 , 11 , 12 और 13 केवल विनियामक होने से अपमान नहीं होता है कला. 30 (1) , लेकिन उप-क्ल के प्रावधान। (5) सी. एल. 3 बनाने के लिए

सी. एल. एस. के अधीन सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान। 14 और 15 शर्तों के रूप में

सहायता के अनुदान के लिए कला के खिलाफ अपराध करें। 30 (1) संविधान "।

(जोर दिया गया)

21. रेव. सिद्धजभाई सभाई और ओआरएस में। वी. बम्बई राज्य

एनआर। , (1963) 3 एस. सी. आर. 837, न्यायालय ने इस मामले पर फिर से विचार किया और

ved कि शैक्षणिक संस्थान नागरिकों की जरूरतों को पूरा करते हैं

इसका। दक्षता के वास्तविक हित में बनाया गया विनियमन अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और

नहीं, निस्संदेह थोपा जाए। इस तरह के नियम प्रतिबंधात्मक नहीं हैं।

ई अधिकार का सार, जिसकी गारंटी है, वे उचित को सुरक्षित करते हैं

शिक्षा के मामले में संस्थान का गठन। यह भी थाved कि विनियमन को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए-तर्कसंगतता की परीक्षा यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक सक्षम वाहन बनाने के लिए अनुकूल है। रेव. फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट और ओआरएस में। वी. बिहार राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 465 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 8. हमारी राय में, अनुच्छेद 30 (1) की चौड़ाई को उन विचारों को शामिल करके कम नहीं किया जा सकता है जिन पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित है। बाद वाला अनुच्छेद एक सामान्य संरक्षण है जो अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। पहला अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का विशेष अधिकार है। यह विकल्प भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण की मांग करने वाले संस्थान तक ही सीमित नहीं है, और यदि अल्पसंख्यक समुदाय ने एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना की है तो यह विकल्प नहीं लिया जाता है।

अपनी पसंद की संस्था अन्य समुदायों के सदस्यों को भी स्वीकार करती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो अनुच्छेद 30 (1) को लागू करने के लिए अप्रासंगिक है क्योंकि ऐसी कोई सीमा व्यक्त नहीं की गई है और न ही कोई निहित किया जा सकता है। दोनों अनुच्छेद दो अलग-अलग अधिकार पैदा करते हैं, हालांकि यह संभव है कि वे किसी दिए गए मामले में मिल सकते हैं। 22. अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और अन्र। वी.

गुजरात राज्य और अन्र। , (1974) 1 एस. सी. सी. 717, एक कॉलेज अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जाता था। इस न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 40 और 41 ने धारा 30 का उल्लंघन किया है, जो प्रदान करती है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर सभी कॉलेज विश्वविद्यालय के कानूनों द्वारा शासित होंगे जो शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रदान कर सकते हैं। विश्वविद्यालय

समन्वय के लिए शिक्षकों की नियुक्तियों को मंजूरी दे सकता है और प्रदान की गई सुविधाओं और किए गए व्यय का विनियमन करना। न्यायालय ने राय दी कि अच्छे प्रशासन में शिक्षकों के हितों की पूर्ति करने वाले विनियमन का सर्वोपरि महत्व है, शिक्षा एक महान शिक्षा होनी चाहिए।

राष्ट्र की अखंडता के विकास में एकजुट बल, इस प्रकार:

" 19. पूरा विवाद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार की सीमा के आसपास केंद्रित है।

शैक्षणिक संस्थान। कहा जाता है कि प्रशासन के अधिकार में चार प्रमुख मामले शामिल हैं। सबसे पहले अपने प्रबंधन या शासी निकाय को चुनने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के संस्थापकों को अपनी समिति या निकाय में विश्वास और विश्वास होता है जिसमें उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा अपने शिक्षकों को चुनने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं कि शिक्षक क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन के आदर्शों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों।

संस्था। तीसरा यह अधिकार है कि छात्रों को प्रवेश से इनकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक संस्थान शैक्षणिक योग्यता के बारे में उचित नियमों के अधीन अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार चाहते हैं। चौथा अपनी संपत्तियों और परिसंपत्तियों का उपयोग अपनी संस्था के लाभ के लिए करने का अधिकार है। 20. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यह अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं है। जिस तरह शैक्षिक चरित्र को बनाए रखने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं।

और अल्पसंख्यक संस्थानों की सामग्री, इसी तरह, व्यवस्थित, कुशल और ठोस सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय आवश्यक हैं।

प्रशासन। दास, सी. जे., केरल शिक्षा विधेयक मामले में (ऊपर) 1959 एस. सी. आर. 995: ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956, एक वाक्य में यह कहकर प्रशासन के अधिकार का सही अर्थ प्रस्तुत करता है

कि प्रशासन का अधिकार कुशासन का अधिकार नहीं है।

30. शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं। मानव बुद्धि के गुणों में शिक्षा द्वारा महारत हासिल की जाती है और उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच पूर्ण सामंजस्य हो, जहाँ शिक्षक पढ़ाता है और छात्र प्राप्त करता है, जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले का पूर्ण समर्पण हो।

जहाँ शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले के बीच अनुशासन होता है, जहाँ दोनों सीखने के उपासक होते हैं, वहाँ कोई कलह या चुनौती उत्पन्न नहीं होगी। एक शैक्षणिक संस्थान सुचारू रूप से चलता है जब शिक्षक और पढ़ाए जाने वाले सामान्य आदर्श में लगे होते हैं। ज्ञान की खोज। इसलिए, यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षकों की योग्यता और चरित्र वास्तव में हैं।

महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासन का अधिकार है संस्थाएं। इस अधिकार का तात्पर्य छात्रों को सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के दायित्व और कर्तव्य से है। प्रशासन के अधिकार में, नियामक के रूप में नियंत्रण और संतुलन

अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की आवश्यकता है। प्रशासन के अधिकार को सुचारू रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक उपायों के साथ संयमित किया जाना है।

प्रशासन। सबसे अच्छा प्रशासन अल्पसंख्यक का कोई निशान या रंग प्रकट नहीं करेगा। एक अल्पसंख्यक संस्थान को अनुकरणीय रूप से चमकना चाहिए।

संस्थान के प्रशासन में सारग्राहीवाद। सबसे अच्छा। अल्पसंख्यक संस्थान को जो प्रशंसा दी जा सकती है, वह यह है कि यह अपने अल्पसंख्यक चरित्र पर आधारित नहीं है या इसकी घोषणा नहीं करता है।

31. अच्छे प्रशासन में ऐसे विनियम जो छात्रों के हितों की पूर्ति करेंगे, और जो शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे, वे सर्वोपरि हैं। शिक्षकों की दक्षता, अनुशासन और प्रशासन में निष्पक्षता के हित में नियम दोनों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। संबद्ध संस्थान।

46. सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले अल्पसंख्यक संस्थान का अंतिम लक्षय सीखने की प्रगति है। इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि शैक्षणिक और शैक्षणिक मामलों में हर चीज को विनियमित करना न केवल अनुज्ञेय है, बल्कि वांछनीय भी है।

शिक्षा के मानकों में उत्कृष्टता और एकरूपता प्राप्त करना।

47. प्रशासन के क्षेत्र में यह दावा करना उचित नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता होगी। प्रशासन पर जाँच आवश्यक हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

प्रशासन कुशल और सुदृढ़ है और संस्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अपने शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने के लिए एक अल्पसंख्यक के अधिकार में, इसके हिस्से के रूप में, अच्छे प्रशासन का एक सहसंबंधी कर्तव्य शामिल है। 90. अब हम अनुच्छेद 30 के खंड (1) द्वारा गारंटीकृत

अधिकार के दायरे और दायरे पर विचार कर सकते हैं। यह खंड सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों।

उनकी पसंद के शैक्षिक निर्देशों को स्थापित और प्रशासित करना। खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्ण रूप से है और प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मामले में है। हालाँकि, शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार इसके निर्माण को नहीं रोकता है - उन संस्थानों के संबंध में उचित विनियम। विनियम अनिवार्य रूप से हित में बनाए जाने चाहिए

एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान। इन्हें इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता है

इसमें कुशासन का अधिकार शामिल है। अस्वास्थ्यकर स्थिति में किसी शैक्षणिक संस्थान के आवास को रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। योग्य शिक्षकों के बिना किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना या निरंतरता को रोकने के लिए भी। संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए राज्य नियम निर्धारित कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानकों का निर्धारण नहीं किया जाता है

अल्पसंख्यकों के संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार के खिलाफ विद्रोह करना।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि की दक्षता के सच्चे हित में बनाए गए विनियम निस्संदेह लागू किए जा सकते हैं। इस तरह के नियम अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं, जिसकी गारंटी है: वे शैक्षिक मामलों में संस्थान के उचित कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

[रेव. सिद्धजभाई सभाई (ऊपर) में शाह, जे. की टिप्पणियाँ देखें, [(1963 3 एससीआर 837] पी। 850] . इसके अलावा, जैसा कि बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल (ऊपर) [(1971) 1 एस. सी. आर. 734] के मामले में हिदायतुल्ला, सी. जे. द्वारा देखा गया है, मानक राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं और देश और उसके लोगों की प्रगति के विचार से निर्धारित होते हैं।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में संस्थान के चरित्र से या जो अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों पर अतिक्रमण करेगा। अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का उद्देश्य वास्तविक और प्रभावी होना है न कि केवल एक पवित्र और अमूर्त भावना; यह वास्तविकता का एक वादा है न कि एक चिढ़ाने वाला भ्रम। इस तरह के अधिकार को किसी भी उपाय से कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है एक नियम। जैसा कि इस न्यायालय ने रेव. सिद्धजभाई सभाई (उपरोक्त) [(1963 3 एस. सी. आर. 837] के मामले में कहा है, ऐसे विनियम जो विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं।

अनुदान या मान्यता प्राप्त करने की शर्त के रूप में संस्थान को अल्पसंख्यक [2020] 5 एस. सी. आर. के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हुए संस्था बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए-तर्कसंगतता की परीक्षा, और परीक्षण कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है।

और संस्थान को एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है अल्पसंख्यक समुदाय या आश्रय लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा

इसके लिए।

94. यदि किसी की संबद्धता या मान्यता के लिए अनुरोध किया जाता है

शैक्षणिक संस्थान, यह अनुरोध में निहित है कि शैक्षिक

संस्था द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करेगी

संबद्धता या मान्यता प्रदान करने वाला प्राधिकरण। उक्त प्राधिकारी कर सकता है

हमेशा नियम निर्धारित करें और इस बात पर जोर दें कि उनका पालन किया जाना चाहिए

इससे पहले कि यह किसी शैक्षिक संस्था को संबद्धता या मान्यता प्रदान करे संस्था। प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति से वंचित करना

संबंधित के परिणामस्वरूप संबद्धता की अवधारणा को लूट लिया जाएगा या

इसके वास्तविक सार की मान्यता। कोई भी संस्थान संबद्धता का दावा नहीं कर सकता है

या मान्यता जब तक कि यह एक निश्चित मानक के अनुरूप न हो। तथ्य यह है

कि संस्था वास्तव में निर्धारित मानक की है

संबद्धता या मान्यता की अवधारणा। अतः यह है कि संबंधित प्राधिकारी के लिए विनियम निर्धारित करने की अनुमति

जिसका अनुपालन किसी संस्था द्वारा करने से पहले किया जाना चाहिए और संबद्धता और मान्यता बनाए रखें। तब सवाल उठता है कि क्या

अल्पसंख्यकों के लिए नियमों के प्रिस्क्रिप्शन पर कोई सीमा है

शैक्षणिक संस्थान। जहाँ तक इस पहलू का संबंध है,

विनियमों को निर्धारित करने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि

संविधान ने अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी है

अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए।

संबंधित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

उस अधिकार पर। इसलिए, संतुलन के बीच रखा जाना चाहिए

दो उद्देश्य, उत्कृष्टता का मानक सुनिश्चित करना

संस्था और अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए

अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करें। नियम-कानून जो दोनों उद्देश्यों को शामिल करते हैं और उनका मिलान करते हैं, उन पर विचार किया जा सकता है।

तर्कसंगत होने के लिए "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह राज्य के लिए विहित करने की अनुमति है

शिक्षकों के लिए भाषण। यह देखा गया:

" 176. मान्यता या संबद्धता इस आधार पर दी जाती है कि

किसी शैक्षणिक संस्थान की उत्कृष्टता, अर्थात् यह कि यह क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन तक पहुँच गया है।

. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शैक्षिक मानक। मान्यता या

किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने में सक्षम बनाने और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से संबद्धता की मांग की जाती है।

विश्वविद्यालय। उस उद्देश्य के लिए, छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे शिक्षा के स्तर को प्राप्त कर सकें

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित। मान्यता या संबद्धता विश्वविद्यालय में रुचि पैदा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षणिक संस्थान को इच्छित उद्देश्य और किसी भी विनियमन के लिए बनाए रखा गया है जो उस उद्देश्य को पूरा करना या आगे बढ़ाना उचित होगा और धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई भी शैक्षणिक संस्थान इसके बिना मान्यता या संबद्धता का दावा नहीं कर सकता है।

उन नियमों को लागू करना। यह मान्यता या संबद्धता की कीमत है: लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे किसी अधिकार या स्वतंत्रता के समर्पण के लिए निर्धारित विनियमन के अधीन होना चाहिए जिसकी गारंटी संविधान, जो मान्यता के उद्देश्य से असंबंधित है या

संबद्धता। दूसरे शब्दों में, मान्यता या संबद्धता एक ऐसी सुविधा है जिसे विश्वविद्यालय किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य वहां के छात्रों को परीक्षा में बैठने में सक्षम बनाना है।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों में और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाएगा, और इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना तर्कसंगत है कि कोई भी विनियमन जो उद्देश्य से असंबंधित है, लागू नहीं किया जा सकता है। यदि मान्यता या संबद्धता के अलावा, एक धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे प्रदान किया जाता है, आगे के नियमों की अनुमति होगी। इस मामले का सार यह है कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कोई भी शैक्षणिक संस्थान विधायिका या विश्वविद्यालय द्वारा नियमों से पूर्ण प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है यदि वह संबद्धता या मान्यता चाहता है, लेकिन अनुमेय नियमों का चरित्र है। यह उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने कहा, ऐसे विनियम अनुमत होंगे यदि वे मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को सुरक्षित करने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं। वहाँ होगा

सीमावर्ती मामले जहां यह तय करना मुश्किल है कि क्या कोई विनियमन वास्तव में मान्यता या संबद्धता के उद्देश्य को पूरा करता है। लेकिन यह सिद्धांत के सवाल को प्रभावित नहीं करता है। प्रत्येक मामले में, जब किसी विनियमन की तर्कसंगतता न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आती है, तो पूछा और उत्तर दिया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या विनियमन की गणना [2020] 5 एस. सी. आर. को कम करने के लिए की गई है या प्रभावी रूप से कम करेगा।

मान्यता या संबद्धता का उद्देश्य, अर्थात्,

अल्पसंख्यक समुदाय और इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्था। यह प्रश्न कि क्या कोई विनियमन जनता के सामान्य हित में है, इसकी

कोई प्रासंगिकता नहीं है यदि यह सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए एक वाहन के रूप में संस्थान की उत्कृष्टता को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि केवल अनुमेय विनियम वे हैं जो शिक्षा को सुरक्षित करते हैं।

मानक। यही कारण है कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि इस सवाल का कोई परिणाम नहीं है कि क्या किसी विशेष विनियमन की गणना आम जनहित को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, यदि यह अल्पसंख्यक समुदाय और इसका सहारा लेने वाले व्यक्तियों के हितों के लिए अनुकूल नहीं है।

197. दूसरे प्रश्न पर, मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश की ओर से जो कुछ गिर गया है, उसमें मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि जहां तक अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का संबंध है, अनुच्छेद 29 और 30 एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं, फिर भी संविधान का अनुच्छेद 29 किसी भी तरह से शिक्षा के उस प्रकार या चरित्र पर कोई सीमा नहीं लगाता है जिसे कोई अल्पसंख्यक अपने संस्थान के माध्यम से बच्चों को प्रदान करने का विकल्प चुन सकता है।

अपनी संस्कृति का पालन नहीं कर सकता है या अपनी मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर सकता है, कि जब कोई अल्पसंख्यक संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा के इस व्यापक शैक्षिक क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है, तो इस स्वतंत्र विकल्प के कारण ही, इसे राष्ट्रीय शिक्षा के सामान्य स्वरूप की जरूरतों का पालन करने का विकल्प माना जा सकता है। देश में ऐसी शिक्षा, कम से कम जब भी वह विकल्प वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अपनी शिक्षा को एक धर्मनिरपेक्ष अभिविन्यास या चरित्र देने के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान करने के लिए इसके चयन में अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा "धर्मनिरपेक्ष" शिक्षा के प्रकार के बारे में की गई पसंद की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए इसकी सहमति आवश्यक है जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है या हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ाती है, और इसे देने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हिस्सा है तो इस तरह के एक धार्मिक मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन बनाना है।

विकल्प, यह अपने दायित्वों का भी हिस्सा होना चाहिए, जो आवश्यक रूप से सामान्य पैटर्न का पालन करने के लिए विकल्प का पालन करते हैं। इस तरह के चुनाव का तार्किक आधार यह है कि विशेष अल्पसंख्यक संस्थान,

राज्य अल्पसंख्यक संस्थान की पसंद की अनुमति देने और उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन, क्या इसे इस तरह का विकल्प चुनने वाले अन्य संस्थानों की तुलना में अलग व्यवहार देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? 221. जाहिर है, इसका मतलब यह था कि संस्थान के अनन्य प्रबंधन का अधिकार अधिकार से अलग है

शिक्षा के स्वरूप और उसके मानकों का निर्धारण करना। यह हो सकता है

समझाएँ कि शिक्षा के "मानकों" को "प्रबंधन का हिस्सा नहीं" के रूप में क्यों कहा गया था। इसका मतलब यह था कि प्रबंधन के अधिकार में, पूर्ण रूप से प्रदान किए जाने के बाद, बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, हालांकि उस प्रबंधन के उद्देश्य को राज्य द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक सामान्य पैटर्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता था, जो

स्वयं, मुझे शिक्षण के उद्देश्यों और मानकों को यह निर्धारित करने के अधिकार से अलग करना बहुत मुश्किल लगता है कि किसे पढ़ाना चाहिए और क्या उनकी योग्यताएँ होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि "शिक्षा के मानक" प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं, तो यह देखना मुश्किल है कि वे प्रबंधन की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अपवाद कैसे हैं।

नियंत्रण से। पुनः, यदि प्रत्यक्ष रूप से जिसका उद्देश्य है उसे इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अलग करना है, तो शिक्षकों के कार्यकाल की सुरक्षा और किसी संस्थान के प्रबंधन द्वारा उनके लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य वाले प्रावधान भी सीधे इसके प्रबंधन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं होंगे। इन्हें अधिक उचित रूप से संस्थान में उपलब्ध शिक्षकों की उत्कृष्टता में सुधार और सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए के रूप में देखा जा सकता है, और इसलिए, शिक्षा के सामान्य मानक को ऊपर उठाने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए इस मामले को इस आधार पर अलग करना पर्याप्त है कि हमारे द्वारा व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान अलग हैं, हालांकि, अपने लिए बोलते हुए, मैं [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुत सम्मान के साथ यह कहने के लिए बाध्य महसूस करें कि मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं

वहाँ पाया गया प्रत्येक प्रस्ताव सही बताया गया है। उस मामले में,

अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अपरिहार्य थे जो दावा करते थे उनके संचालन से मुक्त होने का अधिकार। जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ।

यह देखा गया है कि हमारे समक्ष मामले में, अधिनियम की धारा 38-बी प्रदान करती है

व्यावहारिक रूप से एक निश्चित मोड के साथ हमारे सामने याचिका दायर करने वाला कॉलेज

इसके अलावा अन्य प्रावधानों की मजबूरी से बचने का अधिनियम की धारा 5,40 और 41 यदि इसकी ओर से किए गए दावे हैं -

सही है। 232. भले ही संविधान का अनुच्छेद 30 (1) प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है

अल्पसङ्ख्यक पर प्रबंधन के पूर्ण और निरंकुश अधिकार

अधिक मात्रा में विनियमन और नियंत्रण को बाहर करने के लिए जब अल्पसंख्यक संस्था सामान्य धर्मनिरपेक्षता के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करती है और

गैर-सांप्रदायिक शिक्षा, बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्त करती है जो हैं

संबंधित विशेष अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं, और जब यह अपनी आय का बड़ा हिस्सा उन लोगों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क से प्राप्त करता है जो

वे विचाराधीन विशेष अल्पसंख्यक के सदस्य नहीं हैं। इतना बड़ा। नियंत्रण की डिग्री को सुरक्षित करने की आवश्यकता से उचित ठहराया जा सकता है

प्रबंधन से प्रभावित लोगों के हित

अल्पसंख्यक संस्थान और यह जो शिक्षा प्रदान करता है लेकिन जो नहीं है

प्रबंधन में अल्पमत के सदस्य। दूसरे शब्दों में, यथोचित अनुमेय नियंत्रण की डिग्री स्थिति से भिन्न होनी चाहिए।

स्थिति के लिए। ऊपर दिए गए कारणों से, मुझे लगता है कि,

अधिनियम की धारा 5,40 और 41 के अलावा, जो प्रत्यक्ष रूप से और

याचिका दायर करने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अनुचित रूप से अतिक्रमण संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा संरक्षित प्रबंधित महाविद्यालय I

यह मत सोचिए कि अन्य प्रावधानों का वह प्रभाव है। जिस पर

हमारे सामने विचाराधीन स्थिति, अल्पसंख्यक संस्थान

अधिनियम द्वारा प्रभावित होने पर, इसके ऊपर रखे गए दावों पर

की ओर से, अन्य विवादित प्रावधानों से बचने का एक साधन

धारा 38 ख का सहारा लेकर अधिनियम की धारा 5,40 और 41 की तुलना में

अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

23. गांधी फैज़-ए-एम कॉलेज, शाहजहांपुर बनाम।

आगरा और अन्र की राजधानी।

, (1975) 2 एस. सी. सी. 283, न्यायालय ने रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन पर विचार किया। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]आगरा विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए उनके क़ानून ने मौलिक नियमों का उल्लंघन किया

अल्पसंख्यक समुदाय और इस प्रकार देखा गया:

" 16. यह चर्चा हमें क़ानून के गहन अध्ययन की ओर ले जाती है

14 - ए यह देखने के लिए कि क्या यह प्रबंधन के अधिकार में कटौती करता है या

बस अपने स्वास्थ्य और आदतों को सुधारें। दोनों आवश्यकताएँ

विश्वविद्यालय माँगता है कि प्रबंधन निकाय (इसका नाम जो भी हो)

(ए) कॉलेज के प्राचार्य; (बी) इसके वरिष्ठतम को लेना चाहिए।

शिक्षक। क्या यह इच्छा स्वायत्तता में काटने के रूप में खारिज की जा सकती है?

प्रबंधन का या उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए मान्य अधिकार के सार को नुकसान पहुँचाए बिना संस्था? सावधानी बरतें।

इस दृष्टिकोण की ओर झुकाव है कि यह मामला के वैध पक्ष पर पड़ता है नाजुक रेखा। विनियमन जो प्रतिबंधित करता है वह खराब है, लेकिन विनियमन जो

सुविधा अच्छी है। यह अच्छा अंतर कहाँ निहित है? कोई कठोर नहीं

सूत्र संभव है, लेकिन एक लचीला परीक्षण संभव है। जहाँ वस्तु

जहाँ निर्देश शासी निकाय के पुनर्गठन के लिए नहीं है, बल्कि एक सीमांत उत्प्रेरक प्रेरण द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना, जहाँ

कोई बाहरी प्राधिकरण का आदेश या अनुमोदन या बाहरी नामित नहीं किया जाता है

केवल प्रबंधन के लिए कहा जाता है, प्रावधान हितकर और सहेजा जाता है, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला फरमान नहीं होना।

(जोर दिया गया)

अधिकांश ने चुनौती को अस्वीकार कर दिया। यह माना गया था कि विनियमन

प्रतिबंध बुरा है, लेकिन जो प्रावधान सुविधा प्रदान करता है वह अच्छा है।

24. फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन

भारत और अन्य, (1986) 4 एस. सी. सी. 707 में सवाल उठाया गया कि क्या गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी और अन्य कर्मचारी मुझे वेतनमान, भत्ते और लाभों के हकदार हैं। अदालत ने दी मंजूरीइस पर और इस प्रकार राय दी:

" 16. एक संस्थान द्वारा प्रदान किए गए निर्देश की उत्कृष्टता

शिक्षण कर्मचारियों की उत्कृष्टता पर सीधे निर्भर करेगा, और

बदले में, यह गुणवत्ता और संतुष्टि पर निर्भर करेगा शिक्षकों को। न्यूनतम से संबंधित सेवा की शर्तें

शिक्षकों की योग्यता, उनका वेतन, भत्ते और अन्य [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवा की शर्तें जो सुरक्षा, संतुष्टि और

शिक्षकों के लिए सभ्य जीवन स्तर और जो परिणामस्वरूप होगा

उन्हें संस्थान को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाना और

छात्रों को निश्चित रूप से मौलिक का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार। द.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन नहीं किया जा सकता है द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार की आड़ में अनुमति

संविधान का अनुच्छेद 30 (1), अपने कर्मचारियों पर अत्याचार या शोषण करने के लिए

किसी भी अन्य निजी कर्मचारी से अधिक। दमन या

एक शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों का शोषण है

अनिवार्य रूप से, असंतोष और बिगड़ने के लिए बाध्य

प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संस्थान में दिए जाने वाले शिक्षा का मानक

संस्थान को शिक्षा का एक प्रभावी साधन बनाने का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य व्यक्तियों के लिए जो इसका सहारा लेते हैं। द.

अल्पसंख्यक संस्थान का प्रबंधन आक्रमण की शिकायत नहीं कर सकता है

संस्थान को प्रशासित करने का मौलिक अधिकार जब वह अस्वीकार करता है

इसके कर्मचारियों के सदस्यों को बहुत उद्देश्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है अनुच्छेद 30 (1) जो संस्थान को एक प्रभावी वाहन बनाना है

शिक्षा से।"

(जोर दिया गया)

25. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना बनाम।

रासा-हनफिया अरबी कॉलेज, जमालिया और अन्य, (1990) 1 एस. सी. सी.

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अल्पसंख्यकों को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है

अपनी पसंद की राष्ट्रीय संस्था। फिर भी, उन्हें कोई अधिकार नहीं है

मंत्री, और राज्य के पास प्रबंधन को विनियमित करने की शक्ति है

शैक्षणिक आवश्यकता के हित में ऐसे संस्थानों का प्रशासन संस्थान का अनुशासन है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 6. विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या धारा

संस्था अल्पसंख्यकों के प्रशासन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है उनकी पसंद के अनुसार इसका शैक्षणिक संस्थान। यह न्यायालय

हमेशा से यह माना गया है कि हालांकि अल्पसंख्यकों को स्थापित करने का अधिकार है

और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करते हैं लेकिन वे

कुशासन का कोई अधिकार नहीं है और राज्य के पास विनियमन करने की शक्ति है

संस्थान की शैक्षिक आवश्यकता और अनुशासन। इस तरह का नियम

इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव अल्पसंख्यकों के पूर्ण अधिकार पर पड़ सकता है, लेकिन रूसी चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संघ पर पड़ सकता है। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

जो संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि यह है

शैक्षणिक संस्थानों में दक्षता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।

हालाँकि, राज्य के पास पूरी तरह से नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है।

अल्पसंख्यक संस्थान का प्रबंधन। विनियमन की आड़ में

संस्थान में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक मानक,

प्रशासन के अपने अधिकार को सौंपने के लिए प्रबंधन। राज्य में केरल बनाम. बहुत रेव. मदर प्रोविंशियल, (1970) 2 एससीसी 417, अनुभाग

63 (1) केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 जो शक्ति प्रदान करता है सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय का प्रबंधन संभालने के लिए

राज्य के निर्देशों का पालन करने में अपनी चूक पर संस्थान सरकार को इस आधार पर अधिकार से बाहर घोषित किया गया था कि

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले प्रावधान

अपने संस्थान का प्रशासन करें। अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उनके बहाने उत्कृष्टता के मानक से नीचे गिरना

प्रबंध को हटाकर या भंग करके पूरी तरह से हटा दिया गया समिति या उसके स्थान पर तदर्थ समितियों की नियुक्ति करके।

तत्काल मामले में धारा 7 (2) (एन) स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी है

एक मदरसा की समिति। हम द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं उच्च न्यायालय "।

(जोर दिया गया)

26. सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय, (1992) 1

558 , सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित

इस प्रकार विभिन्न प्रश्न उठाए गए:

" 41. यह तर्क दिया गया था कि सेंट स्टीफन कॉलेज होने के बाद

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध ने अपना अल्पसंख्यक चरित्र खो दिया है। यह तर्क दिल्ली के कुछ प्रावधानों पर आधारित था।

विश्वविद्यालय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अध्यादेश। कहा गया है।

कि छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है न कि कॉलेज इस तरह से। लेकिन हमें विवाद में कोई सार नहीं मिलता है। में।

सबसे पहले, यह कहा जा सकता है कि राज्य या कोई साधन

राज्य स्थापित संस्था के चरित्र से वंचित नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद के बाद से अनिवार्य संबद्धता द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा

30 (1) अल्पसंख्यकों को शैक्षिक [2020] 5 एस. सी. आर. स्थापित करने का विशेष अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी पसंद की संस्थाएं। अल्पसंख्यक संस्थान की एक अलग पहचान है और इस तरह की पहचान को जारी रखने के साथ प्रशासन के अधिकार को दंडात्मक कार्रवाई से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरह की कोई भी दंडात्मक कार्रवाई संवैधानिक गारंटी के विपरीत होने के कारण अमान्य होगी। प्रशासन का अधिकार संस्था के कार्यों के संचालन और प्रबंधन का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा किया जाता है

जिनका संस्थापकों में विश्वास और विश्वास है। इस तरह की

यदि अधिकार को मान्यता दी जानी है और बनाए रखा जाना है तो संस्थान के प्रबंधन निकाय को विस्थापित या पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उचित नियम स्वीकार्य हैं लेकिन नियम

विनियामक प्रकृति का होना चाहिए और अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार के संक्षिप्त होने का नहीं होना चाहिए।

60.प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने का अधिकार प्रशासन का एक हिस्सा है। यह वास्तव में प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस शक्ति को भी विनियमित किया जा सकता है लेकिन विनियमन किसी भी अन्य विनियमन की तरह उचित होना चाहिए। यह अल्पसंख्यक संस्थान के कल्याण के लिए या इसका सहारा लेने वालों की बेहतरी के लिए अनुकूल होना चाहिए। बॉम्बे सरकार का आदेश, जो अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने वाले स्कूलों को अंग्रेजी के अलावा अन्य मातृभाषा रखने वाले छात्रों को प्रवेश देने से रोकता था, अमान्य माना गया क्योंकि इसने स्कूलों के प्रवेश पैटर्न को प्रतिबंधित कर दिया था। बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, (1955) 1 एससीआर 568]। गुजरात सरकार ने अल्पसंख्यक संचालित कॉलेज को 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया

सरकार ने वापस लेने की धमकी के साथ उम्मीदवारों का चयन किया

सहायता अनुदान और मान्यता को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में रद्द कर दिया गया था। बॉम्बे राज्य, (1963) 3 एस. सी. आर. 837]। आर टी में। रेव. मैगर। मार्क नेटो वी। केरल राज्य, (1979) 1 एस. सी. सी. 23, के प्रबंधन को अनुमति देने से इनकार बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए एक अल्पसंख्यक स्कूल को खराब माना गया था। उस मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक ने दो आधारों पर लड़कियों के प्रवेश के लिए मंजूरी

देने से इनकार कर दिया: (i) यह कि विद्यालय एक मिश्रित विद्यालय के रूप में नहीं खोला गया था और यह कि विद्यालय 25 वर्षों से विशुद्ध रूप से लड़कों के विद्यालय के रूप में चलाया जा रहा है; और (ii) कि पास के बालिका विद्यालय में इलाके की लड़कियों की शिक्षा की सुविधा थी जिसे मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था और यह एक अल्पसंख्यक संस्थान भी था। इस अदालत ने नोट किया कि इलाके में ईसाई समुदाय चाहता था कि उनकी लड़कियां भी रूसी मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन में शिक्षा प्राप्त करें।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

स्कूल विशेष रूप से उनके अपने समुदाय द्वारा बनाए रखा जाता है। उन्होंने नहीं किया। अपने बच्चों को अन्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित मुस्लिम बालिका विद्यालय में भेजना उनके हित में सोचें। लड़कों के अल्पसंख्यक विद्यालय में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति को रोकना अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन था। यह भी देखा गया कि अनुमति के इस तरह के इनकार को मंजूरी देने वाला नियम बाधा को पार करता है

विनियामक उपाय और हस्तक्षेप के क्षेत्र में आता है

संस्थान का प्रशासन, एक ऐसा अधिकार जिसकी अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों को गारंटी दी गई है। न्यायालय ने इस नियम के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया और इसे अल्पसंख्यक शिक्षा पर लागू नहीं किया।

अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने छात्रों को प्रवेश देने की स्वतंत्रता। यह पाया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र अन्य समुदायों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। द. अन्य समुदायों के छात्रों के आवेदनों को कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय के जिन छात्रों के लाभ के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी, उन्हें प्रवेश मिलने की बहुत कम संभावना थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चयन की समान विधि निर्धारित करने वाला सरकारी आदेश

इसे अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता था।

78. दृश्य निर्धारित करने के बाद, हम प्रावधानों से निपट सकते हैं

अनुच्छेद 29 (1) और 30 (1) अपेक्षाकृत तेजी से। अनुच्छेद 29 (1) के तहत नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 (1) के तहत, अल्पसंख्यक-धार्मिक या भाषाई-अपने [2020] 5 एस. सी. आर. के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के हकदार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस पर अनुच्छेद 29 (1) आधारित है। "उनकी पसंद के" शब्द अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों के लिए चुनने के लिए विशाल विकल्प छोड़ता है।

शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार जिन्हें वे स्थापित करना चाहते हैं। वे.

अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि के संरक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। या संस्कृति या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए

उद्देश्यों को। (देखिए: फादर डब्ल्यू. प्रोस्ट बनाम। बिहार राज्य (1969) 2

एससीआर 73, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम। गुजरात राज्य,

(1974) 1 एससीसी 717; और केरल शिक्षा विधेयक मामला, 1959 एससीआर

995.) "

(जोर दिया गया)

सेंट स्टीफंस कॉलेज (उपरोक्त) में निर्णय का विश्लेषण किया गया है।

आदरणीय भाई ललित, जे. इन एस. के. मो. रफीक वी. प्रबंधन

मिट्टी, कोंटाई-रहमानिया उच्च मदरसा और अन्य। , 2020 (1) एलई 345, इस प्रकार:

" 28. सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, (1992) 1

एस. सी. सी. 558 इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ को एक अवसर मिला था

नैनी में कृषि संस्थान। संक्षेप में तथ्यात्मक संदर्भ शेट्टी द्वारा लिखित बहुमत निर्णय में, जे., निम्नानुसार था:

" 68. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेंट स्टीफन कॉलेज और इलाहाबाद कृषि संस्थान से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं

सरकार। सेंट स्टीफंस कॉलेज ईसाई को वरीयता देता है

विद्यार्थी। इलाहाबाद कृषि संस्थान 50 प्रतिशत आरक्षित रखता है।

ईसाई छात्रों के लिए सीटों का प्रतिशत। द क्रिश्चियन

वरीयता या आरक्षित कोटा के विरुद्ध प्रवेश पाने वाले छात्र

योग्यता परीक्षा में कम योग्यता रखते हैं

अन्य उम्मीदवार। अधिक योग्यता वाले अन्य उम्मीदवार हैं -

इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वे ईसाई नहीं हैं। 69. यह विश्वविद्यालय और छात्र संघ के लिए तर्क दिया गया था

कि चूंकि दोनों संस्थान राज्य सहायता प्राप्त कर रहे हैं,

धर्म के आधार पर प्रवेश के लिए संस्थागत वरीयता स्टैन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन है।

भारत और अन्य देशों का नियोन [अरुण मिश्रा, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन। संस्थान धर्म के आधार पर उम्मीदवारों को पसंद या अस्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर, संस्थानों के लिए, यह दावा किया गया था कि धार्मिक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को कोई भी वरीयता दी जाती है। उनकी अपनी संस्थाएं अनुच्छेद 29 (2) के तहत भेदभाव नहीं हो सकती हैं। संस्थानों की स्थापना उनके समुदाय के लाभ के लिए की जाती है और यदि उन्हें अपने समुदाय के उम्मीदवारों को प्रवेश देने से रोका जाता है, तो संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को वरीयता या आरक्षण द्वारा अपने उम्मीदवारों को प्रवेश देने का अधिकार है। वे.

उन्हें अन्य सभी के बहिष्कार में प्रवेश देने का भी अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से आता है। ”

3.1 . बहुमत निर्णय ई संस्थान द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरणों से संबंधित था जो इस प्रकार है:

उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अनन्य लाभ। में प्रदान की गई संस्था का चयन

अनुच्छेद 30 (1) का मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक अपने समुदाय के लोगों के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते। केरल शिक्षा विधेयक में यह बताया गया था कि अल्पसंख्यक केवल अपने समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा उद्देश्य होता, तो अनुच्छेद 30 (1) को अलग तरीके से लिखा जाता और इसमें "अपने समुदाय के लिए" शब्द शामिल होते। ऐसे शब्दों के अभाव में यह कानूनी रूप से अस्वीकार्य है

अनुच्छेद को अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने के रूप में समझें

अपने लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करें। 81. व्यवहार में भी, इस तरह के दावों को काफी शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। एक अपेक्षाकृत सजातीय समाज का होना अनुकूल नहीं हो सकता है। यह धार्मिक कट्टरता की ओर ले जा सकता है जो मानव जाति के लिए अभिशाप है। धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाले सांप्रदायिक स्कूलों या कॉलेजों के साथ राष्ट्र निर्माण में, अलग-अलग संकाय

या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अवांछनीय हैं और वे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। वे धर्मनिरपेक्षता की केंद्रीय अवधारणा के साथ असंगत होंगे।

और संविधान में अंतर्निहित समानता। प्रत्येक शैक्षिक [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्थान चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक 'मेल्टिंग पॉट' है। छात्र और शिक्षक हैं

महत्वपूर्ण सामग्री। यही वह जगह है जहाँ वे दूसरों की संस्कृतियों और मान्यताओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों का उचित मिश्रण होना चाहिए।

सभी शैक्षणिक संस्थानों में अलग-अलग समुदाय।

***

28.3 . बहुमत निर्णय, तब, से मामले पर विचार किया

"अल्पसंख्यकों के अधिकार और हितों का संतुलन" के परिप्रेक्षय में और

वेद:

" 101. अल्पसंख्यकों के अधिकारों का निर्धारण करने वाले कानून

हालाँकि, अनुच्छेद 30 (1) मनमाना, अभेद्य या अपमानजनक नहीं होना चाहिए।

अनुचित; उनका उद्देश्य और नियोजित साधनों के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। व्यक्तिगत अधिकार अनिवार्य रूप से

प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक हितों के साथ संतुलित होना होगा। में। सिद्धजभाई मामला (1963) 3 एस. सी. आर. 837 सरकारी आदेश

अल्पसंख्यक संचालित महाविद्यालय को सरकारी उम्मीदवारों के लिए 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश देना और अनुदान-सहायता और मान्यता को रोकने की धमकी के साथ प्रबंधन के लिए केवल 20 प्रतिशत सीटों की अनुमति देना, न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के रूप में खारिज कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 337 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है जिसमें संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों के लिए एंग्लो-इंडियन समुदाय को विशेष रियायत प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 30 (2) के विपरीत इसने एंग्लो-इंडियन समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने का सकारात्मक अधिकार प्रदान किया।

लेकिन इस शर्त के अधीन कि वार्षिक प्रवेश का कम से कम 40 प्रतिशत अन्य समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था।

102. इन सभी सिद्धांतों और कारकों के आलोक में, और

संविधान जिस महत्व को संरक्षण से जोड़ता है

अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों के लिए उपाय, अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त

शैक्षणिक संस्थानों को अपने समुदाय को प्राथमिकता देने का अधिकार है

विश्वविद्यालय मानक के अनुरूप पाठ्यक्रम विषय के रूप में संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने के लिए उम्मीदवार। जिस क्षेत्र में संस्थान सेवा करने का इरादा रखता है, उस क्षेत्र में समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य इस श्रेणी में प्रवेश को विनियमित कर सकता है। लेकिन किसी भी मामले में ऐसा प्रवेश वार्षिक प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अल्पसंख्यक संस्थान रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन बनाएँगे। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्यों के लिए वार्षिक प्रवेश का कम से कम 50 प्रतिशत उपलब्ध होना। अन्य समुदाय के उम्मीदवारों का प्रवेश विशुद्ध रूप से आधार पर किया जाएगा

गुण की "।

28.4 . यह भी देखा गया कि नियम जो हितों की पूर्ति करते हैं, वे शिक्षकों की पहचान करते हैं और उनके मानकों में एकरूपता बनाए रखते हैं।संबद्ध संस्थानों के बीच समझौता वैध रूप से किया जा सकता है। पैरा 59 में चींटी की चर्चा इस प्रकार थी:

" 59. इस पहलू पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता वास्तव में आवश्यक नहीं है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई,

शैक्षणिक संस्थानों और राज्य की शक्तियों का प्रशासन करना

शैक्षणिक मामलों और प्रबंधन को विनियमित करना अब काफी अच्छा है।

तय हो गया। प्रशासन के अधिकार में अधिकार शामिल नहीं है

कुशासन। नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते राज्य को अधिकार है और सभी शैक्षणिक मामलों को विनियमित करने का कर्तव्य। ऐसे विनियम जो छात्रों और शिक्षकों के हितों की पूर्ति करेंगे और संबद्ध संस्थानों के बीच शिक्षा के मानकों में एकरूपता बनाए रखेंगे

बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थान दावा नहीं कर सकते हैं।

ऐसे सामान्य स्वरूप और मानक के विरुद्ध या सामान्य कानूनों जैसे कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, श्रम संबंध, सामाजिक कल्याण कानून, अनुबंध, अपकृत्य आदि के विरुद्ध प्रतिरक्षा जो सभी समुदायों पर लागू होती है। जब तक शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार को छीन नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य नियामक कानून बनाने में सक्षम है। हालाँकि, विनियमों का प्रभाव अल्पसंख्यकों के अपने बच्चों को अपने स्वयं के संस्थान में शिक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का नहीं होगा।

वह एक विशेषाधिकार है जो द्वारा प्रदत्त अधिकार में निहित है

अनुच्छेद 30 (1) "।

28.5 . कासलीवाल की असहमत राय, जे. ने एक अंश का हवाला दिया

इस मामले पर संविधान सभा की बहस (सीएडी)

यू. ई. निम्नानुसार है:

" 137. ये एक ओर संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 23 (1) और दूसरी ओर 23 (3) (ए) और 23 (3) (बी) थे। सबसे पहले,

संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 28 के अनुरूप कि अनुच्छेद 30 और 29 के संबंध में भी राज्य पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने या न देने के लिए स्वतंत्र

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा:

" अब, दूसरे खंड के संबंध में मुझे लगता है कि इसे पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। हमने सुलह करने की कोशिश की है

एक समुदाय का दावा जिसने शिक्षा या सांस्कृतिक मामलों में अपने बच्चों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थान शुरू किए हैं, ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति देने के लिए; इस तथ्य के बावजूद कि उसे राज्य से कुछ सहायता मिलती है। राज्य, निश्चित रूप से, सहायता देने के लिए स्वतंत्र है, सहायता न देने के लिए स्वतंत्र है; हमने केवल एक सीमा रखी है, कि राज्य संस्थान को अपने अनुदान-सहायता संहिता के तहत सहायता का दावा करने से केवल इस आधार पर नहीं रोकेगा कि यह एक समुदाय द्वारा चलाया और बनाए रखा जाता है और किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा बनाए नहीं रखा जाता है। हमने वहाँ एक और योग्यता भी प्रदान की है, कि यद्यपि यह संस्था में धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है और राज्य द्वारा दिया गया अनुदान इस तरह के निर्देश देने के लिए बाधा नहीं होगा, लेकिन यह अन्य समुदायों

के बच्चों को निर्देश नहीं देगा, या उन्हें अनिवार्य नहीं बनाएगा, जब तक कि वे इन बच्चों के माता-पिता की सहमति प्राप्त नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि यह एक हितकारी प्रावधान है। यह प्रदर्शन करता है। दो कार्य।

श्री एच. वी. कामथ: स्पष्टीकरण के एक बिंदु पर किसी समुदाय या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थानों और स्कूलों के बारे में क्या? अपने स्वयं के छात्र-एक ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ सभी समुदाय मिश्रित हैं, बल्कि एक ऐसा विद्यालय है जो समुदाय द्वारा अपने स्वयं के छात्रों के लिए चलाया जाता है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: अगर मेरे दोस्त, श्री कामत दूसरे लेख को पढ़ेंगे तो वे देखेंगे कि एक बार किसी संस्थान को, चाहे वह समुदाय द्वारा चलाया जाता हो या नहीं, अनुदान मिल जाता है।

शर्त यह है कि यह स्कूल को सभी समुदायों के लिए खुला रखेगा। उस प्रावधान को उन्होंने नहीं पढ़ा है।

138. उन्होंने देने या न देने की राज्य की स्वतंत्रता की पुष्टि की

अनुच्छेद 23 के मसौदे का सीधे उल्लेख करते समय इन विद्यालयों को सहायता प्रदान करें जो वर्तमान अनुच्छेद 29 और 30 के अग्रदूत हैं (VII CAD 923):

" मुझे लगता है कि एक और बात है जिसे पढ़ने में शामिल किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 23 यह है कि यह राज्य पर कोई दायित्व या बोझ नहीं लगाता है। यह नहीं कहता है कि, उदाहरण के लिए, जब मद्रास के लोग बॉम्बे आते हैं, तो बॉम्बे सरकार को कानून द्वारा तमिल भाषा या आंध्र भाषा में शिक्षा देने की किसी भी परियोजना के लिए वित्त पोषण करने की आवश्यकता होगी।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

या कोई अन्य भाषा। कोई बोझ नहीं डाला जाता है राज्य। अनुच्छेद 23 द्वारा लगाई गई एकमात्र सीमा है -

कि अगर कोई सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है जो संरक्षित करना चाहता है

अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, राज्य द्वारा

कानून उस पर किसी भी अन्य संस्कृति को लागू करता है जो या तो हो सकती है

स्थानीय या अन्यथा "।

और, यह देखने के लिए चला गया कि एक बार एक संस्थान प्राप्त कर रहा था

सहायता ", इसे अनुच्छेद 29 (2) की कठोरता का पालन करना चाहिए कॉलेज में छात्रों का प्रवेश "और" जैसा कि पहले से ही आयोजित किया गया है

मैं, सेंट स्टीफंस कॉलेज और इलाहाबाद कृषि संस्थान

किसी भी अधिमानी अधिकार या आरक्षण का दावा करने के हकदार नहीं हैं

ईसाई समुदाय के छात्रों का समर्थन जो उन्हें मिल रहा है

सहायता प्रदान करना और इस प्रकार मैं श्रम को आवश्यक नहीं मानता।

यह तय करने के सवाल पर कि कितना प्रतिशत है

इसे उचित माना जा सकता है।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संस्था के चयन का यह अर्थ नहीं है कि

अल्पसंख्यक अपने समुदाय के लोगों के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते थे। केरल शिक्षा विधेयक (उपरोक्त) में, यह विचार किया गया और कहा गया कि अल्पसंख्यक केवल अपने समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक 'मेल्टिंग पॉट' है और सभी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न समुदायों के छात्रों का मिश्रण होना चाहिए। समुदाय के लिए प्रवेश वार्षिक प्रवेश के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य लोगों को प्रदान किया जाना है। प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।

27. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में, 11 की पीठ द्वारा निर्णय लिया गया

न्यायालय के न्यायाधीशों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अधिकारों पर विचार करते हुए इस प्रकार निर्णय दिया:

" 3. इन मामलों की सुनवाई का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास रहा है। लिखें।

इस्लामी शिक्षा अकादमी द्वारा दायर 1993 की याचिका संख्या 350

चूंकि पीठ की प्रथम दृष्टया यह राय थी कि अनुच्छेद 30 ने ऐसा किया था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को गोद लेने की शक्ति नहीं है

चयन की अपनी विधि और निर्णय की शुद्धता

सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम में इस न्यायालय का। दिल्ली विश्वविद्यालय, [2020] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1992) 1 एस. सी. सी. 558 पर संदेह था, यह निर्देश दिया गया था कि जो प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर एक बड़ी पीठ द्वारा अधिकृत रूप से दिया जाना चाहिए। इन मामलों को तब सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था। तैयार किए गए प्रश्नों को फिर से तैयार किया गया और आई. डी. 1 पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को कम से कम ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाए, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि संविधान के बयालीसवें संशोधन को देखते हुए, जिसके तहत "शिक्षा" को सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 में शामिल किया गया था, यह सवाल आवश्यक था कि किसे "अल्पसंख्यक" माना जाएगा।

माना जाता है क्योंकि पहले का मामला-पूर्व संशोधन युग से संबंधित कानून, जब शिक्षा केवल राज्य सूची में थी। जब मामले ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आए, तो 19-3-1997 पर सुनवाई के दौरान, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

" चूंकि हमारे तर्कों के दौरान एक संदेह पैदा हुआ है

इस बारे में कि क्या यह पीठ खुद को बाध्य महसूस करेगी

केरल शिक्षा विधेयक, 1957, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956 और अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम में प्रस्तावित अनुपात। गुजरात राज्य, (1974) 1 एस. सी. सी. 717 यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बड़ी पीठ उन मामलों में व्यक्त किए गए विचारों से खुद को बाधित महसूस नहीं करेगी क्योंकि वर्तमान प्रयास संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के सही दायरे और व्याख्या को समझना है, जो प्रमुख प्रश्न होने के कारण इसकी मूल शुद्धता में जांच की आवश्यकता होगी। तथ्य दर्ज किया गया है "।" " "

38. उन्नी कृष्णन मामले (1993) 1 एस. सी. सी. 645 में योजना का महत्वपूर्ण विशेषताओं के संबंध में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव है। प्रवेश देने और शुल्क तय करने के लिए एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान का अधिकार। इस योजना को तैयार करके, जिसके कारण राज्य सरकार इस योजना के अनुरूप कानून बना रही है, निजी संस्थान सरकारी संस्थानों से अलग नहीं हैं; एक निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन के अधिकार की सभी आवश्यक विशेषताओं को कम करना न तो उचित कहा जा सकता है और न ही उचित। यहाँ तक कि उन्नी कृष्णन मामले के फैसले में भी

जीवन रेड्डी, जे. द्वारा पी. में देखा गया है। 749 , पैरा 194 इस प्रकार है:

" 194. कठोर वास्तविकता जो सामने आती है वह यह है कि वर्तमान संदर्भ में निजी शैक्षणिक संस्थान एक आवश्यकता हैं।

यह रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन नहीं है।. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

इनके बिना काम करना संभव है क्योंकि सरकारें विशेष रूप से चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

व्यय। जबकि शिक्षा भारतीय राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, इसमें इसका कोई एकाधिकार नहीं है। निजी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों की भी भूमिका है।

40. छात्र चयन की कोई भी प्रणाली अनुचित होगी यदि

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान को तर्कसंगत चयन के अधिकार से वंचित करता है, जिसे उसने अपने लिए तैयार किया है, न्यूनतम योग्यता के अधीन जो निर्धारित की जा सकती है और

विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के बीच समानता की गणना करना, जैसे कि एक सामान्य प्रवेश परीक्षा। चयन की ऐसी प्रणाली में चयन के लिए लिखित और मौखिक दोनों परीक्षण शामिल हो सकते हैं। निष्पक्षता।

45. ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि उन्नी कृष्णन मामले (1993) 1 एस. सी. सी. 645 में प्रवेश अनुदान और शुल्क निर्धारण से संबंधित योजना तैयार करने का निर्णय सही नहीं था और उस हद तक उक्त निर्णय और यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई., चिकित्सा परिषद को दिए गए परिणामी निर्देश सही नहीं थे।

भारत, केंद्र और राज्य सरकारों आदि को रद्द कर दिया जाता है।

50.व्यापक रूप से स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

(क) छात्रों को प्रवेश देना;

(ख) एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना;

(ग) एक शासी निकाय का गठन करना;

(घ) कर्मचारी (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करना; और

(ई) यदि कर्तव्य में लापरवाही की जाती है तो कार्रवाई करना।

कोई भी कर्मचारी।

53. अनुच्छेद 19 और 26 (ए) के तहत अधिकारों के मुख्य घटकों के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि राज्य को प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन निजी तौर पर बिना सहायता के। कॉलेजों को अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, चयन की एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत प्रक्रिया और शर्तों के अनुपालन के अधीन, यदि कोई हो, तो एक छोटे प्रतिशत [2020] 5 एस. सी. आर. के प्रवेश की आवश्यकता होती है।

समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों को मुफ्त या छात्रवृत्ति प्रदान करके, यदि सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करने में, मुनाफाखोरी का तत्व अभी तक भारतीय परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया गया है। शुल्क

68. सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने वाले समान नियमों और विनियमों को लागू करना अनुचित होगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थान अपने प्रशासन में स्वायत्तता के हकदार हैं, जबकि वे योग्यता के सिद्धांत को नहीं छोड़ते हैं या त्याग नहीं करते हैं। अतः मान्यता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय या सरकार के लिए यह अनुमति होगी कि वह किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान से योग्यता-आधारित चयन की व्यवस्था करे, जबकि साथ ही प्रबंधन को छात्रों को प्रवेश देने में पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करे। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन छात्रों में से प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, जिन्होंने स्वयं या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रवेश के लिए संबंधित कॉलेज में आवेदन किया है, जबकि बाकी सीटें निम्नलिखित के आधार पर भरी जा सकती हैं -

राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श। यह संयोग से समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों का ध्यान रखेगा। इस उद्देश्य के लिए प्रतिशत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाना है।

स्थानीय जरूरतों और विभिन्न प्रतिशत के अनुसार क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन हो सकता है। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और पेशेवर कॉलेजों के लिए निर्धारित। यही सिद्धांत अन्य गैर-व्यावसायिक लेकिन गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किए जा सकते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर गैर-व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान।

71. व्यावसायिक संस्थानों को सहायता देते समय, सहायता देने वाले प्राधिकरण के लिए नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित करने की अनुमति होगी, जिन शर्तों के आधार पर योग्यता के आधार पर विभिन्न सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा, राज्य की आरक्षण नीति के साथ। योग्यता का निर्धारण या तो विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके बाद परामर्श दिया जाता है, या अलग-अलग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर विधि निर्धारित की जा सकती है।

इसका पालन करना विश्वविद्यालय या सरकार को तय करना है। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य साधन भी तैयार कर सकता है कि किसी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाए। ऐसे संस्थानों के मामले में, इसकी अनुमति होगी सरकार या विश्वविद्यालय को यह प्रदान करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चयन अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार के लिए एक आवश्यक संगत है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 29 (2) में प्रावधान है कि, जहां कोई भी शैक्षणिक संस्थान राज्य द्वारा चलाया जाता है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

जाति, जाति, भाषा या उनमें से कोई भी। अनुच्छेद 29 (2) में "कोई भी शैक्षणिक संस्थान" शब्द का उपयोग किसी के द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संदर्भित नहीं करेगा, लेकिन जो राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, एक सादे पाठ पर, राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे सरकार या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित हों, केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। 93. क्या अनुच्छेद 30 (1) को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि इसका अर्थ यह हो कि इसमें अल्पसंख्यकों का पूर्ण अधिकार है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो, वे किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना चाहते हैं, और [2020] 5 एस. सी. आर. का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी कानून के प्रावधान? क्या अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है?

वे भवन उप-कानूनों या स्वास्थ्य विनियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना किसी भी तरह से भवनों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। 105. रेव. सिद्धजभाई सभाई बनाम। बॉम्बे राज्य, (1963) 3 एस. सी. आर. 837, इस न्यायालय को बॉम्बे सरकार द्वारा जारी एक आदेश की वैधता पर विचार करना था जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष से

1955-56 , 80 % गैर-सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सीटें आरक्षित की जानी थीं

सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक। याचिकाकर्ता, जो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय और प्राथमिक विद्यालय भी चला रहे थे। उक्त प्राथमिक विद्यालय और महाविद्यालय आम तौर पर उत्तरी भारत के संयुक्त चर्च और भारतीय ईसाइयों के धार्मिक

संप्रदाय के लाभ के लिए आयोजित किए गए थे, हालांकि अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रवेश से वंचित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 80 प्रतिशत सीटों को सरकार के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने की आवश्यकता थी, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता एक धार्मिक संप्रदाय के सदस्य थे और वे एक धार्मिक अल्पसंख्यक थे, और यह कि शैक्षणिक संस्थान मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का मामला था कि सरकार के निर्णय ने अनुच्छेद 30 (1), 26 (ए), (बी), (सी) और (डी), और 19 (1) (एफ) और (जी) द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। अनुच्छेद 30 की व्याख्या करते समय, यह इस प्रकार देखा गया था -

एस. सी. आर. पी. में न्यायालय। 849-50 निम्नानुसार:

शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का पूर्ण अधिकार अपनी पसंद के संस्थान; और कोई भी कानून या कार्यकारी निर्देश

जो उस अधिकार के सार का उल्लंघन करना चाहता है अनुच्छेद 30 (1) उस हद तक अमान्य होगा। लेकिन यह है

यह कहने के लिए नहीं कि यह राज्य के लिए नियमों को लागू करने के लिए खुला नहीं है-क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन

. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन: वास्तव में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, ऐसे संस्थान जो नागरिकों या उनके वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की दक्षता के सही हित में बनाए गए विनियमन को निस्संदेह लागू किया जा सकता है। ऐसे विनियम उस अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं जिसकी गारंटी दी गई है: वे उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करते हैं संस्थान, शैक्षिक मामलों में "।

106. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों का अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार गंभीर रूप से प्रतिबंधित था, इस न्यायालय ने केरल शिक्षा विधेयक, 1957 मामले, 1959 एस. सी. आर. 995 में राय का उल्लेख किया, लेकिन यह कहते हुए इसे अलग किया कि न्यायालय ने उस मामले में कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की थी। विनियमन की तर्कसंगतता। केरल शिक्षा विधेयक, 1957 के मामले, 1959 एस. सी. आर. 995 में ऐसा कोई सामान्य सिद्धांत नहीं रखा गया था, जिसके आधार पर किसी विनियमन की तर्कसंगतता का परीक्षण किया जा सके और इसलिए, सिद्धजभाई सभाई मामले, (1963) 3 एस. सी. आर. 837 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले में राय इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण नहीं थी कि सभी नियामक उपाय, जो संस्थान के चरित्र के विनाशकारी या विनाशकारी नहीं थे।

अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित, बशर्ते नियम राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित में हों, वैध थे। इस संबंध में यह आगे एससीआर पीपी में आयोजित किया गया था। 856-57 , इस प्रकार है:

" अनुच्छेद 30 (1) द्वारा स्थापित अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

निरपेक्ष रूप में घोषित अधिकार। मौलिक के विपरीत

अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता, यह विषय नहीं है

उचित प्रतिबंधों के लिए। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के मामले में उनकी सुरक्षा के लिए एक वास्तविक अधिकार होना है। अधिकार का उद्देश्य प्रभावी होना है और इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के हित में नहीं, बल्कि जनता या समग्र रूप से राष्ट्र के हित में परिकल्पित तथाकथित नियामक उपायों द्वारा कम नहीं किया जाना है। यदि प्रत्येक आदेश जो औपचारिक चरित्र को बनाए रखते हुए

अल्पसंख्यक संस्थान की प्रशासन की शक्ति को नष्ट करना उचित माना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित में है, हालांकि एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसके हित में नहीं है, अधिकार [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा गारंटी केवल एक 'चिढ़ाने वाला भ्रम', अवास्तविकता का वादा होगा। नियम जो कानूनी रूप से हो सकते हैं

एक शर्त के रूप में विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा लगाया गया अनुदान या मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थान को एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हुए एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इस तरह के विनियमन को एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए-तर्कसंगतता की परीक्षा, और यह परीक्षा कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी वाहन बनाने के लिए अनुकूल है।

कि शिक्षा, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था की दक्षता के वास्तविक हित में बनाए गए विनियम लागू किए जा सकते हैं। यदि ऐसा है, तो यह समझना मुश्किल है कि सरकार को राष्ट्रीय हित में नियम बनाने से कैसे रोका जा सकता है, जैसा कि ऊपर उद्धृत अंश में संकेत दिया गया है। राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे संचालित हों। बहुमत या अल्पसंख्यक द्वारा। इस तरह की सीमा को अनिवार्य रूप से

अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित को ओवरराइड करे या इसे रोकने के लिए हो।

सरकार उस ओर से नियम बनाने से। यह निश्चित रूप से सच है कि सरकारी नियम अल्पसंख्यकों को नष्ट नहीं कर सकते।

संस्थान का चरित्र या इसे स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार मात्र एक भ्रम है; लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना निरपेक्ष नहीं है कि कानून से ऊपर हो। आगे यह देखा जाएगा कि सिद्धजभाई सभाई मामले (1963) 3 एस. सी. आर. 837 में संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। इसलिए, यह निर्णय हमारे सामने रखे गए प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं हो सकता है। 119. एक समवर्ती निर्णय में, नोट करते हुए (एस. सी. सी. पी. में। 770, पैरा 73) कि "अनुच्छेद 29 का खंड (2) नागरिकों को राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार करने या केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के धन से सहायता प्राप्त करने से मना करता है", खन्ना, जे. ने तब भारत और अन्य देशों के स्टैन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन की जांच की [अरुण मिश्रा, जे.]

अनुच्छेद 30, और एस. सी. आर. पी. में अवलोकन किया गया। 222 , इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 770 ,

आरए 74)

" 74. अनुच्छेद 30 का खंड (1) सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है,

चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, और

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें। विश्लेषण करें।

वह खंड यह अनुसरण करेगा कि वह अधिकार जो दिया गया है

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें। 'स्थापना' शब्द अस्तित्व में लाने के अधिकार को इंगित करता है, जबकि किसी संस्थान को प्रशासित करने के अधिकार का अर्थ है संस्थान के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और संचालित करने का अधिकार। प्रशासन संस्थान के मामलों के प्रबंधन को संदर्भित करता है। द. प्रबंधन को नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए ताकि संस्थापक या

उनके नामांकित व्यक्ति संस्थान को वैसा ही ढाल सकते हैं जैसा वे उचित समझते हैं।

उनके विचारों के अनुसार कैसे के हित

सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से संस्थान को सबसे अच्छी सेवा दी जाएगी। उनकी पसंद के शब्द 'शैक्षणिक संस्थानों को योग्य बनाते हैं और यह दर्शाते हैं कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान किसी विशेष के होने की आवश्यकता नहीं है

अल्पसंख्यकों को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार और स्वतंत्रता है जो वे चुनते हैं। अनुच्छेद 30 का खंड (2) राज्य को किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने के मामले में इस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है कि संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

20. अनुच्छेद 30 के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए, यह देखा गया

एस. सी. आर पी. 224 , इस प्रकार है: (एस. सी. सी पी. 772, पैरा 77)

" 77. अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का विचार आबादी के एक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त या लाड़ले वर्ग को रखने के लिए नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना और विश्वास की भावना देना है। समय के बाद से भारत के महान नेता

अनादिकाल से सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रचार किया था और

दृष्टिकोण की कैथोलिकता। वे महान विचार संविधान में निहित थे। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को असमानता पैदा करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका वास्तविक प्रभाव अल्पसंख्यक संस्थानों के संरक्षण को सुनिश्चित करके समानता लाना था और [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अल्पसंख्यकों को उन संस्थानों के प्रशासन के मामले में स्वायत्तता की गारंटी देना। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देकर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का उद्देश्य है - एक संतुलन लाएं, ताकि समानता के आदर्श को केवल एक अमूर्त विचार तक सीमित नहीं किया जा सके, बल्कि एक जीवित विचार बन जाए

वास्तविकता और परिणाम में सच्ची, वास्तविक समानता, एक समानता न केवल

सिद्धांत रूप में, लेकिन वास्तव में भी।

121. इस बात की वकालत करते हुए कि संविधान के प्रावधानों को उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण लोगों के अनुसार समझा जाना चाहिए

दृष्टिकोण, और उन सिद्धांतों पर विचार करने के बाद जो हो सकते हैं

खन्ना, जे. ने एस. सी. आर. पी. में कहा कि इस न्यायालय के पहले के फैसलों से उनके द्वारा समझा गया। 234 , इस प्रकार है: (एस. सी. सी पी. 781, पैरा 89)

" अल्पसंख्यकों के लिए यह सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण के साथ-साथ उनके शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता की भावना, सुरक्षा की भावना, समानता की भावना से वंचित कर सके। वही उदार, उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए।

अनुच्छेद 29 और 30 का अर्थ लगाने में न्यायालयों के साथ विचार करें प्रारूपण में संविधान निर्माताओं के विचार-विमर्श को चिह्नित किया

उन अनुच्छेदों और उन्हें मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाना। जनसंख्या के वर्गों के बीच अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आयु से कम के व्यक्तियों के बीच हितों की रक्षा।

बहुसंख्यक हैं या अन्यथा किसी प्रकार से पीड़ित हैं

दुर्बलता से। इसलिए, संविधान और सभ्य देशों द्वारा बनाए गए कानूनों में आम तौर पर इसके लिए प्रावधान होते हैं -

उन हितों की रक्षा करना। वास्तव में, इसे किसी राष्ट्र की सभ्यता और कैथोलिकता के स्तर का एक सूचकांक कहा जा सकता है कि उनके अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित महसूस करते हैं और किसी के अधीन नहीं हैं।

भेदभाव या दमन "।

122. विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार इस पर रोक नहीं लगाता है इन संस्थानों के संबंध में उचित विनियम बनाना। यह मानते हुए कि शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार में कुशासन का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है, यह माना गया कि क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन

. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अनुदान और मान्यता प्राप्त करने के लिए नियमों को कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, जबकि संस्था को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। विनियमन को "एक दोहरी परीक्षा को संतुष्ट करना चाहिए-तर्कसंगतता की परीक्षा, और यह परीक्षा कि यह संस्थान के शैक्षिक चरित्र का नियामक है और है संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए अनुकूल "। (एस. सी. सी पी. 783, पैरा 92) किसी अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने या बनाए रखने से पहले अधिकारियों को नियम निर्धारित करने की अनुमति थी, जिनका पालन किया जाना चाहिए।

लेकिन यह भी कहा गया कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों को अल्पसंख्यक चरित्र पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए।

संस्था। इसलिए, संस्थान के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करने के दो उद्देश्यों के बीच एक संतुलन बनाए रखना होगा। नियम-कानून

दोनों उद्देश्यों को अपनाना और उनका सामंजस्य स्थापित करना उचित माना जा सकता है। यह, हमारे विचार में, समस्या के लिए सही दृष्टिकोण है।

123. के संबंध में पहले के मामलों को संदर्भित करने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति, यह खन्ना, जे द्वारा नोट किया गया था कि

इसके बाद जो निष्कर्ष निकला वह यह था कि एक कानून जो अल्पसंख्यक के योग्य शिक्षकों की पसंद, या शिक्षकों और संस्थान के कर्मचारियों के अन्य सदस्यों पर इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है, अमान्य था, क्योंकि यह अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन था। जबकि राज्य और उसके शैक्षणिक प्राधिकरणों के लिए शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने की अनुमति थी, यह माना गया था कि एक बार आवश्यक योग्यता रखने वाले शिक्षकों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

एक शैक्षणिक संस्थान के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को अनुच्छेद 30 (1) के तहत आवश्यक अवयवों में से एक माना जाता था। न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि केरल शिक्षा विधेयक में, 1957 मामला, 1959 एस. सी. आर. 995, इस न्यायालय ने राय दी थी कि खंड 11 और 12 ने सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए जनता द्वारा प्रत्येक जिले से चुने गए पैनल से शिक्षकों का चयन करना अनिवार्य कर दिया है।

सेवा आयोग और यह कि सहायता प्राप्त विद्यालय के किसी भी शिक्षक को इसके बिना बर्खास्त, हटाया या रैंक में कम नहीं किया जा सकता है प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी। एससीआर में पी।

जे. ने कहा कि केरल शिक्षा विधेयक, 1957 मामले, (1959) एस. सी. आर. 995 में राय के बाद के मामलों में इस न्यायालय ने खंड 11 और खंड 12 के समान प्रावधानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन करने वाला माना था। इसके बाद उन्होंने कहा: (एस. सी. सी पी. 792, पैरा 109)।

" री केरल एजुकेशन में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त राय

प्रेरक मूल्य, उक्त राय विवादित मामलों में इस न्यायालय द्वारा बाद में व्यक्त की गई राय पर हावी नहीं हो सकती है। यह इस न्यायालय द्वारा बाद में लड़े गए मामलों में घोषित कानून है जिसका बाध्यकारी प्रभाव होगा। 'जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है' शब्दों के साथ-साथ पूर्ववर्ती वाक्य से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय द्वारा केरल शिक्षा विधेयक, 1957 में इस संबंध में व्यक्त किया गया विचार संकोचपूर्ण और अस्थायी था, न कि किसी अन्य मामले में। मामले में अंतिम दृष्टिकोण "।

धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को ऐसा पूर्ण अधिकार दिया गया है, जो उन्हें इस तरह से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाएगा ताकि वे संविधान के अन्य भागों के साथ संघर्ष कर सकें। हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, देश का कोई कानून, यहां तक कि संविधान भी, उन पर लागू नहीं होगा।

136. इस न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि प्रशासन के अधिकार में कुशासन का अधिकार शामिल नहीं है। यह भी माना गया है कि प्रशासन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय हित के अनुरूप शिक्षा के वाहक के रूप में संस्थानों के लाभ के लिए उचित नियमों के अधीन होना चाहिए। सभी व्यक्तियों पर लागू भूमि के सामान्य कानूनों को अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू माना गया है, उदाहरण के लिए, कानून। कराधान, स्वच्छता, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विनियमन, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता से संबंधित।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

137. यह उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है कि भले ही

अनुच्छेद 30 (1) के शब्द अयोग्य हैं, इस न्यायालय ने माना है कि कम से कम देश के कुछ अन्य कानून स्वास्थ्य, नैतिकता से संबंधित हैं।

और शिक्षा के मानक लागू होते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को पूर्ण या कानून के अन्य प्रावधानों से ऊपर नहीं माना गया है, और हम इसे दोहराते हैं। इसी सादृश्य से, ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए, आम तौर पर, छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित विनियमों या शर्तों को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 138. जैसा कि हम इसे देखते हैं, अनुच्छेद 30 (1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक तरह की गारंटी या आश्वासन है।

अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। धर्मनिरपेक्षता और समानता दो बुनियादी विशेषताएँ हैं।

संविधान का अनुच्छेद 30 (1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण होता है। इसके अलावा, समानता के सिद्धांत अनिवार्य रूप से ऐसे अधिकारों के आनंद के लिए लागू होने चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो ऐसे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करे

अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। कोई भी कानून या नियम या विनियम

जो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को दूसरों द्वारा संचालित संस्थानों की तुलना में नुकसान में डाल देगा, उन्हें बंद करना होगा। साथ ही, कोई विपरीत भेदभाव भी नहीं हो सकता है। यह सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले (1975) 1 एस. सी. आर. 173 में एस. सी. आर. पी. में देखा गया था। 192 कि - (एस. सी. सी पी. 743, पैरा 9)

" अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच समानता हो। यदि अल्पसंख्यकों के पास ऐसा नहीं है

विशेष सुरक्षा से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा "।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 30 (1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। किसी एक प्रकार या संस्था की श्रेणी को नापसंद नहीं किया जाना चाहिए या

उस मामले में, दूसरे की तुलना में अधिक अनुकूल उपचार प्राप्त करें। नियम और विनियमों सहित देश के कानून बहुसंख्यक संस्थानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए।

अल्पसंख्यकों को उनके संबंध में अधिकतम स्वायत्तता का आश्वासन दिया जाता है; उदाहरण के लिए शिक्षकों की भर्ती, शुल्क लेने और छात्रों के प्रवेश की विधि। उन्हें शर्तों का पालन करना होगा। मान्यता, जो अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार को कम करने जैसा नहीं हो सकता है।

144. यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अल्पसंख्यक संस्थान को सहायता देते समय कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थान हो, सभी शर्तें जो एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुदान-सहायता के उचित उपयोग के लिए प्रासंगिक हैं। संस्था थोपी जा सकती है। अनुच्छेद 30 (2) में केवल इतना कहा गया है कि इस आधार पर कि कोई संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, उसे सहायता प्रदान करें।

यदि अन्य शैक्षणिक संस्थान सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं तो शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान या सहायता न देने की शर्तें निम्नलिखित होनी चाहिए:

समान रूप से लागू किया जाता है, चाहे वह बहुमत द्वारा संचालित संस्थान हो या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्थान। जैसा कि बहुसंख्यक संचालित संस्थान के मामले में, जिस क्षण कोई अल्पसंख्यक संस्थान सहायता अनुदान प्राप्त करता है, संविधान का अनुच्छेद 28 लागू हो जाता है। जब किसी शैक्षणिक संस्थान का रखरखाव राज्य के धन से किया जाता है, तो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।

सहायता की प्राप्ति, अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे चाहे वे अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हों या गैर-अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हों। अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 28 (3) किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वह किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग न ले, यदि ऐसी संस्था द्वारा दी जाती है, तो उसकी सहमति के बिना (या उसके अभिभावक की सहमति, यदि वह व्यक्ति नाबालिग है)। जैसे-जैसे

अनुच्छेद 28 (1) और (3) किसी भी समय लागू हो जाते हैं।

शैक्षणिक संस्थान सहायता लेते हैं, इसी तरह अनुच्छेद 29 (2) भी आकर्षित होगा और एक शैक्षणिक संस्थान पर लागू होगा।

राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करना।

यह एक धार्मिक मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन था। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रवेश देने का अधिकार धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए प्रशासन के अधिकार के आवश्यक अवयवों में से एक है, और यह अधिकार नहीं होना चाहिए

किसी भी तरह से सीमित। इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है। यदि अनुच्छेद 28 (1) और (3) किसी अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू होते हैं जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता है, तो इस भाषा में कुछ भी नहीं है -

अनुच्छेद 30 जो अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 (1) और अनुच्छेद 28 (3) की तरह, अनुच्छेद 29 (2) "राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान या

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करना। एक अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 29 (2) के दायरे में उसी तरह आएगा जिस तरह से अनुच्छेद 28 (1) और अनुच्छेद 28 (3) सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू होगा। यह सच है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रशासित करने का एक अधिकार छात्रों को प्रवेश देना है। जब तक कोई शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित हो, सहायता प्राप्त नहीं करता है, तब तक हमारी राय में, पहले जो स्पष्ट किया गया है, उसके अधीन ऐसे छात्रों को प्रवेश देना उसका अधिकार और विवेकाधिकार होगा जो वह चुनता है या चुनता है। संस्थान के प्रशासन में अल्पसंख्यक संस्थान के विभिन्न अधिकारों में से, अनुच्छेद 29 (2) कुछ हद तक

प्रवेश देने के अधिकार को कम करता है। अनुच्छेद 29 (2) के आधार पर किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 29 (2) अल्पसंख्यक संस्थान की शक्तियों में से एक को कम करता है, लेकिन सहायता प्राप्त करने पर, एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के कुछ अधिकारों में भी कटौती की जाती है।

अनुच्छेद 28 (1) और 28 (3)। एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है-यह अधिकार अनुच्छेद 28 (1) द्वारा छीन लिया जाता है, यदि उस अल्पसंख्यक संस्थान को पूरी तरह से राज्य के धन से बनाए रखा जाता है। इसी तरह राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने पर या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर, एक अल्पसंख्यक संस्थान के पूर्ण अधिकार को अनुच्छेद 28 (3) द्वारा कम कर दिया जाता है जिसमें एक छात्र को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की आवश्यकता होती है। यदि सहायता प्राप्त करने पर या पूर्ण रूप से अल्पसङ्ख्यक संस्थान के प्रशासन के अधिकार में कटौती

अनुच्छेद 28 द्वारा प्रदान की गई राज्य निधि से बाहर रखा जाना वैध है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद 29 (2) को लागू नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 28 (1) और (3), अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि सहायता प्राप्त करने पर अनुच्छेद 28 (1) और (3) लागू होंगे, लेकिन अनुच्छेद 29 (2) [2020] 5 एस. सी. आर.

नहीं। इसलिए, यह तर्क कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आने वाले संस्थान अनुच्छेद 29 (2) के निषेधाज्ञा के बाहर हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

151. सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान का अपने समुदाय के छात्रों को अधिमानतः प्रवेश देने का अधिकार, जब अनुच्छेद 29 (2) लागू था, इस न्यायालय द्वारा एक दशक पहले सेंट स्टीफंस में स्पष्ट किया गया है।

परोसने का इरादा है, लेकिन यह कि यह सेवन किसी भी मामले में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, सेंट स्टीफंस ने दोनों लेखों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। यद्यपि हम सेंट स्टीफंस के अनुपात को स्वीकार करते हैं जो एक दशक से अधिक समय से इस क्षेत्र में है, लेकिन हमें उसमें निर्धारित कठोर प्रतिशत को स्वीकार करने में बाध्यकारी आपत्तियां हैं। चूंकि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों पर बल्कि स्कूलों पर भी लागू होते हैं, इसलिए 50 प्रतिशत की सीमा उचित नहीं होगी। यह अधिक उचित होगा कि संस्थान के स्तर के आधार पर, चाहे वह प्राथमिक हो या माध्यमिक या हाई स्कूल या कॉलेज, पेशेवर या अन्यथा, और जिस क्षेत्र में संस्थान स्थित होना है, उसकी जनसंख्या और शैक्षिक आवश्यकताओं पर, राज्य अल्पसंख्यक छात्रों के इतने प्रतिशत के लिए प्रावधान करके सभी के हितों को उचित रूप से संतुलित करता है।

समुदाय को प्रवेश दिया जाना चाहिए, ताकि उस समुदाय के हित की पर्याप्त रूप से सेवा की जा सके जिसके लिए संस्था की स्थापना की गई थी। 152. साथ ही, सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश, चाहे वे अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक छात्रों को दिए गए हों, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन की पूर्ण इच्छा और खुशी पर नहीं हो सकते हैं। चूंकि अकादमिक उत्कृष्टता और मानकों को बढ़ावा देने के लिए नियम गारंटी पर अतिक्रमण नहीं करते हैं

अनुच्छेद 30 के तहत, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को योग्य अल्पसंख्यक आवेदकों के बीच योग्यता का पालन करने और पेशेवर और गैर-पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो सकती है।

यदि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, तो तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने का एक तर्कसंगत तरीका रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन होना चाहिए। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

विकसित हुआ। जहाँ तक गैर-अल्पसंख्यक वर्ग का संबंध है, प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा और राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श के आधार पर हो सकता है। जिन पाठ्यक्रमों के लिए ऐसी परीक्षा और परामर्श प्रचलित नहीं हैं, उनमें प्रवेश योग्यता के निर्धारण के लिए प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर हो सकता है। यह राज्य के लिए खुला रहेगा।

गैर-अल्पसंख्यक सीटों में से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को एक निश्चित प्रतिशत सीटें आवंटित करने पर जोर देना।

ग्यारह प्रश्नों के उत्तर

प्र. 1. ***

ए. * * *

प्र. 2. ***

ए. * * *

प्र. 3. (ए) * * *

ए. * * *

प्र. 3. (ख) व्यावसायिक शिक्षा को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों के तहत आने वाले मामले के रूप में किस हद तक माना जा सकता है? उ. अनुच्छेद 30 (1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। "उनकी पसंद के" शब्दों का उपयोग इंगित करता है कि पेशेवर शैक्षणिक संस्थान भी अनुच्छेद 30 के दायरे में आएंगे।

प्र. 4. क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों का प्रवेश, चाहे सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त, राज्य सरकार द्वारा या उस विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित किया जा सकता है जिससे वह संस्थान संबद्ध है?

ए. गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों का प्रवेश। जिन विद्यालयों और स्नातक महाविद्यालयों में योग्यता आधारित चयन की गुंजाइश व्यावहारिक रूप से शून्य है, उन्हें संबंधित राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है, सिवाय शैक्षणिक मानकों के हित में योग्यता और पात्रता की न्यूनतम शर्तें प्रदान करने के।

छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासित करने के अधिकार का एक आवश्यक पहलू है,

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत राज्य [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार या विश्वविद्यालय उस अधिकार में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं हो सकता है, जब तक कि गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश होता है।

संस्थान पारदर्शी आधार पर हैं और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। प्रशासन का अधिकार, निरपेक्ष नहीं होने के कारण, शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय हो सकते हैं।

और उसकी उत्कृष्टता को बनाए रखना, और यह पेशेवर संस्थानों में प्रवेश के मामले में अधिक है। प्र. 5। (क) क्या अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकारों में छात्रों के प्रवेश और चयन की प्रक्रिया और तरीका शामिल होगा?

A. एक अल्पसंख्यक संस्थान की अपनी प्रक्रिया और प्रवेश के साथ-साथ छात्रों के चयन की विधि हो सकती है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया

प्रवेश, उपरोक्त कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, जैसा कि उस स्थिति में, संस्थान प्राप्त करने में विफल रहेगा उत्कृष्टता।

प्र. 5। (बी) * * * ए. * * *

प्र. 5। (ग) क्या प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान जैसे शैक्षणिक एजेंसियों पर नियंत्रण, शासी निकायों पर नियंत्रण, मान्यता/वापसी सहित संबद्धता की शर्तें, और कर्मचारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों और शुल्क के विनियमन आदि के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा।

अल्पसंख्यकों का प्रशासन?

ए. जहाँ तक प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का संबंध है, एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के मामले में, नियंत्रण के नियामक उपाय को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन v होना चाहिए।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

के साथ, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के मामले में, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शिक्षण, और प्रशासनिक

उन पर नियंत्रण, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए और

कोई बाहरी नियंत्रण एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, ए.

शिक्षण कर्मचारियों के चयन के लिए और लेने के लिए तर्कसंगत प्रक्रिया अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रबंधन द्वारा ही विकसित की जानी चाहिए।

सहायता प्राप्त और राज्य के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए

गैर-सहायता प्राप्त संस्थान जो सजा या समाप्ति के अधीन हैं

सेवा से, एक तंत्र विकसित करना होगा, और हमारे

उचित न्यायाधिकरणों का गठन किया जा सकता है और तब तक, ऐसे न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है

जिला न्यायाधीश का पद।

हालाँकि, राज्य या अन्य नियंत्रण प्राधिकरण कर सकते हैं

हमेशा न्यूनतम योग्यता, अनुभव और अन्य निर्धारित करें।

नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता से संबंधित शर्तें

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक या प्राचार्य के रूप में।

सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाए जा सकते हैं

शिक्षण और अन्य कर्मचारी जिनके लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है,

के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना

कर्मचारियों पर प्रबंधन।

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा शुल्क नहीं लिया जा सकता है

विनियमित लेकिन किसी भी संस्थान को कैपिटेशन शुल्क नहीं लेना चाहिए।

(जोर दिया गया)

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में, न्यायालय ने कहा कि कुछ

विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के बीच तुल्यता की गणना की प्रणाली

एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की तरह, प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, लेकिन योग्यता

सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित किया जाएगा और अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं ताकि सरकार को कोई भी विनियम बनाने से रोका जा सके। सरकार को गठन करने से नहीं रोका जा सकता है नियम जो राष्ट्रीय हित में हों। हालांकि, सुरक्षा यह है कि सरकार किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है और उन्हें अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में नहीं रख सकती है

और समानता की अवधारणा को वास्तविक अर्थों में बनाए रखना होगा।

संस्थानों को वही करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो गैर-अल्पसंख्यक संस्थान हैं अनुमति दी गई। यह राज्य/संबंधित निकायों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने के लिए संबद्धता और मान्यता के संबंध में नियम बनाने के लिए खुला है।

वातावरण। सवाल का जवाब देते हुए नहीं। 4 , यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार या विश्वविद्यालय नियामक उपायों को निर्धारित कर सकते हैं

व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करना और उत्कृष्टता बनाए रखना और अधिक। यह तब तक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश पारदर्शी आधार पर होते हैं और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है।

28. ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल, (2004) 6 एस. सी. सी. 224, न्यायालय ने राय दी कि राज्य ऐसी शर्तें लगा सकता है जो शिक्षा के मानकों के उचित रखरखाव और कुप्रशासन की जांच के लिए आवश्यक हैं। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपरोक्त) के निर्णय का पालन किया गया जिसमें यह देखा गया कि राज्य इसके लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने के बाद शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की विधि को विनियमित कर सकता है। ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी (ऊपर) में यह राय दी गई थी कि राज्य शिक्षकों के लिए बुनियादी योग्यता बहुत अच्छी तरह से प्रदान कर सकता है। एन. ई. टी./एस. एल. ई. टी. द्वारा शिक्षकों के समान मानक बनाए रखे गए हैं।

29. पी. ए. इनामदार (ऊपर) में इस न्यायालय ने व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक शिक्षा के बीच के अंतर पर भी विचार किया।

संस्थान, इस प्रकारः

" 104. अनुच्छेद 30 (1) आम तौर पर "शैक्षणिक संस्थानों" की बात करता है और अनुच्छेद 29 (2) भी ऐसा ही करता है। ये लेख धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

या व्यावसायिक या गैर-व्यावसायिक शिक्षा। हालांकि, विचार का क्षेत्र जैसा कि क्रमिक न्यायिक माध्यम से विकसित हुआ है

पाई फाउंडेशन में समाप्त होने वाली घोषणाएँ, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 , यह है कि शिक्षा की अवधारणा को देखते हुए, संवैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक ऐसे वर्ग का गठन करते हैं जो गैर-व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों से अलग है। हमारे सामने रखे गए मुद्दे के इस पहलू में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाई फाउंडेशन (2002) 8 एस. सी. सी. 481 ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक अध्ययन के संदर्भ में योग्यता और उत्कृष्टता का विशेष महत्व है। हालांकि योग्यता और उत्कृष्टता नहीं है

गैर-व्यावसायिक शिक्षा के लिए अभिशाप, फिर भी उस स्तर पर और उचित रूप से धार्मिक चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

शिक्षा की प्रकृति जो अधिक सामान्य है, उसमें योग्यता और उत्कृष्टता की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षित है।

105. गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से निपटने के लिए, पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 का मानना है कि अनुच्छेद 30 प्रवेश के मामले में पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के कदम उठाने के रास्ते में नहीं आता है। शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय और

इसकी उत्कृष्टता बनाए रखना संरक्षण के लिए कोई अभिशाप नहीं है।

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्त। हालांकि, स्तर के गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के बीच एक अंतर निकाला जाना है

एक तरफ स्कूल और स्नातक कॉलेज और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के संस्थान, विशेष रूप से वे जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। पूर्व में, योग्यता आधारित चयन की गुंजाइश व्यावहारिक रूप से शून्य है और इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है।

विनियमन। लेकिन बाद के मामले में, पारदर्शिता और योग्यता का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक उपाय किए जा सकते हैं।

मानकों और उनकी उत्कृष्टता को बनाए रखना। (पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 में प्रश्न 4 का उत्तर, पैरा 161 देखें।) ऊपर उल्लिखित दो प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बीच इस अंतर का स्रोत इस सिद्धांत में पाया जाता है कि प्रशासन के अधिकार में कुशासन का अधिकार शामिल नहीं है। 106. एस. बी. सिन्हा, जे. ने इस्लामिक अकादमी (2003) 6 एस. सी. सी. 697 में अपनी अलग राय में (पैरा 199 में) स्थिति को एक पिरामिड जैसी स्थिति के रूप में वर्णित किया है और मौलिक कर्तव्य के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार को पढ़ने का सुझाव दिया है। शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा, सीटें उतनी ही कम होंगी और योग्यता का भार उतना ही अधिक होगा। यह, अनिवार्य रूप से, अधिक राज्य हस्तक्षेप की मांग करेगा और अल्पसंख्यकों के लिए कम कहेगा।

107. उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान अर्थात स्नातक स्तर और उससे ऊपर और विशेष रूप से विशेष शिक्षा

जैसे तकनीकी या पेशेवर, एक अलग वर्ग का गठन करते हैं। संवैधानिक महत्व के मुद्दों को हल करने की शुरुआत करते हुए,

जहाँ संविधान का पत्र स्पष्ट नहीं है, वहाँ हमें रखना होगा

संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इसकी पूरी योजना में कहा गया है। व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा अन्य शैक्षिक [2020] 5 एस. सी. आर. से अलग है।

निर्देश देते हैं। अन्य प्रावधानों के अलावा, अनुच्छेद 19 (6) स्पष्ट है

अनुच्छेद 51-ए के खंड (एच) और (जे) भी सूचक हैं। स्नातक स्तर तक की शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क को समृद्ध करने और छात्र के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए ज्ञान प्रदान करना है। स्नातक स्तर का अध्ययन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एक द्वार है पेशेवर या तकनीकी या अन्य उच्च शिक्षा प्रदान करना और इसलिए, उस स्तर पर, पेशेवर या तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रासंगिक विचारों के समान विचार कदम उठाते हैं और प्रासंगिक हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय हित और मजबूती के लिए है

राष्ट्रीय संपत्ति, शिक्षा शामिल है। शिक्षा तक पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 के बाद एक ओर स्नातक स्तर और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों और दूसरी ओर पेशेवर और तकनीकी संस्थानों में शिक्षा को अलग-अलग स्तरों पर माना जाना चाहिए, जो समान विचारों को आमंत्रित नहीं करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे कानून हैं जिनकी संवैधानिक वैधता

परीक्षण और स्वीकार किए जाने से पता चलता है कि मान्यता या स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए संबद्धता अनिवार्य नहीं हो सकती है या, यदि आवश्यक हो तो भी, नियमित रूप से दी जा सकती है, मान्यता या संबद्धता आवश्यक है और जब डिग्री प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की बात आती है तो इसकी कड़ी जांच की जा सकती है।

तकनीकी या व्यावसायिक विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री। ऐसे कुछ विधान एस. बी. सिन्हा के अनुच्छेद 81 और 82 में संदर्भित पाए जाते हैं।

इस्लामी अकादमी, (2003) 6 एस. सी. सी. 697 "।

टी. एम. ए. में गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से निपटना।

पाई फाउंडेशन (ऊपर), अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 30 प्रवेश के मामले में पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य के कदम उठाने के रास्ते में नहीं आता है। शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। के मामले में

व्यावसायिक शिक्षा, पारदर्शिता और योग्यता का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है।

30. सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और अन्र में। वी. मुख्य सचिव,

एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और अन्य। , (2010) 8 एस. सी. सी. 49, न्यायालय ने राय दी कि अध्ययन, योग्यता और शिक्षकों की नियुक्ति के पाठ्यक्रमों को विनियमित करने के उपाय, रोजगार की शर्तें निम्नलिखित हैं - अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

" 47. अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी (1974) 1 एस. सी. सी. 717 में इस न्यायालय की सात अन्य न्यायाधीशों की पीठ मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के दायरे से संबंधित थी, जो सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों और ऐसे संस्थानों में संबद्धता की अवधारणा की प्रयोज्यता से संबंधित थी। में से

बेशक, अदालत ने माना कि विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थान का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जब ए.

अल्पसंख्यक संस्थान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के लिए आवेदन करता है, यह सामान्य शिक्षा प्रणाली में भाग लेने के लिए अपनी पसंद व्यक्त करता है और उस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के पाठ्यक्रम, और यह अध्ययन के समान पाठ्यक्रमों का पालन करने के लिए सहमत है। इसलिए, ऐसे उपाय जो अध्ययन के पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति, शिक्षकों के रोजगार की शर्तों, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं को विनियमित करेंगे, अल्पसंख्यक संस्थानों की संबद्धता के अनुरूप हैं।

55. प्रतिवादियों ने पीठ द्वारा बताए गए कानून पर भरोसा जताया है कि राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों। इस तरह की सीमा को अनुच्छेद 30 में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 (1) के तहत नियम ऐसा नहीं हो सकता है जो राष्ट्रीय हित पर हावी हो या सरकार को तैयार करने से रोक सके।

56. अपीलार्थी इस दृष्टिकोण से भी लाभ प्राप्त करना चाहता है कि न्यायालयों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रशासन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसके लाभ के लिए उचित विनियमों के अधीन है राष्ट्रीय हित के अनुरूप शिक्षा के वाहक के रूप में संस्थान। देश के ऐसे सामान्य कानून अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होंगे। नियमों का कोई कारण नहीं है

या एक उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए आम तौर पर छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित शर्तों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कोई भी कानून, नियम या विनियमन, जो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाए,

जब दूसरों द्वारा संचालित संस्थानों की तुलना में, 5 एस. सी. आर. करने होंगे।

गिरा दिया जाए। उसी समय, कोई उल्टा नहीं हो सकता है

भेदभाव।

92. अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जो अन्य बातों के साथ-साथ देश के सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। कुप्रशासन को रोकने के लिए विनियमन भी बनाया जा सकता है। साथ ही शिक्षा, शिक्षण, अनुशासन बनाए रखने, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि के मानकों को निर्धारित करने के लिए। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अल्पसंख्यक संस्थान ऐसा होना बंद नहीं करता है, जिस क्षण संस्थान द्वारा अनुदान-सहायता प्राप्त की जाती है। अतः सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक समूह के छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा।

और, साथ ही, गैर-अल्पसंख्यक छात्रों की एक उचित सीमा को इस हद तक स्वीकार करने की आवश्यकता होगी कि अनुच्छेद 30 (1) में अधिकार काफी हद तक बाधित नहीं है और इसके अलावा, नागरिक का अधिकार

अनुच्छेद 29 (2) के तहत अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

चंदना दास (मालाकार) बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , 5) 12 एस. सी. सी. 140, न्यायालय ने कहा कि सरकार ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें बना सकती है, इस प्रकारः

" 21. इस विषय पर निर्णयों को गुणा करना अनावश्यक है क्योंकि कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। भाषाई संस्थान और धार्मिक अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के हकदार हैं। प्रशासन के ऐसे अधिकार में अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है, लेकिन यह राज्य को नियम बनाने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं करता है। जो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित कर सकता है। विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी निर्धारित कर सकते हैं कि संस्थान को कुशलता से चलाया जाए क्योंकि प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। जबकि अनुदान-सहायता संविधान में निहित गारंटी में शामिल नहीं है

भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए, ऐसे अनुदान से इनकार नहीं किया जा सकता है संस्थान केवल इसलिए हैं क्योंकि संस्थान भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। हालाँकि, सहायता के अनुदान को उन शर्तों के अधीन नहीं बनाया जा सकता है जो संस्था को ऐसे संस्थानों को प्रशासित करने के उनके मूल अधिकार से वंचित करती हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि एक बार जब प्रतिवादी 4 संस्थान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के संरक्षण का हकदार एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता है, तो अपनी पसंद के शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन v.

जो इस तरह के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं प्रासंगिक नियमों के तहत नियुक्तियां ऐसे संस्थानों को प्रशासित करने के उनके अधिकारों में निहित हैं। इस तरह के अधिकारों को राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा इस बात पर जोर देकर कमजोर नहीं किया जा सकता है कि नियुक्ति केवल निदेशक की मंजूरी से या उन संस्थानों के लिए आम तौर पर निर्धारित तंत्र का पालन करके की जानी चाहिए जो अल्पसंख्यक दर्जे का आनंद नहीं लेते हैं।

31. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (ऊपर) में,

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के कब्जे की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 19 (1) (जी), 19 (6), 26 और 30 के प्रावधानों पर विचार किया। यह

न्यायालय ने कहा कि शिक्षा की गतिविधि न तो व्यापार है और न ही

व्यवसाय, अर्थात व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए खुला है। शिक्षा को विशुद्ध रूप से आर्थिक गतिविधि होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; यह एक कल्याणकारी गतिविधि है जिसका उद्देश्य राष्ट्र के सामाजिक परिवर्तन और उत्थान के लिए अधिक समतावादी और समृद्ध समाज प्राप्त करना है।

(क) इस न्यायालय ने आगे राय दी कि निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 19 (1) के तहत व्यवसाय का अधिकार है, उक्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है और योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करके कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय के व्यापक सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है और ऐसे संस्थानों में शुल्क संरचना को निस्संदेह विनियमित किया जा सकता है।

(ख) मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जब तक प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क निर्धारण को प्रारंभिक चरण में विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता द्वारा निर्देशित उपलब्ध सीटों पर प्रवेश देने की अनुचित प्रथा पर अंकुश लगाना असंभव होगा। न्यायालय ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रचलित शुल्क के खतरे पर भी ध्यान दिया। व्यावसायिक संस्थान और अनुच्छेद 19 (1) (छ), 19 (6), 30,41 और 47 के संदर्भ में और अनुसूची VII पर विचार करते हुए, सूची III की प्रविष्टि 25 और

सूची I की प्रविष्टि 63-66, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "पेशेवर गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक" और "गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों" के संबंध में, राज्य द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और इसके द्वारा शुल्क संरचना का विनियमन अनुमेय है। न्यायालय ने विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर कदाचार, छात्रों के शोषण, मुनाफाखोरी, और व्यावसायीकरण और प्रवेश परीक्षा पर ध्यान दिया जो निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी प्रक्रिया की तिहरी परीक्षा में विफल रहे। अदालत ने कहा कि [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के वैधानिक कामकाज और एमसीआई के खराब कामकाज के बारे में भी टिप्पणी की।

(ग) न्यायालय ने आनुपातिकता के मानदंडों पर आगे विचार किया और दोनों पहलुओं के बीच उचित संतुलन पर जोर दिया। द.

कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ। आनुपातिकता की अवधारणा एक उपयुक्त मानदंड है। प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए है। यदि इस तरह के लक्षय को प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कदम आवश्यक हैं। न्यायालय ने आनुपातिकता की अवधारणा पर इस प्रकार विचार किया:

" 57. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है, लेकिन इसके तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

खंड (6)। कथित उल्लंघन किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध के उद्देश्य, प्रतिबंध की सीमा और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगतता का निर्धारण किया जाना चाहिए। इन कारकों को लागू करने में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को मौलिक अधिकारों और समाज के व्यापक हित के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा। न्यायालय कानून में हस्तक्षेप करता है यदि यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि

विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है। द. संविधान मुख्य रूप से आम आदमी के लिए है। योग्यता को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए छात्र समुदाय की बड़ी रुचि और कल्याण

और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए, शुल्क और प्रवेश निश्चित रूप से हो सकते हैं

विनियमित।

58. आइए हम इस चर्चा को कुछ और विस्तार से करें क्योंकि यह है

अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया केंद्रीय मुद्दा।

आनुपातिकता के सिद्धांत को समझाया और लागू किया गया

59. निस्संदेह, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मान्यता प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह अधिकार "निरपेक्ष" नहीं है और सीमाओं के अधीन है अर्थात "उचित प्रतिबंध" जो अनुच्छेद

19 के खंड (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं। हालाँकि, उन प्रतिबंधों को उचित होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे प्रतिबंध "आम जनता के हित में" होने चाहिए, जो इस अधिनियम के खंड (6) में निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 19, निम्नानुसार:

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

" 19. (6) उक्त खंड के उपखंड (छ) में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक वह लागू करता है, या

कानून जहाँ तक इसका संबंध है, या राज्य को इससे संबंधित कोई कानून बनाने से रोकता है (i) किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यताएँ।

अन्यथा "। 60. एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो उपरोक्त खंड के पढ़ने से देखी जा सकती है, वह यह है कि राज्य को

किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी पेशे को जारी रखने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई कानून बनाना। व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय। इस प्रकार, इस बात की जांच करते हुए कि क्या क़ानून और नियमों के विवादित प्रावधान उचित प्रतिबंधों के बराबर हैं और आम जनता के हित में लाए गए हैं, जो अभ्यास किया जाना आवश्यक है, वह एक ओर व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार और दूसरी ओर लगाए गए प्रतिबंधों का संतुलन है। इसी को "आनुपातिकता का सिद्धांत" कहा जाता है। न्यायिक रूप से,

" आनुपातिकता "को नियमों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सीमा के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तों को निर्धारित करता है।

(कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2012)], एक संवैधानिक सीमा अधिकार संवैधानिक रूप से अनुमत होगा यदि:

((i) यह एक उचित उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(ii) ऐसी सीमा को प्रभावी बनाने के लिए किए गए उपाय तर्कसंगत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति से जुड़े हैं; [2020] 5 एस. सी. आर.

((iii) किए गए उपाय इस मायने में आवश्यक हैं कि ऐसे कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हैं जो समान रूप से इसे प्राप्त कर सकें।

कम सीमा के साथ उद्देश्य; और अंत में

((iv) उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व और इसे रोकने के सामाजिक महत्व के बीच एक उचित संबंध ("आनुपातिकता स्ट्रिक्टोसेंसु" या "संतुलन") होना चाहिए।

संवैधानिक अधिकार पर सीमा। 61. संवैधानिक अधिकारों का आधुनिक सिद्धांत संवैधानिक अधिकारों के दायरे और इसके संरक्षण के दायरे के बीच एक मौलिक अंतर दर्शाता है। जहाँ तक संवैधानिक अधिकारों के दायरे का संबंध है, यह उक्त अधिकारों की बाहरी सीमाओं को चिह्नित करता है और इसकी सामग्री को परिभाषित करता है। इसके संरक्षण की सीमा इसके दायरे में अधिकारों के प्रयोग पर सीमाओं को निर्धारित करती है। उस में

इस अर्थ में, यह उन सीमाओं के लिए औचित्य को परिभाषित करता है जिन्हें इस तरह के अधिकार पर लगाया जा सकता है। 62. यह अब लगभग स्वीकार किया जाता है कि कोई निरपेक्ष नहीं हैं।

एक संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसे संविधान की प्रस्तावना में ही मान्यता दी गई है। यह भी निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि लोकतंत्र की इस धारणा में मानवाधिकार शामिल हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला। एक बार जब हम उपरोक्त सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं (और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है), तो यह भी स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन पर आधारित है। वास्तव में, अनुच्छेद 19 में ही ऐसा प्रावधान एक ओर अनुच्छेद 19 के खंड (1) में कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और साथ ही राज्य को उन पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

जनहित में स्वतंत्रता। यह धारणा आधुनिक को स्वीकार करती है

संवैधानिक सिद्धांत कि संवैधानिक अधिकार संबंधित हैं।

इस सापेक्षता का अर्थ है कि उन अधिकारों को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक लाइसेंस क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संगठन है। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

जहां ऐसी सीमा जनता की सुरक्षा के लिए उचित होगी दूसरों के हित या अधिकार। दोनों की यह घटना

अधिकार और संविधान में इसकी सीमा-लोकतंत्र के दो मौलिक तत्वों के बीच अंतर्निहित तनाव का उदाहरण है। एक ओर अधिकार का तत्व है, जो मूल लोकतंत्र का एक मौलिक घटक है; दूसरी ओर लोग तत्व, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन अधिकारों को सीमित करते हैं। ये दोनों एक मौलिक घटक हैं।

लोकतंत्र की धारणा, हालांकि इस बार अपने औपचारिक पहलू में।

इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि इस तनाव का समाधान "हारने" वाले पहलू को समाप्त करके नहीं किया जाता है।

संविधान। बल्कि, तनाव को एक उचित तरीके से हल किया जाता है

प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों का संतुलन। यह लोकतंत्र की बहुआयामी प्रकृति की अभिव्यक्तियों में से एक है। वास्तव में, लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर्निहित तनाव एक "रचनात्मक तनाव" है। यह प्रत्येक पहलू को दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहते हुए विकसित करने में सक्षम बनाता है। इस शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना है। इस तरह का संतुलन प्रत्येक पहलू को अन्य पहलुओं के साथ विकसित करने में सक्षम बनाता है, न कि उनके स्थान पर। दोनों के बीच यह तनाव

मौलिक पहलु-एक ओर अधिकार और दूसरी ओर इसकी सीमा-दोनों को संतुलित करके हल किया जाना है ताकि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहें। यह संतुलन प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पहलू के सापेक्ष सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जब उचित संदर्भ में विचार किया जाए।

63. इस दिशा में अगला सवाल यह उठता है कि दोनों के बीच उचित संतुलन के लिए कौन से मानदंड अपनाए जाने चाहिए।

पहलू अर्थात। कानून द्वारा उस पर लगाए गए अधिकार और सीमाएँ। यहाँ "आनुपातिकता" की अवधारणा आती है, जो एक उचित मानदंड है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, जब कोई कानून किसी संवैधानिक अधिकार को सीमित करता है, तो ऐसी सीमा संवैधानिक है यदि यह आनुपातिक है। कानून.

प्रतिबंध लगाने को आनुपातिक माना जाएगा यदि यह एक उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है, और यदि इसे प्राप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं।

ऐसा उद्देश्य तर्कसंगत रूप से उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और ऐसे उपाय आवश्यक हैं। आनुपातिकता के सिद्धांत के इस सार को कनाडा के सी. जे. डिक्सन ने आर. वी. में खूबसूरती से चित्रित किया है। ओक्स,

(1986) 1 एस. सी. आर. 103 (कैन एस. सी.) निम्नलिखित शब्दों में (पी. 138):

" यह स्थापित करने के लिए कि एक सीमा उचित और स्पष्ट रूप से उचित है

एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में, दो केंद्रीय मानदंड (2020) 5 एस. सी. आर. होने चाहिए।

आनुपातिकता परीक्षण परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगा, प्रत्येक मामले में अदालतों को व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। मेरे विचार में, आनुपातिकता परीक्षण के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहले, अपनाए गए उपायों को तर्कसंगत रूप से संबंधित होना चाहिए उद्देश्य। दूसरा, साधनों को अधिकार या स्वतंत्रता को "जितना संभव हो उतना कम" बाधित करना चाहिए। तीसरा, उन उपायों के प्रभावों के बीच एक आनुपातिकता होनी चाहिए जो चार्टर के अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार हैं, और उद्देश्य जिसे "पर्याप्त महत्व" के रूप में पहचाना गया है। किसी उपाय के हानिकारक प्रभाव जितने अधिक गंभीर होंगे, उद्देश्य उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए यदि उपाय को उचित और स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जाना है।

मुक्त और लोकतांत्रिक समाज "।

64. इसलिए जो अभ्यास किया जाना है, वह यह पता लगाने के लिए है कि क्या संवैधानिक अधिकारों की सीमा किसी उद्देश्य के लिए है। यह एक लोकतांत्रिक समाज में उचित और आवश्यक है और इस तरह की कवायद में प्रतिस्पर्धी मूल्यों का वजन बढ़ाना और अंततः आनुपातिकता यानी संतुलन पर आधारित मूल्यांकन शामिल है।

अलग-अलग रुचियों के लिए।

(घ) मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में, अनुच्छेद के तहत अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों से निपटने के दौरान

परोसा जाता है:

“ 65. हम बिना किसी हिचकिचाहट के टिप्पणी कर सकते हैं कि यह सिद्धांत

आनुपातिकता, जिसे यहाँ ऊपर संक्षेप में समझाया गया है, अनुच्छेद में निहित है।

19 जब हम खंड (1) को उसके खंड (6) के साथ पढ़ते हैं। यह परिभाषित करते हुए कि एक उचित प्रतिबंध क्या है, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि

" "उचित प्रतिबंध" का उद्देश्य धार्मिक चिकित्सा महाविद्यालय कल्याण संघ के खंड (1) के किसी भी उपखंड द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना है। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अनुच्छेद 19 और किसी भी खंड द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण

(2) (6) तक। यह माना जाता है कि "उचित" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आनंद लेने में किसी व्यक्ति पर लगाई गई सीमा अधिकार मनमाना या अत्यधिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो जनता के हित में

आवश्यक है। इसके अलावा, उचित होने के लिए, प्रतिबंध का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है, और उस उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए (पी. पी. एंटरप्राइजेज बनाम देखें। भारत संघ, (1982) 2 एस. सी. सी. 33)। साथ ही, किसी प्रतिबंध की तर्कसंगतता को वस्तुनिष्ठ तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए और

आम जनता के हितों के दृष्टिकोण से न कि उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं या अमूर्त विचारों पर (मोहम्मद देखें। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर 1958 एस. सी. 731)। एम. आर. एफ. लिमिटेड बनाम केरल राज्य, (1998) 8 एस. सी. सी. 227, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी वैधानिक प्रावधान की तर्कसंगतता की जांच करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा:

(1) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत।

(2) प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक प्रकृति के नहीं होने चाहिए ताकि ब्याज की आवश्यकता से परे जा सकें।

आम जनता। (3) प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए, कोई अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत नहीं रखा जा सकता है।

ताकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग हो और यह मामले-दर-मामले के साथ-साथ बदलती स्थितियों, मानव जीवन के मूल्यों, संविधान के सामाजिक दर्शन, प्रचलित स्थितियों और आसपास की परिस्थितियों के संबंध में भी भिन्न होगा।

(4) अनुच्छेद 19 (6) द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण और लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। (5) प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं को भी जो प्रतिबंधों द्वारा संतुष्ट करने के लिए हैं।

(6) एक प्रत्यक्ष और निकटवर्ती संबंध होना चाहिए या

लगाए गए प्रतिबंधों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच उचित संबंध। यदि प्रतिबंधों और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई सीधा संबंध है, तो एक मजबूत धारणा है

अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) नियामक ढांचे की आवश्यकता के संबंध में, न्यायालय

डी:

" 85. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे "वैश्वीकरण" के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में

अर्थव्यवस्था, निजी खिलाड़ियों को निस्संदेह बहुत अधिक दिया जाता है

आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्रता, जैसा कि मान्यता ने वास्तविकताओं को आकर्षित किया है कि व्यवसाय सहित आर्थिक गतिविधियाँ,

व्यापार, व्यवसाय आदि राज्य की सामान्य विशेषता नहीं हैं और इसमें राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यही कारण है कि,

दूरसंचार, बिजली, बीमा, नागरिक उड्डयन आदि जैसे कई क्षेत्र जो अब तक राज्य के एकाधिकार थे, अब निजी उद्यमों के लिए खुल गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य/सरकार

एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था क्योंकि यह वांछनीय माना जाता था कि एक कल्याणकारी राज्य में यह एक घटक के रूप में मौलिक कर्तव्य है

उदारीकरण, सरकार ने निजी रूप से प्रबंधित संस्थानों के प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया है। यह इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि निजी क्षेत्र परोपकारी दृष्टिकोण/आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह गतिविधि नहीं होनी चाहिए।

86. इसलिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शिक्षा के व्यवसाय को अन्य आर्थिक व्यवसायों के समान नहीं माना जा सकता है। गतिविधियाँ। इस क्षेत्र में, राज्य मूक दर्शक नहीं रह सकता है और शोषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना पड़ता है।

निजी क्षेत्र द्वारा निजीकरण और व्यावसायीकरण। यह उल्लेख करना उचित होगा कि उन आर्थिक गतिविधियों के संबंध में भी जो निजी क्षेत्र द्वारा अनिवार्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं (और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है), जबकि देश में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को खोला जाता है। निजी क्षेत्र के हाथों, राज्य ने संबंधित कानूनों के तहत विनियम प्रदान करके नियामक व्यवस्था भी शुरू की है।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

बाजार शक्तियों द्वारा विनियमन। नियामक निकायों के माध्यम से यह हस्तक्षेप, विशेष रूप से मूल्य निर्धारण में, समाज के कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है और अर्थशास्त्री बताते हैं कि ऐसी नियामक अर्थव्यवस्था बाजार के चरित्र को नहीं छीनती है अर्थव्यवस्था जो अभी भी एक बाजार अर्थव्यवस्था बनी हुई है। के लिए औचित्य

निजी द्वारा प्रबंधित ऐसे उद्योगों में भी नियामक निकाय

90. इस प्रकार, यह महसूस किया जाता है कि किसी भी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में, यहां तक कि निजी उद्योगों के लिए भी, नियामक निकाय की आवश्यकता होती है और शिक्षा क्षेत्र के लिए इस तरह का नियामक ढांचा और भी आवश्यक हो जाता है। यह तब अधिक होगा जब, अन्य उद्योगों के विपरीत,

शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं है जैसा कि भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य है, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा समर्थित है ताकि शिक्षा में मुनाफाखोरी से बचा जा सके।

(च) न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीकृत के लिए नियामक तंत्र

प्रवेश कानूनी और संवैधानिक है और इसका उल्लंघन नहीं करता है

अल्पसङ्ख्यक या गैर-अल्पसङ्ख्यक के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्थापना के मानसिक अधिकार। यह देखा गया:

" 57. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार संदर्भ में निरपेक्ष नहीं है, लेकिन इसके तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

खंड (6)। कथित उल्लंघन किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध के उद्देश्य, प्रतिबंध की सीमा और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगतता का निर्धारण किया जाना चाहिए। इन कारकों को लागू करने में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को मौलिक अधिकारों और समाज के व्यापक हित के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा। न्यायालय कानून में हस्तक्षेप करता है यदि यह स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि विधायिका लोगों की जरूरतों को समझती है। द.

संविधान मुख्य रूप से आम आदमी के लिए है। बड़ा ब्याज और [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार, शुल्क और प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए छात्र समुदाय का कल्याण निश्चित रूप से किया जा सकता है

विनियमित।

" 97. राज्य के लिए संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य है - शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से कल्याणकारी कार्य

मानक। दूसरी ओर, निजी दलों के लिए प्राथमिक प्रेरणा लाभ का उद्देश्य या परोपकार है। जब प्राथमिक संस्थानों के लिए प्रेरणा लाभ का उद्देश्य है, यह स्वाभाविक है कि कई

इसे प्राप्त करने का साधन निजी द्वारा अपनाया जाएगा

संस्थान जो बड़े पैमाने पर गोपनीयता और भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार, विवादित कानूनों के तहत परिकल्पित विनियमों का तंत्र कानूनी, संवैधानिक, निष्पक्ष, पारदर्शी है और योग्यता के प्राथमिक मानदंडों को बनाए रखता है। यह शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों या गैर-अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और इसे वैध माना जाना चाहिए।

(छ) न्यायालय ने शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और शिक्षा के व्यावसायीकरण की मौजूदा स्थिति पर भी ध्यान दिया:

" 68. हमारा विचार है कि व्यापक जनहित इस तरह के उपाय की गारंटी देता है। ऐसे निजी संस्थानों द्वारा आयोजित सीईटी में पाए जाने वाले कदाचारों को ध्यान में रखते हुए

स्वयं, जिसके लिए बहुत सारी सामग्री का उत्पादन किया जाता है, निस्संदेह, यह छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण में योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता बढ़ाने और अंकुश लगाने के लिए है।

कदाचार। प्रतिबंध की सीमा को इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए और इसलिए, हम महसूस करते हैं कि विवादित प्रावधान जो अपीलार्थियों के अपने "व्यवसाय" को जारी रखने के अधिकार पर "प्रतिबंध" के बराबर हो सकते हैं, स्पष्ट रूप से "उचित" हैं और आनुपातिकता की कसौटी को संतुष्ट करते हैं। 86. अत: यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि

शिक्षा को अन्य आर्थिक गतिविधियों के बराबर नहीं माना जा सकता है। इस क्षेत्र में, राज्य मूक दर्शक नहीं रह सकता है और निजी क्षेत्र द्वारा शोषण, निजीकरण और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक रूप से कदम उठाना होगा। यह उल्लेख करना उचित होगा कि उन आर्थिक गतिविधियों के संबंध में भी जो अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा की जाती हैं।

लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ (और रूसी मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन में कुछ भी बुरा नहीं है)

. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

यह), इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को खोलते हुए निजी क्षेत्र के हाथों, राज्य ने संबंधित कानूनों के तहत विनियम प्रदान करके नियामक व्यवस्था भी शुरू की है।

96. जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 2015 के आई. ए. संख्या 83 में दायर अपने उत्तर में उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है, निजी महाविद्यालयों का संघ अपने सी. ई. टी. को निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्कसंगत तरीके से आयोजित करने में विफल रहा है। राज्य के कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता निजी कार्यों की तुलना में बहुत अधिक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य तंत्र में भ्रष्टाचार की घटनाओं को तुरंत जनता की नजरों में लाया गया और उनका समाधान किया गया है

शीघ्रता से। निजी कार्यों के मामले में ऐसा कभी नहीं किया जा सकता था। तुलनात्मक दक्षता पर भी, यह स्पष्ट है कि राज्य की प्रक्रिया निजी कॉलेजों द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिनके पास किसी भी नियंत्रण और संतुलन का कोई तंत्र नहीं है। राज्य की एजेंसियां सूचना का अधिकार अधिनियम, लेखा परीक्षा, राज्य के अधीन हैं।

विधायिका, भ्रष्टाचार-रोधी अभिकरण, लोकायुक्ता आदि।

जो बड़े पैमाने पर जनता को चिकित्सा सलाह और सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। राज्य अपने संविधान का संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर सकता है। दायित्व केवल तभी होता है जब इच्छुक छात्र योग्यता के आधार पर पेशे में प्रवेश करते हैं। इन उच्च आदर्शों में से कोई भी अच्छे और प्रतिबद्ध चिकित्सा पेशेवरों के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

190. पूर्वगामी चर्चा के लिए, मेरा मानना है कि राज्य के पास 2007 के विवादित कानून को लागू करने की विधायी क्षमता है। व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिनियम और उच्च न्यायालय ने विवादित कानून की वैधता को सही ठहराया है। राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश और शुल्क निर्धारण पर विवादित कानून द्वारा लगाए जाने वाले विनियम निर्देशों के अनुपालन में हैं और

टी. एम. ए. पाई, (2002) 8 एस. सी. सी. 481, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन, (2003) 6 एस. सी. सी. 697 और पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में अवलोकन। प्रवेश प्रक्रिया पर नियम आवश्यक हैं

(2020) 5 एस. सी. आर. के लिए छात्र समुदाय का व्यापक जनहित और कल्याण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवेश में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना और योग्यता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। शुल्क निर्धारण पर विनियमन सुरक्षा के लिए है

मुनाफाखोरी के रूप में शोषण के अधीन हुए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों के अधिकार। उपरोक्त तर्कों के साथ, मैं विवादित कानून की वैधता को बनाए रखने में बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत हूं और इसकी पुष्टि करता हूं

उच्च न्यायालय का उचित निर्णय "।

(ज) मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (क) में न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) में निर्णय पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने शुल्क निर्धारण के संबंध में भी छात्रों को प्रवेश देने की

पूरी स्वतंत्रता नहीं दी है। व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इस न्यायालय ने टिप्पणी की

" 34. इसलिए आधुनिक युग में, विशेष रूप से राज्य द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीति के बाद, निजी निकायों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अनुमति दी जाती है। शिक्षा पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण (अन्य आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की तरह) के युग से एक ऐसी स्थिति में एक आदर्श बदलाव आया है जहां निजी खिलाड़ियों को पनपने की अनुमति है। लेकिन साथ ही, नियामक तंत्र प्रदान किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे निजी संस्थान ऐसी नियामक व्यवस्था के भीतर काम करें। जब शिक्षा की बात आती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और साथ ही उन्हें न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ "जोड़ों में स्वतंत्रता" दी जाए, सिवाय इसके कि नियामक शासन के तहत क्या आता है। यद्यपि शिक्षा को अब एक "व्यवसाय" के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही साथ इस विशेष व्यवसाय के संबंध में बंधन भी लगाए जाते हैं जिसे "कुलीन" कहा जाता है। इसलिए मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं है और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए न कि शैक्षणिक संस्थानों की इच्छा के अनुसार। योग्यता का परीक्षण कुछ कार्यप्रणाली अपनाकर किया जा सकता है और ऐसी कुछ विधियों का सुझाव टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 में दिया गया है।

जिसमें सी. ई. टी. का आयोजन शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और गैर-शोषण की तीन कसौटी पर खरी उतरे।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

37. जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, यह करता है

कोई समस्या नहीं है और जवाब के पक्ष में जाता है

याचिकाकर्ता। हम यहाँ दोहरा सकते हैं कि अनुच्छेद 26 संविधान प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार शामिल है।

उद्देश्य। इस प्रकार, जहाँ तक धार्मिक संप्रदायों या किसी भी वर्ग का संबंध है जिनका संबंध है, उन्हें स्थापित करने का अधिकार दिया गया था और

धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को बनाए रखना यह एक मौलिक अधिकार है। इसी तरह, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

संस्थाएं। जहाँ तक अनुच्छेद 26 का संबंध है, यह "धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के तहत आता है। जहाँ तक अनुच्छेद 30 का संबंध है

संबंधित, यह "सांस्कृतिक और शैक्षिक" शीर्षक के तहत है।

अधिकार "। इस प्रकार, अल्पसंख्यकों के स्थापना और प्रशासन के अधिकार

शैक्षणिक संस्थानों को हमेशा मौलिक के रूप में मान्यता दी गई थी

अधिकार। इसके अलावा, निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं था

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त और इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया इसमें उन्नी कृष्णन, (1993) 1 एस. सी. सी. 645 में पाँच न्यायाधीश शामिल हैं। निर्णय के पैरा 198 में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः (एस. सी. सी पी. 752)

के व्यापक अर्थ पर भरोसा करके उक्त परिणाम " पेशा "।

38. उन्नी कृष्णन मामले, (1993) 1 एस. सी. सी. 645 में, यह न्यायालय भी

यह तर्क कि उक्त गतिविधि को एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

पेशा "। हालांकि, प्रबंधन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए पेशेवर संस्थानों के अधिकार को अंततः एक अधिकार के रूप में माना गया।

इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए उपयुक्त

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत निम्नलिखित शब्दों मेंः (एस. सी. सी पी. 535, पैरा 25)

" 25. एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन जहां बड़ी संख्या में व्यक्ति शिक्षकों के रूप में कार्यरत हैं या [2020] 5 एस. सी. आर.

प्रशासनिक कर्मचारी, और एक ऐसी गतिविधि जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में परिणाम देती है, को अनिवार्य रूप से एक व्यवसाय के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही इसका कोई तत्व न हो। लाभ सृजन। यह समझना मुश्किल है कि शिक्षा, अपने आप में, अनुच्छेद 19 (1) (जी) की चार अभिव्यक्तियों में से

किसी के अंतर्गत नहीं आएगी। “ व्यवसाय "एक व्यक्ति की आजीविका के साधन या जीवन में एक मिशन के रूप में की जाने वाली गतिविधि होगी। सोदन सिंह मामले (1989) 4 एस. सी. सी. 155 में उपर्युक्त टिप्पणियों ने अनुच्छेद में "व्यवसाय" अभिव्यक्ति की सही व्याख्या की है।

19 (1) (जी) "।

एक "व्यवसाय" के रूप में शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस गतिविधि को "व्यवसाय" या "व्यवसाय" के रूप में नहीं माना जा सकता है। उस व्यवसाय को जारी रखने का यह अधिकार जो शिक्षा को अन्य व्यवसायों या व्यावसायिक गतिविधियों या यहां तक कि अन्य व्यवसायों के बराबर नहीं रखा जाता है। यह एक अलग श्रेणी है जिसे इस न्यायालय द्वारा टी. एम. ए. पाई में बनाया गया था।

फाउंडेशन, (2002) 8 एससीसी 481। एक विशिष्ट उद्देश्य था

ऐसा न करने के लिए। शिक्षा को "लाभ नहीं, हानि नहीं" के आधार पर एक महान "व्यवसाय" के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, जो लोग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन कर रहे हैं, उनसे इस महान गतिविधि के मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार और शुल्क निर्धारण के संबंध में भी शैक्षणिक संस्थानों को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी। जहाँ तक छात्रों के प्रवेश का संबंध है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

जब प्रवेश की बात आती है तो योग्यता के आधार पर होना चाहिए

उच्च शिक्षा, विशेष रूप से व्यावसायिक संस्थानों में।

(i) मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (ऊपर) में, न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में निर्णय पर विचार किया, और कहा कि सरकार को गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियम बनाने की अनुमति है, इस प्रकार:

" 42. यह देखने के लिए कि योग्यता का उचित निर्णय लिया जाता है और

उचित रूप से, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि प्रवेश के लिए प्रक्रिया इस तरह से तैयार की जानी चाहिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी होने के तिहरे परीक्षण को संतुष्ट करे। अगला सवाल था

उपरोक्त उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? के लिए इस तरह की योग्यता का निर्धारण करते हुए, न्यायालय ने अनुच्छेद 59 में रूसी मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन द्वारा मार्ग दिखाया।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

यह देखते हुए कि ऐसी योग्यता का निर्धारण या तो उन अंकों से किया जाना चाहिए जो छात्रों ने योग्यता परीक्षा या सीईटी में प्राप्त किए हैं

संस्थानों द्वारा या पेशेवर कॉलेजों के मामले में, सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित। पैरा 59 में इन विधियों का सुझाव दिया गया है -

निम्नानुसार: (टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामला, (2002) 8 एस. सी. सी. 481, एस. सी. सी. पी. 546)

" 59. व्यावसायिक और उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण आमतौर पर या तो योग्यता परीक्षा या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के चरण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के बाद साक्षात्कार, या संस्थान द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा, या के मामले में किया जाता है।

पेशेवर महाविद्यालय, सरकारी एजेंसियों द्वारा "।

यह अनुच्छेद विशेष रूप से सी. ई. टी. आयोजित करने के लिए अधिकृत करता है। व्यावसायिक महाविद्यालयों के मामले में सरकारी एजेंसियों द्वारा।

43. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त सी. ई. टी. निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता-आधारित है, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 ने सरकार को गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियम बनाने की भी अनुमति दी। अनुच्छेद 67 और 68 जो ऐसे विनियमों को बनाने की अनुमति देते हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: (एस. सी. सी पी. 549)

" 67. अब हम उन नियमों पर आते हैं जिन्हें बनाया जा सकता है।

निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित।

68. समान नियमों और विनियमों को लागू करना अनुचित होगा।

सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करना। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर

संस्थान अपने प्रशासन में स्वायत्तता के हकदार हैं, जबकि वे योग्यता के सिद्धांत को नहीं छोड़ते हैं या त्याग नहीं करते हैं। अतः मान्यता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय या सरकार के लिए यह अनुमति होगी कि वह

एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान जो योग्यता-आधारित चयन प्रदान करता है, साथ ही प्रबंधन को छात्रों को प्रवेश देने में पर्याप्त विवेकाधिकार देता है। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इनमें से एक निश्चित प्रतिशत सीटें प्रबंधन द्वारा प्रवेश के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। जिन छात्रों ने स्वयं या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय में आवेदन किया है, जबकि बाकी सीटें राज्य एजेंसी द्वारा परामर्श के आधार पर भरी जा सकती हैं।

सरकार द्वारा स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जाना है और अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त और पेशेवर कॉलेजों के लिए अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किए जा सकते हैं। यही सिद्धांत अन्य गैर-व्यावसायिक लेकिन गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किए जा सकते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर गैर व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान "।

44. अपीलार्थियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके, राज्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस प्रवेश परीक्षा के संचालन के कार्य को हड़प नहीं सकता है। यह तर्क दिया गया कि इसका मतलब केवल यह है कि इस तरह की सी. ई. टी. का संचालन स्वयं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाना है और सरकार केवल शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी प्रवेश परीक्षाओं को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है और सी. ई. टी. आयोजित करने के कार्य को छीन नहीं सकती है। 45. इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में कुछ टिप्पणियों, विशेष रूप से टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. के पैरा 68 में दी गई स्पष्ट और स्पष्ट व्याख्या को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जाना चाहिए।

उचित शुल्क संरचना। लेकिन उक्त अधिकार को उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जा सकता है। कठोर शुल्क संरचना तय करना, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्धारित करना, नियुक्ति या नामांकन के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन। छात्रों के प्रवेश के लिए अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे। हालाँकि, शिक्षा का व्यवसाय व्यवसाय नहीं था, बल्कि धर्मार्थ गतिविधि से जुड़ा व्यवसाय था। राज्य कैपिटेशन शुल्क और मुनाफाखोरी पर प्रतिबंध लगा सकता है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। हालाँकि, शिक्षा के विकास के लिए एक उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन के लिए। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

प्रवेश, योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राज्य या विश्वविद्यालय छात्रों को प्रवेश देने में पर्याप्त विवेकाधिकार देते हुए योग्यता-आधारित चयन प्रदान करने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान की आवश्यकता हो सकती है। कुछ प्रतिशत सीटों के लिए आरक्षित किया जा सकता है

संस्थान या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीईटी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से प्रबंधन द्वारा प्रवेश। की व्याख्या

टी. एम. ए. पाई में निर्णय के पैरा 68 में कुछ टिप्पणियां

फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481, बहस का विषय रहा है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानकारी देंगे। 48. इस मामले पर तब पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए दो समितियाँ और

इस्लामी शिक्षा अकादमी, (2003) 6 एस. सी. सी. 697 में निर्णय के अनुसार शुल्क संरचना का निर्धारण करना, गैर-शोषणकारी शर्तों पर व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक मानकों को बनाए रखने में समग्र रूप से छात्र समुदाय के साथ-साथ स्वयं अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के उद्देश्य से नियामक उपायों के रूप में अनुमत था। यह अनुच्छेद 30 (1) या अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करता है। यह देखा गया कि - (पी. ए. इनामदार मामला, (2005) 6 एससीसी 537, एससीसी पी। 607 , पैरा 145)

" 145. ..... जब तक कि प्रवेश प्रक्रिया और निर्धारण

शुल्क को प्रारंभिक चरण में विनियमित और नियंत्रित किया जाता है, बुराई

उपलब्ध सीटों पर प्रवेश देने की अनुचित प्रथा

उम्मीदवारों की भुगतान क्षमता से निर्देशित होगा

रोकना असंभव है। "

(जोर दिया गया)

इस आधार पर, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों के सुझाव, जिसके लिए संस्थानों द्वारा अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया को अपनाने और शुल्क संरचना को अस्वीकार करने के बाद लेखा परीक्षा के बाद की जांच द्वारा समितियों का गठन किया गया था। इस प्रकार, समितियों को प्रवेश और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए तब तक जारी रखने की अनुमति दी गई जब तक कि राज्यों द्वारा एक उपयुक्त कानून या विनियम नहीं बनाए गए। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत सुविचारित कानून के साथ आना। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में पैरा 68, (2002) 8 एस. सी. सी. 481, को यह कहते हुए समझाया गया था कि टिप्पणियों की अनुमति

कुछ सीटें आरक्षित करने का प्रबंधन गरीबों के लिए था और [2020] 5 एस. सी. आर.

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पिछड़े वर्ग। इसका मतलब योग्यता को नजरअंदाज करना नहीं था। यह भी माना गया कि सी. ई. टी. आयोजित की जा सकती है, अन्यथा, योग्यता एक दुर्घटना बन जाती

है। इस प्रकार, सी. ई. टी. होने पर कोई रोक नहीं है। एक राज्य एजेंसी द्वारा आयोजित जब कानून इस तरह प्रदान करता है।

(जे) न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रवेश परीक्षा एक विनियामक परीक्षा है और संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। इसने राय दी:

55. अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होगा। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 में घोषणा को ध्यान में रखते हुए, पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ, यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक ऐसे नियामक उपायों का संबंध है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों के संबंध में भी इसे अपनाया जा सकता है। सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम में अपीलार्थियों द्वारा रखी गई रिलायंस। विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार, (1992) 1 एस. सी. सी. 558, शायद बहुत मददगार न हो क्योंकि वह मामला पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित नहीं था।

67. निस्संदेह, शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संस्थानों को मौलिक अधिकार माना जाता है जैसा कि इसे कहा जाता है।

" ", जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताओं में से एक है। इसे पहली बार टी. एम. ए. में मान्यता दी गई थी।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एससीसी 481। ऐसा करते समय भी, यह अधिकार कुछ चंगुल और बेड़ियों के साथ आया था। अदालत ने यह किया

स्पष्ट करें कि यह एक महान व्यवसाय है जो अनुमति नहीं देगा

उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों, और विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा में, छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश देना पड़ता है। योग्यता का आकलन करने के लिए, न्यायालय ने संकेत दिया कि एक सी. ई. टी. हो सकती है। ऐसा करते समय, इसने विशेष रूप से यह भी कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में ऐसी सी. ई. टी. राज्य द्वारा आयोजित की जा सकती है। यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है सी. ई. टी. के कार्य को टी. एम. ए. पाई में मान्यता दी गई थी।

फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 स्वयं, एक उपाय के रूप में

" उक्त अधिकार पर उचित प्रतिबंध "। इस्लामी अकादमी शिक्षा विभाग, (2003) 6 एस. सी. सी. 697 ने टी. एम. ए. पाई की व्याख्या करते हुए राज्य के ऐसे कार्यों की रूपरेखा को और स्पष्ट किया।

फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संचालन की निगरानी के लिए समितियाँ गठित की जा सकती हैं।

ऐसी सी. ई. टी.। व्याख्यात्मक संतुलन की यह प्रक्रिया और

पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में संवैधानिक संतुलन उल्लेखनीय रूप से हासिल किया गया था, जिसमें न केवल सी. ई. टी. को समय से पहले रोक दिया गया था, बल्कि यह भी माना गया था कि सी. ई. टी. का संचालन करने वाली एजेंसी को ही इसका लाभ मिलना चाहिए।

पारदर्शिता और योग्यता के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मामले में अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता

इस उद्देश्य के लिए इसने राज्य को निष्पक्ष और योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करने और कुप्रशासन को रोकने के हित में सी. ई. टी. आयोजित करने की प्रक्रिया प्रदान करने की अनुमति दी।"

इस न्यायालय ने अधिकारों के संतुलन पर भी विचार किया, भले ही

राज्य द्वारा सभी परीक्षा परीक्षणों द्वारा छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपीलार्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 92. इस मायने में, जब समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और जब ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थान (2020) 5 एस. सी. आर. की चुनौती का सामना करने के लिए राज्य द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महत्वाकांक्षी संवैधानिक वादों को लागू करते हुए, मामले की जांच एक अलग रंग में की जानी है। यह वही भावना है जिसे हमने एक ओर अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत दिए गए इन शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को संतुलित करते हुए ध्यान में रखा है और

द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता

विवादित कानून। प्रवेश का अधिकार या इन अपीलार्थियों को गारंटीकृत शुल्क तय करने का अधिकार पूरी तरह से नहीं लिया गया है, जैसा कि आशंका है। टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (2002) 8 एस. सी. सी. 481, देता है

ऐसे संस्थानों को स्वायत्तता जो अक्षुण्ण रहे। संभालना राज्य के नियंत्रण में सी. ई. टी. इस पर प्रभाव नहीं डालता है।

स्वायत्तता। प्रवेश अभी भी इन संस्थानों के हाथों में है। एक बार

अपीलार्थियों द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि छात्रों के प्रवेश में "ट्रिपल टेस्ट" को पूरा किया जाना है, विवादित कानून का उद्देश्य वही है। आखिरकार, सी. ई. टी. आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य योग्यता का निर्णय करना और यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले प्रवेश

संस्थान, पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होते हैं। यह फिर से व्यापक जनहित सुनिश्चित करने के लिए है। यह समझ से परे है कि केवल अनुमान लगाने से

सी. ई. टी. रखने की शक्ति, अपीलार्थियों का मौलिक अधिकार

मान लीजिए कि छात्रों को ले जाया गया है। इसी तरह, जब यह आता है शुल्क का निर्धारण, जैसा कि पहले ही विस्तार से बताया जा चुका है, मुख्य उद्देश्य है -

कि राज्य एक नियामक के रूप में कार्य करता है और खुद को संतुष्ट करता है कि शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क के पास नहीं है मुनाफाखोरी का तत्व और यह भी कि कोई कैपिटेशन शुल्क आदि नहीं है

आरोप लगाया। वास्तव में, विनियामक प्रकृति का यह दोहरा कार्य जनहित को आगे बढ़ाने वाला है क्योंकि वे छात्र जो अन्यथा मेधावी हैं लेकिन कैपिटेशन शुल्क आदि की अनुचित मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, वे प्राप्त करने से वंचित नहीं हैं।

प्रवेश। इसलिए, विवादित प्रावधानों का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक हित में प्रशंसनीय उद्देश्यों की तलाश करना है। कानून स्थिर नहीं है, इसे बदलते समय और बदलते सामाजिक/सामाजिक परिवर्तनों के साथ बदलना पड़ता है।

सामाजिक स्थितियाँ "।

(ट) न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एम. सी. आई. अधिनियम और नियम अनुच्छेद 19 (6) के तहत उचित उद्धरण निर्धारित करते हैं, इस प्रकार:

" 53. पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में पैरा 136 और 137 का उल्लेख करने के बाद, यह देखा गया: (एस. एन. निजी दंत चिकित्सा मामला, 2009

एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 760, एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. पैरा 34 और 37)

" 34. इस प्रकार निर्णय के पैरा 136 और 137 से यह स्पष्ट हो जाएगा।

पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में, जो ऊपर उद्धृत किया गया है, भारत और अन्य देशों के स्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन निऑन [अरुण मिश्रा, जे.]

निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश

व्यावसायिक शिक्षा एक साथ या राज्य द्वारा या किसी ऐसी एजेंसी द्वारा, जिसे अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता का आनंद लेना चाहिए और केंद्रीकृत परामर्श के बाद होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषक होने की तिहरी परीक्षा को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 और पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हैं। राज्य के साथ-साथ किसी भी एजेंसी द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण जो इस मामले में अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता का आनंद लेती है और जिसे योग्यता में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

*

*

37. 2007 के अधिनियम की धारा 3 (डी), 6 और 7 में यह प्रावधान किया गया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा या राज्य द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करती है।

संस्थान, जैसे कि निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान योग्यता के आधार पर संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शुल्क एकत्र करने, अपने स्वयं के कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करने, अनुशासित करने और कर्मचारियों को हटाने, छात्रों के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के हकदार हैं।

ऐसी सभी अन्य चीजें जो पेशेवर रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं

छात्रों को शिक्षा। अतः 2007 के अधिनियम की धारा 3 (घ), 6 और 7 व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के मौलिक अधिकार को बाधित नहीं करती हैं। एकमात्र उद्देश्य

2007 के अधिनियम की धारा 3 (डी), 6 और 7 यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उत्कृष्टता के छात्रों का चयन एक सामान्य प्रवेश के आधार पर किया जाए।

राज्य या राज्य द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा और यह कि उत्कृष्टता और योग्यता के बिना छात्र कदाचार और प्रभाव के माध्यम से इन व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसा कि दोनों [2020] 5 एस. सी. आर. में आयोजित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन, (2002) 8 एस. सी. सी. 481 और पी. ए. इनामदार, (2005) 6 एस. सी. सी. 537 में निर्णय, निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों का अपने छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार।

चयन एक पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-शोषणकारी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर छात्रों के चयन के अधीन है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में, 2007 के अधिनियम की धारा 3 (डी), 6 और 7 किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं। इस निष्कर्ष को देखते हुए, हमारे लिए निर्णय लेना आवश्यक नहीं है

क्या 2007 के अधिनियम की धारा 3 (घ), 6 और 7 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 (5) द्वारा या किसी भी सेवा के संबंध में अपने पक्ष में एकाधिकार बनाने के लिए कानून बनाने की राज्य की शक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के दूसरे अंग द्वारा सहेजे गए हैं।

32. संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट (ऊपर) में, विभिन्न आदेश पारित किए गए

अलग-अलग तारीखों पर अदालत की सूचना दी गई है। इस अदालत ने नोट किया कि एन. ई. ई. टी. को दिनांकित 11.4.2016 के फैसले द्वारा बहाल किया गया है जिसके द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर और अन्य में आदेश को वापस ले लिया गया है। उत्तरदाताओं को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिनांक 28.4.2016 पारित किया:

" 10. उत्तरदाताओं की ओर से की गई प्रस्तुतियों को देखते हुए, हम रिकॉर्ड करते हैं कि एन. ई. ई. टी. उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए अनुसार आयोजित की जाएगी।

हम आगे स्पष्ट करते हैं कि किसी भी आदेश के पारित होने के बावजूद एन. ई. ई. टी. आयोजित नहीं करने के संबंध में अदालत ने पहले यह आदेश दिया था

संचालन करें। इसलिए आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस चरण में।

11. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ विद्वान सलाहकार

उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो इस याचिका के पक्षकार नहीं हैं

प्रस्तुतियाँ जो ईसाई धर्म में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए

मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर बनाम। भारत संघ, यह नहीं होगा

एन. ई. ई. टी. आयोजित करना उचित है और यह आदेश लंबित को प्रभावित नहीं करना चाहिए विषय हैं।

12. हम इस कारण से पहली प्रस्तुति से सहमत नहीं हैं कि

उक्त निर्णय को पहले ही 11-4-2016 पर वापस ले लिया गया है और

इसलिए, दिनांकित 21-12-2010 अधिसूचनाएँ इस प्रकार काम कर रही हैं

आज "। क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

6.5.2016 पर, न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एमबीबीएस या बीडीएस अध्ययन में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

ई कॉलेज या संघ या कोई निजी/मानित विश्वविद्यालय। प्रासंगिक यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 23. विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए, सुनवाई 9-5-2016 तक स्थगित कर दी गई है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि नहीं

एमबीबीएस या बीडीएस अध्ययन में प्रवेश के लिए किसी भी निजी कॉलेज या संघ या किसी भी निजी/मानित विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।

24. उन छात्रों के संबंध में मुद्दा, जो उपस्थित हुए थे या जो अपने राज्य के कानूनों के अनुसार राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले हैं, उनका फैसला सुनवाई के बाद किया जाएगा।

विद्वान महान्यायवादी "।

आई. डी. 1 पर, उपरोक्त मामले में, अदालत ने आदेश के स्पष्टीकरण की मांग करने वाले निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर विचार किया।

28.4.2016 . इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

" 29. भारतीय चिकित्सा परिषद (एम. सी. आई.) और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डी. सी. आई.) ने एकल राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली प्रदान करने के लिए मौजूदा वैधानिक नियमों में संशोधन करते हुए दिनांक 21-12-2010 अधिसूचना जारी की।

एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन. ई. ई. टी.)। उक्त अधिसूचनाएँ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर बनाम में निरस्त कर दी गईं। भारत संघ, (2014) 2 एस. सी. सी. 305। उक्त निर्णय भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम में 11-4-2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से वापस लिया गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

(2016) 4 एससीसी 342।

32. आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाम मामले में हाल ही में आई. डी. 1 दिनांकित संविधान पीठ के फैसले में। एम. पी. राज्य, (2016) 7 एस. सी. सी. 353, निजी मेडिकल कॉलेजों का रुख

(अल्पसंख्यकों सहित) कि राज्य द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने से उक्त कॉलेजों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन होता है, को खारिज कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य के कानून को बरकरार रखा गया, इस तर्क को खारिज करते हुए कि राज्य के पास इस विषय पर कोई विधायी क्षमता नहीं है। साथ ही, यह माना गया कि प्रवेश में दो पहलू शामिल थे। सबसे पहले, स्थापना को अपनाना शिक्षा के न्यूनतम मानकों और ऐसे मानकों का समन्वय जो विशेष रूप से सूची I प्रविष्टि 66 द्वारा कवर किया गया था। दूसरा पहलू [2020] 5 एस. सी. आर. के कार्यान्वयन के संबंध में है।

मानकों को कहा जो सूची III प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किया गया था। उक्त पहलू पर, राज्य कानून भी बना सकता है। दोनों प्रविष्टियाँ कुछ हद तक परस्पर मेल खाती हैं और उस हद तक सूची I प्रविष्टि 66 प्रबल रही।

प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किया गया विषय। 33. प्रथम दृष्टया, हम एन. ई. ई. टी. विनियमन में इस आधार पर कोई कमजोरी नहीं पाते हैं कि यह राज्यों या निजी संस्थानों के अधिकारों को प्रभावित करता है। किसी भी श्रेणी के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान एन. ई. ई. टी. के विषय नहीं हैं और न ही एन. ई. ई. टी. से किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। एन. ई. ई. टी. केवल एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करता है।

34. इस प्रकार, हम दिनांकित 28-4-2016 आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदनों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

33. जैनारायण चौकसे (ऊपर) में, न्यायालय ने मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (ऊपर) में निर्णय का पालन किया और राय दी कि उक्त निर्णय में न केवल राज्य द्वारा आयोजित केंद्रीकृत परीक्षा शामिल है, बल्कि राज्य द्वारा आयोजित केंद्रीकृत परामर्श भी शामिल है। इस न्यायालय ने परीक्षा के साथ-साथ परामर्श दोनों उद्देश्यों के लिए एक आदेश जारी किया और कहा:

" 5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

हम देखते हैं कि हमारे निर्णय का अधिदेश केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था जिसके बाद इसे एक समग्र प्रक्रिया बनाने के लिए राज्य द्वारा केंद्रीकृत राज्य परामर्श दिया जाता था। इसलिए हम

निर्देश देते हैं कि सभी चिकित्सा सीटों पर प्रवेश केवल राज्य सरकार द्वारा केंद्रीकृत परामर्श द्वारा आयोजित किया जाएगा और कोई अन्य नहीं।

6. यदि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा कोई परामर्श दिया गया है और अब तक किसी भी चिकित्सा सीट पर कोई प्रवेश दिया गया है, तो ऐसा प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्रवेश केवल राज्य द्वारा की गई केंद्रीकृत परामर्श के अनुसार ही दिया जाएगा।

सरकार "।

34. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ (ऊपर) में, न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया कि मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में निर्णय

(उपर्युक्त) में न केवल केंद्रीकृत राज्य द्वारा आयोजित परीक्षण शामिल है, बल्कि

केंद्रीकृत राज्य-आयोजित परामर्श।

35. एम. सी. आई. ने स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमन, 1997 और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 की अधिसूचना के माध्यम से सामान्य परामर्श क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन v.

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

नीट के आधार पर एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। उक्त अधिसूचनाओं को अल्पसंख्यक संस्थानों, मानित विश्वविद्यालयों और अन्य निजी संस्थानों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। अदालत ने दार-यू. एस.-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट और ओ. आर. एस. में दिनांकित 9.5.2017 आदेश के माध्यम से। वी. भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य।,

(2017 की रिट याचिका (सी) No.267) में कहा गया है कि सामान्य परामर्श किसी भी तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है

अपने ही अल्पसंख्यक समुदाय से। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

अपने संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के लिए संस्थान। अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों में अल्पसंख्यक कोटा सीटें, यदि कोई हों, केवल अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा भरा जाएगा। इसलिए, अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाती है। यह कहने की जरूरत नहीं है।

व्यवस्था आंध्र प्रदेश राज्यों पर लागू नहीं होगी,

तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर। जहाँ तक अन्य राज्यों का संबंध है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह व्यवस्था सभी कॉलेजों पर लागू होगी जब तक कि इस न्यायालय ने कोई अलग या अलग पारित नहीं किया हो।

आदेश "।

36. यतीनकुमार-जसुभाई पटेल (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने कहा कि एन. ई. ई. टी. की शुरुआत से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत राज्य कोटा सीट प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 10डी और एमसीआई द्वारा संशोधित विनियमों पर भी विचार किया। इसने इस प्रकार राय दी:

" 9.4 . हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत को देखते हुए और एमसीआई अधिनियम की धारा 10-डी, जिसके द्वारा एन. ई. ई. टी. में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने हैं, इस तरह की "संस्थागत वरीयता" की अनुमति नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एन. ई. ई. टी. की शुरुआत का किसी भी संबंध से कोई लेना-देना नहीं है।

वरीयता/संस्थागत वरीयता, विशेष रूप से

" संस्थागत वरीयता "जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार अनुमोदित किया गया है। एन. ई. ई. टी. की शुरुआत का उद्देश्य और उद्देश्य था -

स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा में प्राप्त योग्यता और/या अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पहले गुजरात विश्वविद्यालय सहित संबंधित विश्वविद्यालय [2020] 5 एस. सी. आर. करते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करें और अब संबंधित गुजरात विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के बजाय, योग्यता का निर्धारण केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाना है और प्रवेश एन. ई. ई. टी. में प्राप्त योग्यता या अंकों के आधार पर दिए जाने की आवश्यकता है। एन. ई. ई. टी. की शुरुआत के आधार पर एकमात्र दायित्व यह है कि एक बार केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के बाद, राज्य, इसकी एजेंसियां, विश्वविद्यालय और संस्थान इस उद्देश्य के लिए कोई अलग परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं -

स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश और ऐसी सीटों को राज्य एजेंसियों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन. ई. ई. टी. परीक्षा में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार योग्यता

सूची तैयार करने के लिए भरा जाना है और इसलिए एन. ई. ई. टी. लागू करके एम. सी. आई. अधिनियम की धारा 10-डी में संशोधन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर शिक्षा में संशोधन किया गया है। विनियम, 2000, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल केंद्रीकृत परीक्षा के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

अर्थात एन. ई. ई. टी.

9.5 . राज्य कोटे/संस्थागत आरक्षण कोटे में प्रवेश देते समय भी एन. ई. ई. टी. परीक्षा परिणामों के आधार पर निर्धारित योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में, एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत का "संस्थागत वरीयता" से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, एन. ई. ई. टी. की शुरुआत से परिवर्तन

योजना समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित संस्थागत वरीयता/आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी, विशेष रूप से ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों को। के तहत

एन. ई. ई. टी. योजना की शुरुआत की आड़ में, याचिकाकर्ताओं को संस्थागत वरीयता के संबंध में फिर से आंदोलन करने और/या मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से कई निर्णयों में अनुमोदित और सुलझा लिया गया है।

ऊपर जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है।

37. 1956 के अधिनियम में शुरू किए गए मामलों और धारा 10 डी में किए गए प्रावधानों और एम. सी. आई. द्वारा संशोधित किए गए प्रावधानों और अंतर्वर्ती अधिनियम और विनियमों में जोड़े गए समान प्रावधानों में जिन अधिसूचनाओं पर सवाल उठाए गए हैं, उन्हें गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों या निजी संस्थानों से किसी भी तरह से प्रतिबंध हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विनियामक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलर एसोसिएशन v.

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

राष्ट्रीय स्तर पर तंत्र और प्रवेश परीक्षा सभी पर भी लागू होती है

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान। यह टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में आयोजित ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए नियामक तंत्र प्रदान करने के लिए खुला है।

मानक प्रदान किए जा सकते हैं, और शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने और व्यावसायिक संस्थान के मामले में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए नियामक उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रकार, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में निर्णय (उपर्युक्त) 11 द्वारा प्रस्तुत किया गया-न्यायाधीश पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए निवेदन के साथ जोड़ा जाता है।

38. पी. ए. इनामदार (ऊपर) में, न्यायालय ने एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-शोषणकारी तंत्र की तिहरी परीक्षा निर्धारित की और यदि प्रवेश

निजी संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सभी या किसी भी तीन परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करती है, यह माना गया कि प्रवेश प्रक्रिया को राज्य द्वारा अपनी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करके लिया जा सकता है। इस पहलू का आकलन मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में एक व्यापक परिप्रेक्षय में किया गया था। कैपिटेशन शुल्क और शिक्षा के बिक्री योग्य वस्तु बनने की मौजूदा स्थिति पर विचार करना। पेशेवर महाविद्यालयों में प्रवेश को राष्ट्रीय आधार पर विनियमित करने का निर्णय लिया गया है ताकि व्यवस्था से भ्रष्टाचार और विभिन्न बुराइयों का सफाया किया जा सके। यहां तक कि एन. ई. ई. टी. को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों पर भी लागू किया गया है

विज्ञान (एम्स) और कई अन्य। लिया गया है फैसला समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य पर विचार करते हुए, कोई छूट नहीं दी जा सकती है, अन्यथा, इस तरह के दावों का कोई अंत नहीं होगा और कई

परीक्षाएँ। बुराइयों को मिटाना संभव नहीं होगा। हम एन. ई. ई. टी. की शुरुआत से पहले की समग्र अपमानजनक स्थिति को बहाल नहीं कर सकते। फिर भी, प्रवेश प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना है। केंद्रीकृत परामर्श समिति द्वारा प्रायोजित छात्रों को प्रवेश नहीं देने के लिए निजी कॉलेजों द्वारा अनैतिक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक और निजी संस्थानों को अधिनियम और विनियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एन. ई. ई. टी. के आधार पर अनुमेय श्रेणी में योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देना होता है।

39. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय संघ में

विज्ञान बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , (2013) 11 एस. सी. सी. 246, अति-विशिष्टता में आरक्षण के मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने राय दी:

" 22. हालाँकि इस मामले पर कुछ समय तक बहस की गई है, लेकिन सुपरस्पेशलिटी स्तर पर आरक्षण के संबंध में उठाए गए मुख्य मुद्दे पर पहले ही इंदिरा साहनी मामले, 1992 सप्लीमेंट [2020] 5 एस. सी. आर. में विचार किया जा चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) एस. सी. सी. 217, इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। इस तरह के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हम इस मुद्दे पर नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अलावा कोई अन्य विचार लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जगदीश सरन में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के अलावा

मामला, (1980) 2 एस. सी. सी. 768 और प्रदीप जैन मामला, (1984) 3 एस. सी. सी. 654, यह मुद्दा प्रीति श्रीवास्तव मामला, (1999) 7 एस. सी. सी. 120 में भी विचार के लिए पड़ा, जिसका फैसला भी पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने किया था। जबकि जगदीश सरन मामले (1980) 2 एस. सी. सी. 768 और प्रदीप जैन मामले (1984) 3 एस. सी. सी. 654 में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि सुपरस्पेशलिटी में योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह की भावनाएं प्रीति श्रीवास्तव मामले (1999) 7 एस. सी. सी. 120 में भी व्यक्त की गई थीं।

23. प्रीति श्रीवास्तव मामले (1999) 7 एस. सी. सी. 120 में संविधान पीठ को पद के विनियमन 27 पर विचार करने का अवसर मिला था।

ग्रेजुएट इंस्टीटच्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ विनियम, 1967, जिसके तहत संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक पाठच्यक्रम में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जानी थीं।

व्यक्ति, समय-समय पर घोषित केंद्र सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार। संविधान पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विनियमन 27 में उच्च विशेषज्ञता के उच्चतम स्तर पर कोई आवेदन नहीं हो सकता है क्योंकि यह चयनित मेधावी उम्मीदवारों को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो चिकित्सा अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति में योगदान कर सकते हैं। अंततः उनके प्रभुत्व का मानना था कि सुपरस्पेशलिटी स्तर पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

24. इंद्र साहनी मामले, 1992 में निर्णय के पैरा 836 में यह देखा गया कि जबकि प्रासंगिकता और प्रारंभिक भर्ती के चरण में योग्यता के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरक्षण के समान विचार का अर्थ कम मेधावी व्यक्ति का चयन है। यह भी देखा गया कि अगर सामाजिक न्याय के संवैधानिक वादे को पूरा करना है तो इस तरह की कीमत चुकानी होगी।

हालाँकि, इस तरह के सुझाव देने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 15 के आलोक में अगले पैराग्राफ में सावधानी का एक नोट पेश किया गया था। हालाँकि, ईसाई मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन v के संबंध में एक अंतर किया गया था।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अनुच्छेद 16 के प्रावधान और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 335

प्रासंगिक होगा और यह किसी भी निर्धारित नहीं करने की अनुमति नहीं होगी

न्यूनतम मानक बिल्कुल भी। बेशक, उक्त अवलोकन था

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश और संदर्भ के संदर्भ में किया गया

एम. पी. बनाम राज्य में भी निर्णय लिया गया था। निवेदिता जैन,

(1981) 4 एस. सी. सी. 296, जहाँ चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश था

प्रवेश परीक्षा द्वारा विनियमित। यह माना गया कि मामले में

जनजातियों के उम्मीदवार दूसरों के लिए न्यूनतम निर्धारित करते हैं। में बहुत अगले पैराग्राफ, नौ-न्यायाधीश बेंच चर्चा करते हुए

अनुच्छेद 335 के प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि कुछ

उनसे जुड़ा हुआ या पदानुक्रम में जिस स्तर पर वे खड़े थे, केवल योग्यता ही मायने रखती है। ऐसी स्थितियों में, यह सलाह नहीं दी जा सकती है कि

आरक्षण प्रदान करें। निम्नलिखित अनुच्छेद में, स्थिति

यह और भी स्पष्ट हो गया जब उनके प्रभुओं ने देखा कि

उनकी राय थी कि कुछ सेवाओं के संबंध में

कुछ पदों पर आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता है में पदों सहित विभिन्न तकनीकी पदों के संबंध में सलाह दी जाती है

चिकित्सा, अभियान्त्रिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता तकनीकी पद "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने भारत संघ को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया

Dr.Preeti श्रीवास्तव और अन्र के मामले में व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। (1999) 7 एससीसी 120।

40. केरल शिक्षा विधेयक (ऊपर) में यह राय दी गई थी कि

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की सहायता और मान्यता की मांग नहीं कर सकते थे, जब ऐसे संस्थानों को मान्यता दी जाती है तो यह अनुच्छेद 30 में निहित उद्देश्य के लिए अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना संस्थान को एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपने चरित्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए खुला होगा। संस्थान को शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम होना चाहिए।

सभी चिंतित हैं।

41. गांधी फैज-ए-एम कॉलेज, शाहजहांपुर (ऊपर) में, यह

वास ने विचार व्यक्त किया कि प्रतिबंध लगाने वाला विनियमन बुरा है; लेकिन विनियमन जो सुविधा प्रदान करता है वह अच्छा है। हम पाते हैं कि फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्मचारी संघ (ऊपर) ने यह देखा है कि संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय या इसका सहारा लेने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम होना चाहिए। संस्थान के प्रशासन के मौलिक अधिकार पर आक्रमण की कोई शिकायत नहीं हो सकती है जब यह अपने कर्मचारियों के सदस्यों को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के अवसर से वंचित करता है। न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों को कुशासन का कोई अधिकार नहीं है। जारी की गई अधिसूचनाएं, 1956 के अधिनियम की धारा 10 डी में किया गया संशोधन और एम. सी. आई. द्वारा बनाए गए विनियम और एन. ई. ई. टी. प्रदान करने वाले दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए इसी तरह के प्रावधानों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला नहीं कहा जा सकता है और डी. सी. आई. अधिनियम और विनियमों में 1956 के अधिनियम के तहत एम. सी. आई. द्वारा बनाए गए अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को निम्नानुसार कहा जाना आवश्यक है -

प्रत्येक संस्थान द्वारा देखा जाता है। अधिनियम/विनियमों के तहत विनियामक उपायों को ऐसे संस्थानों के हित के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है और ऐसे उचित उपायों को तैयार किया जा सकता है। वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी), 25 और 30 के तहत गारंटीकृत संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। 42. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने राय दी कि राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे सरकार द्वारा स्थापित हों या बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय, केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। केरल शिक्षा विधेयक (उपरोक्त) में इस मुद्दे पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि निजी प्रशिक्षण कॉलेजों का अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार गंभीर रूप से प्रतिबंधित था। इसने आगे कहा कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार इतना निरपेक्ष नहीं है कि

राज्य को कोई भी विनियमन बनाने से रोकें। सरकार को राष्ट्रीय हित में नियम बनाने से रोका नहीं जा सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार को समझना मुश्किल है

दूसरों द्वारा संचालित संस्थानों को ध्वस्त करना होगा। देश के कानून में ऐसे नियम और विनियम शामिल हैं जो देश पर समान रूप से लागू होने चाहिए। बहुसंख्यक और साथ ही अल्पसंख्यक संस्थान। अल्पसंख्यक संस्थानों को वही करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो गैर-अल्पसंख्यक को करने की अनुमति है। उन्हें मान्यता की शर्तों का पालन करना होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत अधिकार को कम करने जैसा नहीं हो सकता है।

क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज वेलोर एसोसिएशन. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

43. ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी (ऊपर) में, यह माना गया था कि राज्य शिक्षा के साधनों के उचित रखरखाव और कुप्रशासन की जांच के लिए आवश्यक शर्तों को लागू कर सकता है।

44. अपीलार्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि व्यक्तिगत चिंता किसी भी सरकार की चिंता है। ऐसा नहीं होना चाहिए

संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पराजित करना। रिलायंस एन को गोबिंद बनाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य (ऊपर)

इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 20. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान के निर्माता सुख की खोज के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना चाहते थे। उन्होंने निश्चित रूप से ब्रांडेस के रूप में महसूस किया, जे. ने अपनी असहमति में कहा

ओल्मस्टेड वी। संयुक्त राज्य अमेरिका, 277 यू. एस. 438,471, मनुष्य के आध्यात्मिक स्वभाव, उसकी भावनाओं और उसकी बुद्धि का महत्व और जीवन के दर्द, आनंद, संतुष्टि का केवल एक हिस्सा भौतिक चीजों में पाया जा सकता है और इसलिए उन्हें माना जाना चाहिए सरकार के खिलाफ व्यक्ति को एक ऐसा क्षेत्र प्रदान किया गया है जहां उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए।

21. " उदार व्यक्तिवादी परंपरा ने, विशेष रूप से, तीन व्यक्तिगत आदर्शों पर जोर दिया है, जिनमें से प्रत्येक एक सीमा से मेल खाता है

' निजी मामले '। पहला व्यक्तिगत संबंधों का आदर्श है; दूसरा, न्यूनतम विनियमित समाज में राजनीतिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति का लॉकियन आदर्श; तीसरा, नैतिक रूप से स्वायत्त व्यक्ति का कांटियन आदर्श, उन सिद्धांतों पर कार्य करता है जिन्हें वह तर्कसंगत के रूप में स्वीकार करता है। [जे. पेनॉक एंड जे. चैपमैन में बेन, "गोपनीयता, स्वतंत्रता और व्यक्तियों के लिए सम्मान" देखें। एडस्। , गोपनीयता, नोमोस XIII, 1,15-16]। ”

संविधान के बारे में हमारा चिंतन केवल इस बारे में नहीं हो सकता कि क्या रहा है लेकिन क्या हो सकता है। समय काम करता है और नई परिस्थितियाँ अस्तित्व में लाता है। गोपनीयता पर आक्रमण करने के सूक्ष्म और दूरगामी साधनों से सड़क पर वह सुनना संभव हो जाएगा जो अलमारी में फुसफुसाया जा रहा है। फिर भी, गोपनीयता की बहुत व्यापक परिभाषा न्यायपालिका के औचित्य के बारे में गंभीर सवाल उठाती है एक ऐसे अधिकार पर निर्भरता जो संविधान में स्पष्ट नहीं है। बेशक, गोपनीयता मुख्य रूप से व्यक्ति से संबंधित है। इसलिए यह संबंधित है

और स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ ओवरलैप करता है। सबसे गंभीर अधिवक्ता [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हस्तक्षेप सिवाय वहाँ जहाँ घुसपैठ के लिए एक उचित आधार मौजूद हो। " प्रोफेसर कॉर्विन द्वारा गढ़ा गया वाक्यांश "सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता" इस विचार को जोरदार ढंग से व्यक्त करता है। इस अर्थ में, नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को निजता के अधिकार में योगदान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 26. जैसा कि एली कहते हैं:

सरकार के बिना अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता के लिए 'गोपनीयता' शब्द का उपयोग करने से किसी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।

हस्तक्षेप। लेकिन न्यायालय स्पष्ट रूप से इस शब्द का उपयोग नहीं करता है। न ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर मामले में ऐसा अधिकार दांव पर है। [देखें द.

रोते हुए भेड़िये का वेतन: रो वी पर एक टिप्पणी। वेड, 82 येल एलजे 920,932] "।

45. के. एस. पुट्टास्वामी और 2 पर भी निर्भरता रखी गई है। भारत संघ और ओआरएस। , 2017 (10) एस. सी. सी. 1, संबंधित निर्णय

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 351. किसी भी देश का संविधान आकांक्षाओं को दर्शाता है

और उस देश के लोगों के लक्षयों ने उन कुछ चुने हुए व्यक्तियों की भाषा के माध्यम से आवाज उठाई जिन्हें इसका संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसी आकांक्षाएँ और लक्षय इस पर निर्भर करते हैं -

उस समाज का इतिहास।

इतिहास हमेशा विभिन्न ईसाई मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन v का एक उत्पाद है। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ। संविधान के परिष्करण का स्तर उन लोगों के विवेक पर निर्भर करता है जिन्हें संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है संविधान। संविधान केवल संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज नहीं है। यह राजनीतिक है

उन पुरुषों और महिलाओं द्वारा बनाया गया पवित्र उपकरण जिन्होंने जीवन को जोखिम में डाला और विदेशी शासकों से लड़ने के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया और हमारे लोगों के लिए स्वतंत्रता हासिल की, न केवल उनकी पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। संविधान को एक कानूनी व्यवस्था को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए स्याही में लिखे गए दस्तावेज़ के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह प्रस्तावना 2 में बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया एक वसीयतनामा है। संविधान के भाग III को प्रस्तावना 3 में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है। हम इस देश के लोग संविधान के इच्छित लाभार्थी हैं। इसे होना ही चाहिए।

जलियांवाला बाग आदि के असंख्य शहीदों के खून से लिखे गए दस्तावेज़ के रूप में देखा जाए। मनुष्य राज्य का प्राणी नहीं है। संविधान द्वारा जीवन और स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। संविधान केवल हमारे जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की राज्य की शक्ति पर सीमाएं निर्धारित करता है। स्वतंत्रता के फल का आनंद लेने के लिए कानून आवश्यक है; यह स्वतंत्रता का स्रोत नहीं है और स्पष्ट रूप से अनन्य स्रोत नहीं है।

" 91. ..... हमारी प्रस्तावना पूरे संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह "हमने इतने लंबे समय तक जो सपना देखा था" उसे व्यक्त करता है। (एससीसी p.323, पैरा 91)। 3 केरल शिक्षा विधेयक, 1957, पुनः ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956

" 5. ..... प्रस्तावना में उल्लिखित इन सर्वोच्च उद्देश्यों को लागू करने और मजबूत करने के लिए, हमारे संविधान के भाग III ने हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं।" (एयर पी। 965, पैरा 5)।

4 बिडी सप्लाई कं. वी. भारत संघ, ए. आई. आर 1956 एस. सी. 479 " 23. आखिरकार, संविधान किसके लाभ के लिए बनाया गया था? मौलिक अधिकारों के बारे में इस सब को परेशान करने का क्या मतलब था? मैं स्पष्ट हूं कि संविधान केवल सरकारों और राज्यों के लाभ के लिए नहीं है; यह केवल वकीलों और राजनेताओं और अधिकारियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए है। यह आम आदमी के लिए भी मौजूद है, गरीबों के लिए [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. यह तर्क दिया गया था कि कुछ कॉलेजों ने डॉक्टर तैयार किए हैं

प्रसिद्ध प्रसिद्धि, और वे भारत के लिए एक संपत्ति हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के डॉक्टर विभिन्न लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं।

संस्थाएं। वे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए भी एक संपत्ति हैं। वे चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं जैसे कि

ऑन्कोलॉजी, सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान की अन्य शाखाएँ। लेकिन, जब यह कदाचार के उन्मूलन की बात आती है जो अंदर घुस गए हैं

प्रणाली में, हमें देश भर में शिक्षा के व्यापक हित को ध्यान में रखना होगा। एन. ई. ई. टी. को विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित में निर्धारित किया गया है। हम पाते हैं कि मान्यता/संबद्धता की उचित शर्तें ऐसी सभी संस्थाओं के अस्तित्व के लिए बाध्यकारी हैं, चाहे वे बहुमत द्वारा संचालित हों या

अल्पसंख्यक जो अस्तित्व में नहीं हैं और शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। शर्तें उचित हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वे इनमें से किसी को भी हटा रही हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकार, वे उचित, निष्पक्ष हैं और संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा में पारदर्शिता लाने का इरादा रखते हैं। वे सभी संस्थानों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, अल्पसंख्यकों को एक नुकसानदेह मंच पर नहीं रखा जाता है।

47. सीमित सरकार की अवधारणा के बारे में कोई संदेह नहीं है

और कम से कम हस्तक्षेप का स्वागत किया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में और किस हद तक व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के साथ संतुलन की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वायत्तता, अधिकार और दायित्व आधिकारिक हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए, सिवाय इसके कि घुसपैठ का तर्कसंगत आधार मौजूद हो। संविधान राज्य की हस्तक्षेप करने की शक्ति पर एक सीमा प्रदान करता है।

जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ, हालांकि, सीमित सरकार की अवधारणा

इसे उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब यह राष्ट्रीय हित को पराजित करता है। इस देश में व्यावसायिक शिक्षा जिन विकृतियों से ग्रस्त है, वे बहुत बड़ी हैं। एम. सी. आई./डी. सी. आई. द्वारा बनाया गया नियामक ढांचा शर्तों, संबद्धता और मान्यता के अनुरूप है और एन. ई. ई. टी. के रूप में केंद्रीय परीक्षा प्रदान करना नियमों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (छ) और 30 के तहत अधिकार। विनियामक ढांचा प्रतिबंधात्मक नहीं है, लेकिन उपरोक्त प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रभावी आनंद को पूरा करता है। प्रावधानों के सिद्धांत योग्य हैं

और विनम्र लोगों के लिए, जिनके व्यवसाय दांव पर हैं, "कसाई, बेकर और मोमबत्ती बनाने वाले" के लिए। यह इस भूमि के लिए "कानून का शासन" निर्धारित करता है जैसा कि दुनिया के स्वतंत्र लोकतंत्रों में समझा जाता है। यह भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में गठित करता है और

प्रत्येक पृष्ठ में सभी की भलाई के लिए कार्य करने की राज्य की प्रबल शक्ति के साथ-साथ अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।" (AIR p.487, पैरा 23)

[सुविधा के लिए, उद्धरणों को पुनः क्रमांकित किया गया है।] क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन v.

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र (उपरोक्त) में आनुपातिकता पर विचार किया जाता है। इसमें राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए जो आयोजित किया गया है, वह एन. ई. ई. टी. के लिए भी अच्छा है।

48. एन. ई. ई. टी. का प्रिस्क्रिप्शन निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है, इस प्रकार, यह राज्य के कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम है जो राज्य नीति के अनुच्छेद 47 में निहित राज्य के निदेशक सिद्धांतों में निहित है।

भारत का संविधान। इसी तरह, अनुच्छेद 46 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। एन. ई. ई. टी. की एक समतुल्यता परीक्षा के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, उनकी योग्यता के हित को भी समान रूप से संरक्षित किया जाता है और इसका उद्देश्य विभिन्न कदाचारों को रोकना है, जो प्रणाली में घुस जाते हैं और उन सीटों को बेचकर आर्थिक शोषण को रोकते हैं जिनसे व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को नुकसान होता है। अनुच्छेद 51 ए (जे) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य से संबंधित है ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। उस उद्देश्य के लिए, योग्यता की मान्यता आवश्यक है, और व्यक्ति को अपने लक्षय की प्राप्ति के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। एन. ई. ई. टी. का निर्देश किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 51 ए (जे) के तहत निहित अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए समान अवसर और समान मंच प्रदान करना है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है, बल्कि कार्रवाई अनुच्छेद 51 ए (जे) के इरादे को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उद्देश्यों और निर्देशों को आगे बढ़ाने में है और यह राष्ट्रीय हित में है। 49. सचिव में, मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम। टी. जोस और ओआरएस। , (2007) 1 एस. सी. सी. 386, न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपरोक्त) पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन को विनियमित करने और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए सभी कानून अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होंगे, लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार को कम करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित विनियमों या शर्तों को उचित शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

वातावरण।

50. पी. ए. इनामदार (ऊपर) में, अदालत ने राय दी कि शिक्षा की गतिविधियाँ धर्मार्थ हैं। शैक्षणिक संस्थान, दोनों गैर -

अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक चरित्र को विनियमित और नियंत्रित किया जा सकता है ताकि वे पैसे कमाने के लिए सीखने की सीटें बेचने में लिप्त न हों। उन्हें ऐसी धनराशि जुटाने की अनुमति दी जा सकती है जो [2020] 5 एस. सी. आर. के लिए उचित रूप से आवश्यक होगी।

संस्थान को चलाने और इसके आगे के विकास के लिए। पी. ए. इनामदार (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पेशेवर और गैर-पेशेवर के बीच के अंतर को नोट किया

संविधान इस मामले में पारदर्शिता और योग्यता की मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के कदम उठाने के रास्ते में नहीं आता है प्रवेश और मान्यता की शर्तें ऐसे संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं। पी. ए. इनामदार (ऊपर) में, न्यायालय ने राय दी कि योग्यता के आधार पर प्रवेश राष्ट्रीय हित में थे और राष्ट्रीय कल्याण को मजबूत कर रहे थे।

राष्ट्र के लोकाचार का विकास करता है। यह देखने के लिए नियम आवश्यक हैं कि प्रशासन में कोई विभाजनकारी या विघटनकारी ताकतें न हों। इसने कहा कि यह दावा करना उचित नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता होगी। कुछ चेक आवश्यक हो सकते हैं और संस्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अच्छे प्रशासन का एक सहसंबंधी कर्तव्य शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी (ऊपर) में भी पैराग्राफ में यह राय दी गई थी। 19 ऊपर उद्धृत किया गया है कि राज्य उस संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियम निर्धारित कर सकता है जो संस्थानों को प्रशासित करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ नहीं है। इस तरह के विनियम अधिकार के सार पर प्रतिबंध नहीं हैं, जिसकी गारंटी है; वे संस्थान के उचित कामकाज को सुरक्षित करते हैं। संस्थान को गिरने नहीं दिया जा सकता है।

प्रबंधन के अनन्य अधिकार की आड़ में उत्कृष्टता के मानकों के नीचे। अल्पसंख्यक भी राष्ट्र का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि बहुसंख्यक, और जो कुछ भी राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है, उसे अपने अंतिम संचालन में सभी के हितों को प्रभावित करना चाहिए।

52. अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी (उपरोक्त) में ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 94 में यह राय दी गई थी कि किसी शैक्षणिक संस्थान की संबद्धता या मान्यता की शर्तें हैं, इसके अनुदान के अनुरोध में यह निहित है कि शैक्षणिक संस्थान इसका पालन करेगा। उन विनियमों द्वारा जो संबद्धता प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाए गए हैं- या मान्यता। जब सरकार और एमसीआई/डीसीआई या संबंधित विश्वविद्यालय संबद्धता और मान्यता प्रदान करते हैं, तो संस्थान संबद्धता और मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों से बाध्य होते हैं। यह भी देखा गया है कि मान्यता या संबद्धता में रुचि पैदा होती है विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षणिक संस्थान को इच्छित उद्देश्य के लिए बनाए रखा गया है और कोई भी विनियमन जो उस उद्देश्य को कम करेगा या आगे बढ़ाएगा, उचित होगा और किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान उन विनियमों को प्रस्तुत किए बिना मान्यता या संबद्धता का दावा नहीं कर सकता है। और विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के बीच तुल्यता की गणना करना। यह गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि यह मेधावी छात्रों के अधिकारों का अपमान करते हुए सीटों को वस्तुतः

बेचकर अवैध प्रवेश देने के कदाचार को देखते हुए राष्ट्रीय हित में लगाया गया है। शिक्षा की धर्मार्थ गतिविधि एक बिक्री योग्य वस्तु और अमीर व्यक्तियों और गरीबों का विशेषाधिकार बन गई। छात्रों को शिक्षा के लिए बैंकों से धन प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके लिए रुचि के अस्थायी सप्तक से बाहर आना मुश्किल है। फूल में खिलने से पहले इनका उपयोग किया जाता है। एमसीआई द्वारा विकसित खराब प्रतिष्ठा ने अपनी पूरी संरचना को बदलने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रीय हित में व्यवस्था से बुराइयों को मिटाने के लिए व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है। स्थिति अभी भी गंभीर है और इससे दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ निपटने की आवश्यकता है।

54. Dr.Preeti श्रीवास्तव और अन्र में। वी. एम. पी. राज्य और ओआरएस। (ऊपर), यह राय दी गई थी कि सुपर स्पेशियलिटी स्तर पर कोई आरक्षण या न्यूनतम योग्यता अंकों को कम नहीं किया जा सकता है। मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में, विभिन्न कदाचारों पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि शिक्षा का उपयोग शोषणकारी वित्तीय उपकरण के रूप में किया जा रहा है। शिक्षा पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है।

55. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चिकित्सा/दंत शिक्षा से संबंधित अधिनियम में जिन प्रावधानों को शामिल किया गया है, सरकार, एमसीआई और डीसीआई को मौलिक अधिकारों का आक्रमण नहीं कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य चयन में निष्पक्षता, योग्यता की मान्यता और छात्रों के हितों को सुनिश्चित करना है। ब्याज, शैक्षणिक संस्थान मूल रूप से एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए होते हैं। मोटे तौर पर, वर्तमान में शिक्षा अपने वास्तविक चरित्र से रहित है। दान, यह एक वस्तु बन गया है। प्रणाली से बुराइयों को दूर करने के लिए, जो प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता को खा रहे थे, बिना किसी साधन के आम पदधारी की योग्यता और आकांक्षा को पराजित कर रहे थे, राज्य को सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक/निजी संस्थानों के लिए नियामक व्यवस्था बनाने का अधिकार है जैसा कि संविधान के निर्देश सिद्धांतों, अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा अनिवार्य है। बुराइयों को दूर करने के लिए पहला कदम उठाया गया है प्रणाली से, और समग्र परिदृश्य को देखते हुए पीछे हटना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। अगर हम पुरानी व्यवस्था की ओर लौटते हैं, तो भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। फिर भी, शिकायतों की भरमार है कि निजी संस्थानों द्वारा योग्यता की अनदेखी की जा रही है; अभी भी मुकदमेबाजी की बाढ़ है। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में विनियामक उपायों से अछूते, अनैतिक तरीके और कदाचार अभी भी अपनाए जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण शिक्षा का मुख्य पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें पहले राष्ट्रीय हित को पूरा करना होगा, फिर उनके हित को, विशेष रूप से जब मान्यता के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा का मामला।

56. सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय (ऊपर), यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हितों का संतुलन होना चाहिए। यह देखा गया कि वार्षिक प्रवेश का 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्यों को योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थानों के बीच शिक्षा के मानकों में रुचि रखने वाले विनियम वैध रूप से बनाए जा सकते हैं। इस तरह के जनरल प्रतिरूप और मानक आवश्यक हैं, और इस तरह के विनियमन का प्रभाव अल्पसंख्यकों के अपने संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का नहीं होगा।

57. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह कुछ लोगों के लिए खुला है योग्यता के उच्च मानकों को लागू करने के लिए संस्थान। सबसे पहले, संबद्धता की शर्तें इसके अलावा बाध्यकारी हैं, हम पाते हैं कि जब राष्ट्रीय मानकों और एन. ई. ई. टी. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की बात आती है, तो कुछ संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। व्यवस्था अभी तक बेईमान उपकरणों के चंगुल से बाहर नहीं हुई है और योग्यता को हराने के लिए संदिग्ध साधन अपनाए गए हैं, शिक्षा के हित को और नुकसान होगा और केंद्रीकृत परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। एन. ई. ई. टी. के ऊपर और आगे की परीक्षा निर्धारित करना संभव नहीं है जिसे व्यवहार्य नहीं कहा जा सकता है, एन. ई. ई. टी. से कोई छूट नहीं दी जा सकती है, जिस उद्देश्य के साथ इसे पेश किया गया है। हम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन v. भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.] पता लगाएँ कि समान प्रवेश परीक्षा को अनुचित नियामक ढांचा नहीं कहा जा सकता है। शर्तों पर विचार करना और पेशेवर चिकित्सा और ऐसे अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता और मान्यता की शर्तें बाध्यकारी हैं, और शर्तों में किसी भी छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

58. इस प्रकार, हमारी राय है कि अनुच्छेदों के तहत अधिकार 19 (1) (छ) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26 और 29 (1) के साथ पठित 30 पारदर्शिता और मान्यता प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आते हैं। प्रवेश के मामले में योग्यता। यह पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए खुला है उत्कृष्टता की मान्यता, और कदाचार पर अंकुश लगाना। समान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता की परीक्षा को योग्य बनाती है और उचित होती है। इसी का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में आने वाली कई बीमारियों को रोकना, योग्यता में कम छात्रों को प्रवेश देकर कैपिटेशन शुल्क को रोकना और चिकित्सा शिक्षा के शोषण, मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकना है। शिक्षा. संस्थान को शिक्षा का एक सक्षम माध्यम होना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं, जो सभी संस्थानों पर लागू होती हैं। यदि उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है, तो वे उन शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं जो सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। नियम आवश्यक हैं, और वे विभाजनकारी या विघटनकारी नहीं हैं। इस तरह के नियामक उपाय संस्थानों को सक्षम बनाते हैं -

उन्हें कुशलता से प्रबंधित करें। राष्ट्रीय हित के लिए अपमानजनक शिक्षा का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। चिकित्सा की गुणवत्ता

राष्ट्रीय हित की सेवा के लिए शिक्षा अनिवार्य है और योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) को ध्यान में रखते हुए सरकार को राष्ट्रीय हित में नियामक उपाय प्रदान करने का अधिकार है।

59. अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष में नहीं हैं। अधिकारों को संतुलित करना राष्ट्रीय और अधिक व्यापक सार्वजनिक हित में संवैधानिक इरादा है। विनियामक उपायों को सीमित शासन की अवधारणा से परे नहीं कहा जा सकता है। विचाराधीन नियामक उपाय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए हैं और अनुच्छेद 47 और 51 (ए) (जे) में निहित निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और [2020] 5 एस. सी. आर. को सक्षम करने के लिए एक कदम है।

व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुसरण में पूर्ण अवसर प्रदान करके अपनी खोज में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी संस्थान को प्रशासित करने का अधिकार कानून और अन्य संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किए बिना उचित नियामक उपाय प्रदान किए जा सकते हैं -

एक संस्थान का प्रशासन करना। व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं। ऐसे संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन एमसीआई अधिनियम की धारा 10डी और दंत चिकित्सक अधिनियम और एमसीआई/डीसीआई द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा नहीं किया जाता है। विनियामक उपायों का उद्देश्य संस्थानों के उचित कामकाज के लिए और यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा का स्तर बनाए रखा जाए और कुप्रशासन की सीमा तक प्रबंधन के विशेष अधिकार की आड़ में कम न हो। निर्धारित करके विनियामक उपाय एन. ई. ई. टी. शिक्षा को दान के दायरे में लाना है जो चरित्र खो गया है। इसका उद्देश्य व्यवस्था से बुराइयों और विभिन्न कदाचारों को दूर करना है जिन्होंने व्यवस्था को नष्ट कर दिया। विनियामक उपाय किसी भी तरह से धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संस्थान को प्रशासित करने के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

चिकित्सा के साथ-साथ दंत विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अधिनियम और विनियमन के प्रावधानों को अधिकार से परे या इसके तहत गारंटीकृत अधिकारों को छीनने वाला नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 19 (1) (जी), 14,25,26 और 29 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 30 (1) के तहत भारत का संविधान। तदनुसार, स्थानांतरित मामलों, अपील और रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान मामलों का निपटारा किया गया।